भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
पर प्रतिवेदन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या- 4

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii-x
पहला अध्याय		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन	1	1
प्रस्तावना	1.1-1.3	1
लेखापरीक्षा अधिदेश	1.4-1.6	1-2
राज्य के पीएसयू में निवेश	1.7-1.9	2-3
बजटीय बहिर्गमन समता, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूति एवं ऋण के लिये	1.10-1.12	3-4
वित्त लेखों के साथ सामाधान	1.13-1.14	4
पीएसयू का निष्पादन	1.15-1.21	5-7
लेखों के अंतिमीकरण में विलंब	1.22-1.26	7-8
लेखा टिप्पणी एवं आंतरिक अंकेक्षण	1.27-1.31	8-11
लेखापरीक्षा के फलस्वरूप वसूलियाँ	1.32	11
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किये जाने की स्थिति	1.33	11
विद्युत क्षेत्र में सुधार	1.34-1.36	12
दूसरा अध्याय		
सरकारी कंपनी से संबंधित समीक्षा	2	
छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विभिन्न योजनाओं के तहत चावल, गेहूँ एवं शक्कर के उपार्जन, भंडारण एवं वितरण की समीक्षा	--	13
कार्यकारी सारांश	--	13-14
प्रस्तावना	2.1	15-16
संगठन संरचना	2.2	16
लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि	2.3	16-17
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	2.4	17
लेखापरीक्षा मानदण्ड	2.5	17
लेखापरीक्षा आपत्तियां	2.6	17-18
चावल, गेहूँ एवं शक्कर के उपार्जन, भंडारण एवं वितरण के लिये योजना	2.7-2.11	18-20
चावल, गेहूँ एवं शक्कर का भंडारण एवं परिवहन	2.12-2.19	20-29
चावल, गेहूँ एवं शक्कर का वितरण	2.20-2.24	29-34
वित्तीय प्रबंध	2.25-2.29	34-37
जनशक्ति की तैनाती	2.30	37-38
निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	2.31-2.34	38-41
निष्कर्ष		41-42
अनुशंसाएँ		42

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
तीसरा अध्याय		
लेन देन से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	3	
सरकारी कंपनियाँ	--	43
छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड		
सब्जियों के बीज के लिए दर अनुबन्ध के अनियमित अन्तिमीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 47.26 करोड़ का ठेका अयोग्य निविदाकारों को दिया गया।	3.1	43-49
उच्च दर में जूट बोरी की खरीदी के कारण ₹ 23.60 लाख का अतिरिक्त व्यय	3.2	49-50
छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम		
बचत बैंक खाता में ऑटो-स्वीप सुविधा लेने में विफलता के फलस्वरूप ₹18.84 लाख की ब्याज की हानि	3.3	50-51
विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता	3.4	51-58
छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड		
उत्पाद शुल्क के ₹ 2.97 करोड़ को आपूर्तिकर्ताओं से वसूलने तथा उत्पाद शुल्क विभाग में जमा करने में कंपनी की असफलता के परिणामतः आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ का विस्तारण तथा राज्य को राजस्व की हानि	3.5	58-60
छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड		
दाण्डिक ब्याज की वसूली न करने के कारण आबंटिती को ₹ 32.40 लाख का अनुचित लाभ दिया जाना	3.6	60-61
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड		
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए अनुबंध भार में कमी के परिणामतः ₹ 36.68 लाख के राजस्व की हानि	3.7	62-63
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड		
केटीपीएस के पावर हाऊस-II में ड्युअल फ्लू गैस कंडीशनिंग सिस्टम के प्रचालन तथा मरम्मत की आउटसोर्सिंग करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.08 करोड़ का परिहार्य व्यय	3.8	64-65
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड		
अग्रिम आयकर का भुगतान न करने/कम भुगतान करने के कारण ₹ 45.46 लाख शास्ति ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.9	66-67
सामान्य		
लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन	3.10	67-69

अनुलग्नक

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम के संबंध में 31 मार्च 2013 को अद्यतन प्रदत्त पूंजी, लंबित ऋण और जनशक्ति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.7	71-73
1.2	सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम के अद्यतन वर्ष के लिये जिनके लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका था, का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	1.15	74-75
1.3	वर्ष के दौरान समता पूंजी/ऋण की प्राप्ति, प्राप्त/प्राप्ति योग्य अनुदान और सहायता, प्राप्त गारंटियाँ, बकाया का स्वत्व त्याग, अपलेखित ऋण एवं ऋण का समता पूंजी में परिवर्तन और मार्च 2013 के अंत तक गारंटी वचनबद्धता दिखाने वाला विवरण	1.10	76-77
1.4	राज्य सरकार द्वारा पी.एस.यू. में किया गया निवेश दिखाने वाला विवरण जिनके लेखे बकाया है	1.24	78-79
1.5	छ.ग. राज्य भंडार गृह निगम की वित्तीय स्थिति दिखाने वाला विवरण	1.15	80
1.6	छ.ग. राज्य भंडार गृह निगम का कार्यकारी परिणाम दिखाने वाला विवरण	1.15	81
2.1	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का विवरण	2.1	82
2.2	चावल का आधिक्य उपार्जन दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.10	83
2.3	परिवहनकर्ताओं द्वारा सुपुर्दगी नहीं किये गये खाद्यान्नों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.17	84
2.4	पीडीएस की विभिन्न योजनाओं के तहत चावल एवं गेहूँ का वर्षवार आबंटन एवं वितरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.21	85-86
2.5	परिवर्तित स्कन्ध की आर्थिक लागत एवं सब्सिडी दावा को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.22	87-88
2.6	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक अपूर्ति निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति	2.25	89
2.7	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का कार्यकारी परिणाम	2.25	90
2.8	भारत सरकार से दावा की गई एवं प्राप्त सब्सिडी को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.28	91
2.9	उचित मूल्य दुकान से बकाया राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.29	92-93
2.10	जनशक्ति की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.30	94-95
3.1	वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान क्रय किए गए बीजों का विस्तृत विवरण दर्शाने वाला पत्रक	3.1	96
3.2	वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान क्रय किए गए आलू बीज का विस्तृत विवरण दर्शाने वाला पत्रक	3.1	97

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
3.3	वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान क्रय किए गए धनियां बीज का विस्तृत विवरण दर्शाने वाला पत्रक	3.1	98
3.4	बचत खाता में बहुत ज्यादा शेष होने के कारण ब्याज हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.3	99-100
3.5	31 मार्च 2013 को समाप्त चार वर्षों के दौरान स्वीकृत और वितरित ऋण का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	3.4.4	101
3.6	गोदाम हानि पर देय उत्पाद शुल्क को प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्रक	3.5	102
3.7	कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं को दर्शाने वाली तालिका, जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे	3.10.1	103
3.8	विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) का विवरण पत्रक	3.10.3	104
3.9	विभागवार प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षा जिसका उत्तर प्रतीक्षित है का विवरण पत्रक	3.10.3	105

सरकारी वाणिज्यिक संस्थान, जिनके लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है, निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैः-

(i) सरकारी कंपनियाँ,

(ii) सांविधिक निगम, एवं

(iii) विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

2. यह प्रतिवेदन सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है तथा समय-समय पर संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाशर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

3. सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है।

4. छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम जो कि सांविधिक निगम है, के लेखों की लेखापरीक्षासांविधिक अंकेक्षकों के द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के संदर्भ में सीएजी एकल लेखापरीक्षक है। इन समस्त निगम/आयोग के वार्षिक लेखों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को अलग से प्रेषित किये जाते हैं।

5. इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित हैं जो वर्ष 2012-13 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में ध्यान में आये तथा वे भी जो पहले के वर्षों में ध्यान में आये, परंतु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में शामिल नहीं थे। 2012-13 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया गया है।

6. सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।

विहंगावलोकन

1. सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगम का विहंगावलोकन

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अंतर्गत शासित होती है। सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा भी की जाती है। सांविधिक निगम की लेखापरीक्षा उनके संबंधित अधिनियमों द्वारा शासित होती है। 31 मार्च 2013 को छत्तीसगढ़ राज्य के 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (18 कंपनियाँ तथा एक सांविधिक निगम) थे, जिनमें 20352 कर्मचारी नियोजित थे। अघतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 2012-13 में ₹11776.04 करोड़ आवर्त दर्ज किया गया। यह आवर्त राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 7.35 प्रतिशत था।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मे निवेश

31 मार्च 2013 को 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एक सांविधिक निगम सहित) में निवेश (पूंजी एवं दीर्घकालीन ऋण) ₹ 15609.61 करोड़ था, जो कि 2008-09 के ₹ 2963.05 करोड़ से 426.81 प्रतिशत अधिक बढ़ गया। कुल निवेश में 79.78 प्रतिशत पूंजी तथा 20.22 प्रतिशत दीर्घकालीन ऋण था। 2012-13 के दौरान शासन ने इक्विटी ऋण तथा अनुदान/उपदान के प्रति ₹2877.27 करोड़ का अंशदान किया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

वर्ष 2012-13 के दौरान 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹214.53 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा पाँच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 2091.51 करोड़ की हानि उठाई। एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने न लाभ दर्ज किया न हानि उठाई। शेष एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने अपने प्रथम लेखे अंतिमीकृत नही किये थे। उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को क्रमशः ₹2012.27 करोड़ एवं ₹ 78.88 करोड़ की हानि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाई गई हानियों का मुख्य कारण वित्तीय प्रबंध, आयोजना, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, प्रचालन तथा निगरानी में कमियाँ थी।

लेखाओं में बकाया

सितम्बर 2013 तक 15 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 36 लेखे बकाया थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लेखों को तैयार करने से संबंधित कार्यों हेतु जिसमें बकाया लेखों के निपटान पर विशेष ध्यान केन्द्रित हो लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है।

लेखाओं की गुणवत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान अंतिमीकृत क्रियाशील कंपनियों के 24 लेखाओं में से 16 लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों ने मर्यादित प्रमाणपत्र दिये।

(अध्याय - I)

सरकारी कंपनी से संबंधित समीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विभिन्न योजनाओं के तहत चावल, गेहूँ एवं शक्कर के उपार्जन, भंडारण एवं वितरण की समीक्षा की गयी थी। हमारे द्वारा पाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों का कार्यकारी सारांश नीचे दिया गया है:

प्रस्तावना

भारत सरकार (जीओआई) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की विभिन्न योजनाओं में वितरण के लिए राज्य के लाभान्वितों की संख्या के अनुसार राज्य को योजनावार खाद्यान्नों का आबंटन जारी करती है। छत्तीसगढ़ सरकार (जीओसीजी) का खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (विभाग) इसके आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) को खाद्यान्नों के उपार्जन, भंडारण एवं जिले के लाभार्थियों को वितरण हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिए जिलेवार आबंटन जारी करती है। कंपनी पीडीएस के लिए मुख्य अभिकरण के रूप में कार्य करती है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य पीडीएस की विभिन्न योजनाओं के तहत् खाद्यान्नों का उपार्जन, भंडारण एवं वितरण करना जिससे कि जीओआई/जीओसीजी द्वारा बनायी गयी योजनाओं के अनुसार लाभान्वितों को खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना जो कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए तथा राज्य में चावल का उपार्जन, स्टाक बनाये रखने एवं चावल वितरण में मितव्ययिता बनाए रखने के लिए लागू (अप्रैल 2002) की गई थी। कंपनी द्वारा गेहूँ की खरीदी भारत सरकार द्वारा निर्धारित रियायती दर पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से की जाती है तथा शक्कर की खरीदी कंपनी द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित शक्कर मिलों से निर्धारित दर पर की जाती है एवं लाभान्वितों को निर्गमित किया जाता है।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान पीडीएस के तहत् भारत सरकार/छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं के मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वयन का आंकलन करने के लिए कंपनी के निष्पादन की समीक्षा की गई।

चावल, गेहूँ एवं शक्कर के उपार्जन की योजना

पीडीएस की विभिन्न योजनाओं के तहत् वितरण के लिए चावल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभाग छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान खरीदती है और कंपनी को कस्टम मिल्ड राईस (सीएमआर) मार्कफेड के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए विभाग खरीफ विपणन वर्ष के दौरान उपार्जित किये जाने वाले चावल की अनुमानित मात्रा को प्रदर्शित करते हुए सीएमआर से संबंधित नीति प्रत्येक वर्ष जारी करती है जिसका कंपनी अनुसरण करती है। गेहूँ एवं शक्कर के उपार्जन के लिए कंपनी, विभाग द्वारा दिये गये आबंटन का अनुसरण करने के लिए बाध्य है।

चावल, गेहूँ एवं शक्कर का भण्डारण एवं परिवहन

भण्डारण हानि के मापदण्ड के अभाव में वास्तविक प्रतिपूर्ति योग्य हानि के आंकड़ों को कंपनी द्वारा संधारित नहीं किया गया। राज्य भण्डारगृह निगम (एसडब्ल्यूसी)/ केन्द्रीय भण्डारगृह निगम (सीडब्ल्यूसी) के गोदामों में भंडारित स्थान की आवश्यकता का निर्धारण सही ढ़ंग से नहीं किया गया इसके कारण कंपनी, गोदामों के आरक्षण का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकी एवं भण्डारित स्थान के उपयोग न करने के कारण ₹ 7.58 करोड़ का भुगतान हुआ। एक ही संभाग के विभिन्न आधार डिपो के परिवहन दर में अत्यधिक अन्तर था एवं पड़ोसी संभागों की दरों की तुलना करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कंपनी ने परिवहन ठेकेदारों से निर्धारित दर से कम दर पर शास्ति की वसूली की।

भारत सरकार/छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत् खाद्यान्नों का वितरण

वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान कंपनी ने विभिन्न योजनाओं के तहत् चावल एवं गेहूँ के लिए दिये गये आबंटन के विरूद्ध कम मात्रा का वितरण किया, जिसके कारण इच्छित लाभार्थियों को इसका पूर्ण लाभ नहीं पहुँच पाया। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर भारत सरकार के निर्देश का उल्लंघन करते हुए कंपनी ने 7.43 लाख मीट्रिक टन चावल एवं 1.91 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का केंद्रीय योजना से राज्य की योजना (मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना) में परिवर्तित किया जिसके

परिणामस्वरूप ₹ 1975.43 करोड़ मूल्य के खाद्यान्नों का एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन हुआ एवं ₹ 899.12 करोड़ का गलत दावा भारत सरकार से किया गया। कंपनी ने मध्यान्ह भोजन योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजना के तहत् भारत सरकार के आबंटन दिये बगैर ही चावल का वितरण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.78 करोड़ की प्राप्ति नहीं हुई।

वित्तीय प्रबंध

कंपनी के लेखों के अन्तिमीकरण में विलंब था जिसके कारण वह अंकेक्षित लेखे भारत सरकार को समय पर प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिससे ₹ 760.93 करोड़ का सब्सिडी का दावा अवरूद्ध रहा। परिणामस्वरूप ₹ 186.81 करोड़ की ब्याज की हानि हुई। ₹ 1.48 करोड़ की बकाया राशि विभाग की अप्रभावी कार्यवाही के कारण उचित मूल्य दुकानों से वसूली नहीं जा सकी।

जनशक्ति का नियोजन

18 जिलों में जिला प्रबंधकों के पद का कार्य सहायक प्रबंधकों/सहायक लेखा अधिकारियों द्वारा किया गया। इस प्रकार इन सहायक प्रबंधकों/सहायक लेखाअधिकारियों के कार्य पर कोई पर्यवेक्षण नहीं था।

निगरानी और आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

विभिन्न संस्थाओं के मध्य सामंजस्य का अभाव था, जिसके कारण आधिक्य स्कन्ध का भण्डारण एवं तदोपरान्त भण्डारण शुल्क का परिहार्य व्यय हुआ। भारत सरकार/छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आबंटित मात्रा में भिन्नता थी, जिसके कारण खाद्यान्नों का आधिक्य/कम वितरण हुआ एवं कंपनी द्वारा भारत सरकार को गलत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अमल में लाने के कारण कंपनी में एक अच्छी निगरानी एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। यद्यपि विभिन्न संग्रहण बिंदु पर स्कन्ध के आकस्मिक जाँच की कोई प्रणाली नहीं है एवं कंपनी में कोई सतर्कता अनुभाग नहीं है।

निष्कर्ष

भण्डारण स्थान के उपयोग न होने एवं विभिन्न योजनाओं के तहत् खाद्यान्नों के आधिक्य/कम वितरण के मामले पाये गये। भण्डारण हानि के मापदण्ड के अभाव में वास्तविक प्रतिपूर्ति योग्य हानि के आंकड़ों को कंपनी द्वारा संधारित नहीं किया गया। भण्डारण स्थान का आरक्षण आवश्यकता से अधिक होने के कारण भण्डारण स्थान का कम उपयोग हुआ। पड़ोसी संभागों की दरों से तुलना किये बिना परिवहन ठेकों का अन्तिमीकरण किया गया जिसके परिणामस्वरूप परिवहन दरों में अत्यधिक अन्तर था। कंपनी ने परिवहन ठेकेदारों से निर्धारित दर से शास्ति की वसूली नहीं की। कंपनी ने खाद्यान्नों को केन्द्रीय योजनाओं से राज्य योजना में परिवर्तित किया। भारत सरकार के आबंटन के बिना मध्यान्ह भोजन योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में चावल का वितरण किया गया। लेखों के अन्तिमीकरण में विलंब के कारण भारत सरकार से सब्सिडी प्राप्त नही हुई। कंपनी ने भंडारण स्थलों की समय-समय पर आकस्मिक जाँच करने की व्यवस्था निर्धारित नहीं की।

(अध्याय II)

लेन-देन से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेनदेन से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में कमियों को उजागर करती है जिसमें गम्भीर वित्तीय परिणाम शामिल है। इंगित की गई अनियमितताएं मुख्यतः निम्नवत प्रकृति की हैः

नियमों, निर्देशों, प्रक्रियाओं एवं अनुबंध की नियम एवं शर्तों की अनुपालन न करने के कारण पाँच मामलों में ₹ 4.35 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.2, 3.5,3.6,3.7 तथा 3.9)

त्रुटिपूर्ण/दोषपूर्ण नियोजन के कारण दो मामलों में कुल ₹ 1.27 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.3 तथा 3.8)

अपारदर्शी तरीके से दर अनुबंध के अंतिमीकरण के कारण ₹ 47.26 करोड़ का ठेका अयोग्य निविदाकारों को दिया जाना।

(कंडिका 3.1)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों का सारांश नीचे दिया गया हैः

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा सब्जियों के बीज के लिए दर अनुबन्ध के अनियमित अन्तिमीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 47.26 करोड़ का ठेका अयोग्य निविदाकारों को दिया गया।

(कंडिका 3.1)

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड द्वारा उत्पाद शुल्क के ₹ 2.97 करोड़ को आपूर्तिकर्ताओं से वसूलने तथा उत्पाद शुल्क विभाग में जमा करने में असफलता के परिणामतः आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ का विस्तारण तथा राज्य को राजस्व की हानि

(कंडिका 3.5)

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा दाण्डिक ब्याज की वसूली न करने के कारण आबंटिती को ₹ 32.40 लाख का अनुचित लाभ दिया जाना।

(कंडिका 3.6)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधान का उल्लंघन करते हुये अनुबंध मांग में कमी के परिणामस्वरूप ₹ 36.68 लाख के राजस्व की हानि।

(कंडिका 3.7)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के केटीपीएस पावर हाउस-।। में ड्युअल फ्लू गैस कंडिशनिंग सिस्टम के प्रचालन तथा मरम्मत की आउटसोर्सिंग करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.08 करोड़ का परिहार्य व्यय।

(कंडिका 3.8)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा अग्रिम आयकर के न/कम भुगतान करने के कारण ₹ 45.66 लाख के शास्ति ब्याज का परिहार्य भुगतान।

(कंडिका 3.9)

पहला अध्याय

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के अन्तर्गत राज्य की सरकारी कंपनियाँ तथा सांविधिक निगम आते हैं। राज्य के पीएसयू की स्थापना जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए की गई है ।

1.2 31 मार्च 2013 को छत्तीसगढ़ में 18[1] सरकारी कंपनियाँ एवं एक[2] सांविधिक निगम (सभी कार्यरत) थे। इनमें से कोई भी कंपनी स्कंध विपणियों में सूचीबद्ध नहीं थी। सितम्बर 2013 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखे के अनुसार इन पीएसयू का वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 11776.04 करोड़ आवर्त दर्ज किया गया। यह आवर्त वर्ष 2012-13 के छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 7.35 प्रतिशत[3] के बराबर था। राज्य के पीएसयू की प्रमुख गतिविधियाँ ऊर्जा क्षेत्र में केन्द्रित है। राज्य के पीएसयू को उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार वर्ष 2012-13 में ₹ 1876.98 करोड़ की समग्र हानि हुई। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार उन्होंने 20352 कर्मचारियों को नियोजित किया हुआ था।

1.3 वर्ष 2012-13 के दौरान कोई भी नया पीएसयू स्थापित नहीं किया गया एवं किसी पीएसयू/सांविधिक निगम का समापन नही किया गया।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.4 सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। धारा 617 के अनुसार एक सरकारी कंपनी वह है जिसकी प्रदत्त पूँजी में सरकार का भाग 51 प्रतिशत से कम न हो। एक सरकारी कंपनी में सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी सम्मिलित होती है।

1.5 राज्य सरकार की कंपनियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) के लेखों की लेखापरीक्षा वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के तहत की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

[1] छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (सीआरबीईकेवीएनएल), छत्तीगसढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (सीआरवीवीएनएल),छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (सीएनजेवीएवीएन), छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (सीआईडीसी), छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड(सीएमडीसी), सीएमडीसी, आईसीपीएल कोल लिमिटेड (सीआईसीएल), छत्तीसगढ़ सोंधिया कोल कंपनी लिमिटेड (सीएसासीसीएल), सीएसपीजीसीएलएईएल पारसा कोलरीज़ लिमिटेड (सीएसपीजीसीएलएईएलपीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (सीएसपीएचसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (सीएसपीटीआरसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (सीएसबीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीएससीएससीएल), छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज निगम लिमिटेड (सीएमएससीएल) एवं छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड (सीपीएचसीएल)।

[2] छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम (सीएसडब्लूसी)

[3] प्रतिशत का आधार वर्ष 2012-13 के लिए राज्य के जी.डी.पी. के आंकड़े है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के तहत सीएजी के द्वारा भी की जाती है।

1.6 छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम जो कि एक सांविधिक निगम है, की लेखापरीक्षा भण्डारगृह निगम अधिनियम- 1962 के तहत शासित होती है । सीएसडब्ल्यूसी की लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंटो द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

राज्य के पीएसयू में निवेश

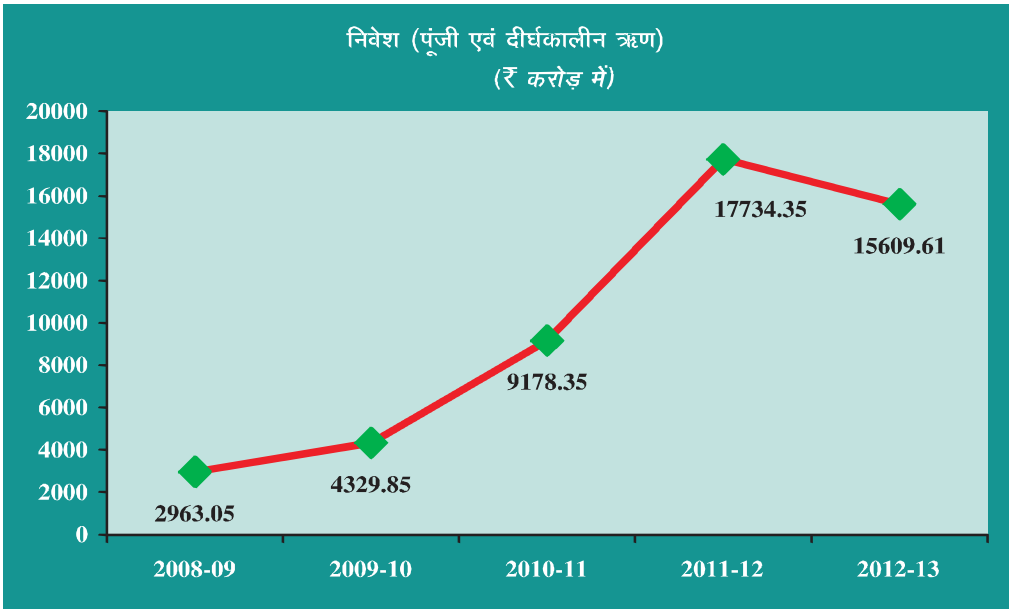
1.7 31 मार्च 2013 की स्थिति अनुसार 19 पीएसयू में (एक सांविधिक निगम सहित) ₹ 15609.61 करोड़ का निवेश (पूँजी और दीर्घावधि ऋण) था। इसका विवरण अग्र तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

सरकारी कंपनियाँ			सांविधिक निगम			महायोग
पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
12449.18	3105.59	15554.77	4.04	50.80	54.84	15609.61

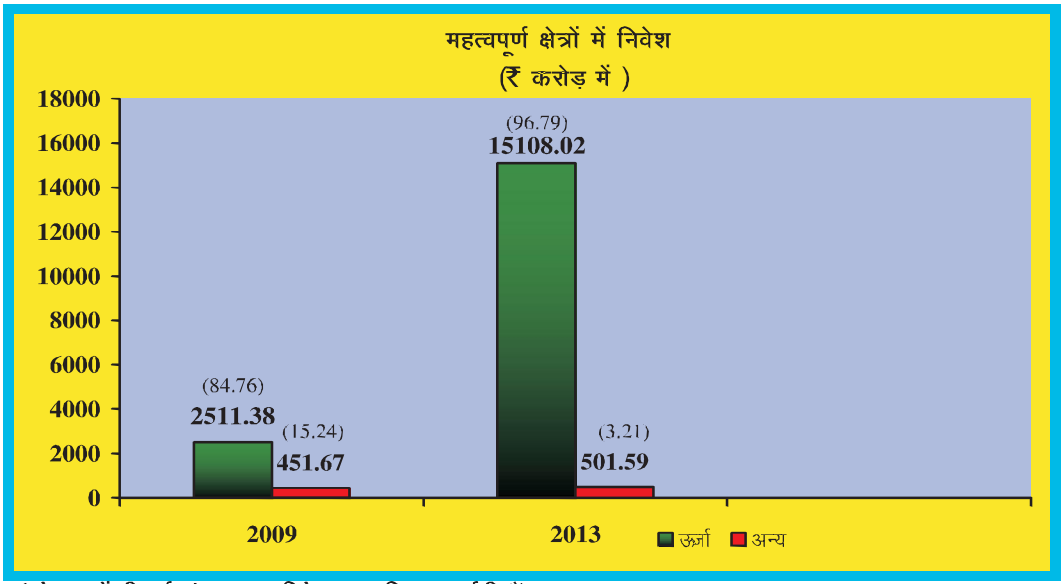
राज्य के पीएसयू में सरकारी निवेश की संक्षिप्त स्थिति का विस्तृत वर्णन ***अनुलग्नक - 1.1*** में है।

1.8 31 मार्च 2013 की स्थिति अनुसार, ₹ 15609.61 करोड़ का 79.78 प्रतिशत पूँजी और 20.22 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण के रूप में कुल निवेश हुआ। पीएसयू में निवेश वर्ष 2008-09 में ₹ 2963.05 करोड़ से 426.81 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2012-13 में ₹ 15609.61 करोड़ हो गया जैसा कि आगे दर्शाया गया है:



उपरोक्त रेखाचित्र से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के पीएसयू में निवेश गत वर्ष की तुलना में ₹ 2124.74 करोड़ की कमी हुई, जिसका मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा ₹ 5460.70 करोड़ के अदत्त ऋण का पुनर्भुगतान तथा ऊर्जा क्षेत्र में ₹ 3267.46 करोड़ की पूँजी में अभिवृद्धि होना है।

1.9 31 मार्च 2009 तथा 31 मार्च 2013 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उसका कुल निवेश में प्रतिशत आगे बार चार्ट में प्रदर्शित किया गया है:



(कोष्ठक में दी गई संख्या कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाती है)

उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि राज्य सरकार का अधिकांश निवेश पीएसयू में से ऊर्जा क्षेत्र में था जो कि वर्ष 2008-09 के दौरान ₹ 2511.38 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 15108.02 करोड़ हो गया।

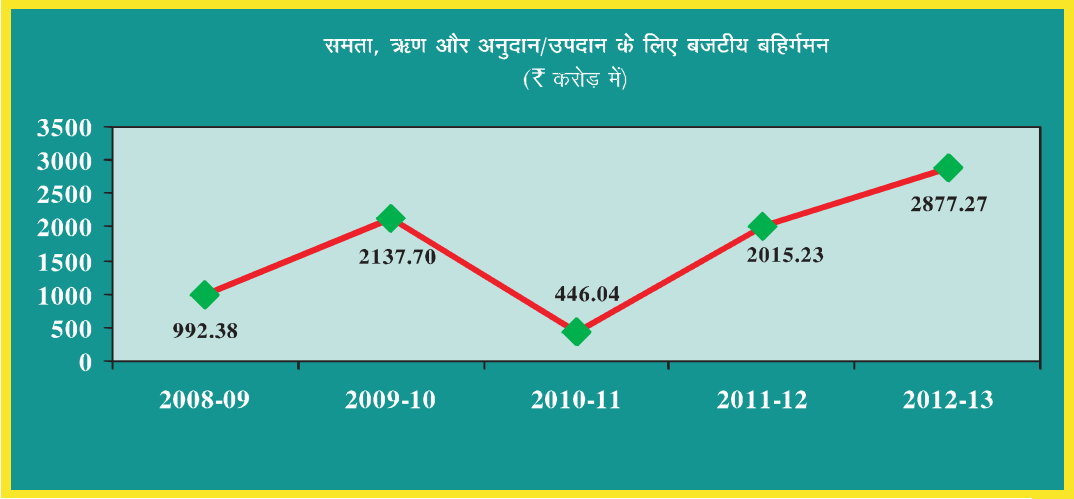
बजटीय बहिर्गमन समता, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूति एवं ऋण के लिए

1.10 राज्य पीएसयू के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समता, ऋण, अनुदान/उपदान, निर्गत प्रत्याभूतियाँ, अपलेखित ऋण, ऋणों का पूँजी में परिवर्तन और ब्याज की माफी के प्रति बजटीय बहिर्गमन का विस्तृत ब्यौरा ***अनुलग्नक - 1.3*** में दिया गया है। 2012-13 तक समाप्त हुए तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		पीएसयू की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बजट से समता पूँजी बहिर्गमन	-	-	-	-	4	903.52
2.	बजट से दिए गए ऋण	1	0.01	1	500.00	3	651.66
3.	प्राप्त अनुदान/उपदान	7	446.03	7	1515.23	6	1322.09
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	7[4]	446.04	7[4]	2015.23	10[4]	2877.27
5.	समता में परिवर्तित ऋण	–		–	–	–	–
6.	निर्गत प्रत्याभूतियां	1	2.33	1	2.50	1	500.00
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	2	345.61	2	302.84	3	937.61

1.11 पूर्व के पांच वर्षों की समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन का विस्तृत विवरण आगे ग्राफ में दिया गया है:

[4] ये उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वास्तविक संख्या है जिन्हें वर्ष के दौरान समता, ऋण, अनुदान और उपदान के रूप में राज्य सरकार से बजटीय समर्थन प्राप्त हुआ है।



समता, ऋण और अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन ₹ 992.38 करोड़ (2008-09) से बढ़कर ₹ 2137.70 करोड़ (2009-10) हुआ। यह अत्यधिक घटकर ₹ 446.04 करोड़ (2010-11) हुआ और पुनः बढ़कर ₹ 2015.23 करोड़ (2011-12) एवं ₹ 2877.27 करोड़ (2012-13) हो गया। वर्ष 2012-13 के दौरान बजटीय बहिर्गमन ₹ 2877.27 करोड़ में तीन पीएसयू यथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को ₹ 2780.74 करोड़ का विस्तारित समर्थन ऋण, उपदान व अनुदान के रूप में क्रमशः ₹ 639.69 करोड़, ₹ 900 करोड़ व ₹ 1241.05 करोड़ सम्मिलित है।

1.12 अदत्त प्रत्याभूति 2010-11 में ₹ 345.61 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 937.61 करोड़ हो गई। वर्ष 2012-13 के दौरान किसी भी पीएसयू ने प्रत्याभूति शुल्क/कमीशन का भुगतान राज्य सरकार को नहीं किया।

वित्त लेखों के साथ समाधान

1.13 राज्य के पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार समता, ऋण और अदत्त प्रत्याभूति के आंकड़े राज्य के वित्त लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों के समान होने चाहिए। यदि आंकड़ों में अंतर है तो संबंधित पीएसयू और वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2013 की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित है:

(₹ करोड़ में)

अदत्त के सम्बन्ध में	वित्त लेखे के अनुसार राशि	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
समता	1191.93	6976.91	5784.98
ऋण	962.41	359.83	602.58
गारंटियाँ	676.44	937.61	261.17

(स्त्रोतः आंकड़ों का संकलन वित्त लेखों एवं पीएसयू द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर किया गया है।)

1.14 हमने पाया कि यह अंतर तेरह[5] पीएसयू में था तथा कुछ अंतर वर्ष 2004-05 से समाधान हेतु लंबित था। सरकार एवं संबंधित पीएसयू को समयबद्ध ढंग से अंतरों का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

[5] सीआरबीईकेवीएनएल, सीएसवीवीएनएल, सीएनजेवीएवीएन, सीआईडीसी, सीएसआईडीसी, सीएमडीसी, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, सीएससीएसीएल, सीएमएससीएल और सीएराडब्लूसी

पीएसयू का निष्पादन

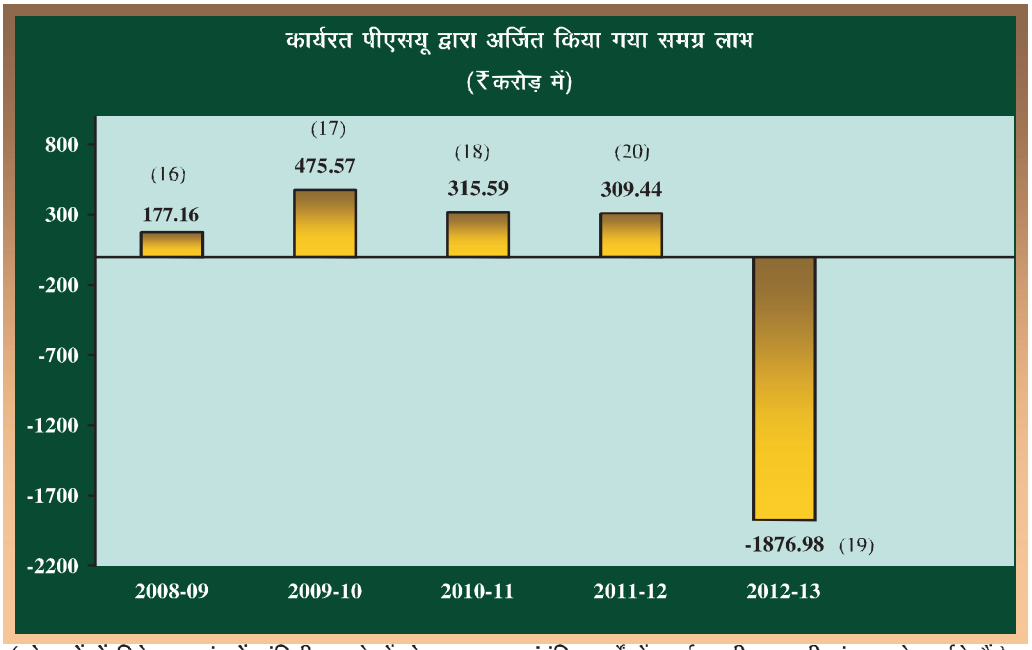
1.15 पीएसयू एवं कार्यरत सांविधिक निगम के वित्तीय परिणाम एवं वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम का विस्तृत विवरण क्रमशः ***अनुलग्नक - 1.2, 1.5 एवं 1.6*** में वर्णित है। पीएसयू के आवर्त का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात, पीएसयू का राज्य की अर्थव्यवस्था में सक्रियता की सीमा को दर्शाता है। निम्न तालिका वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि में कार्यरत पीएसयू का आवर्त और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विस्तृत विवरण प्रदर्शित करती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आवर्त[6]	4773.05	5449.33	8804.03	14200.21	11776.04
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद[7]	80698.41	107848.23	129717.54	135536.34	160187.71
आवर्त का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	5.91	5.05	6.79	10.48	7.35

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से राज्य के पीएसयू के समग्र आवर्त का प्रतिशत वर्ष 2008-09 में 5.91 से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 7.35 हो गया।

1.16 वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि में राज्य के कार्यरत पीएसयू द्वारा अर्जित समग्र लाभ/हानि का विवरण आगे बार चार्ट में दिया गया है:



(कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संबंधित वर्षों में कार्यरत पीएसयू की संख्या को दर्शाते हैं)

राज्य के पीएसयू द्वारा वर्ष 2011-12 में अर्जित औसत लाभ ₹309.44 करोड़ था जो कि वर्ष 2012-13 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को हुई अत्यधिक हानि (₹2012.27 करोड़) के परिणामस्वरूप ₹ 1876.98 करोड़ की औसत हानि में परिवर्तित हो गया।

[6] 30 सितंबर 2013 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यरत पीएसयू का आवर्त

[7] वर्ष 2012-13 के लिए राज्य के जीडीपी का अग्रिम आंकलन है।

30 सितम्बर 2013 को उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यरत 19 पीएसयू[8] में से 12 पीएसयू[9] द्वारा ₹ 214.53 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया गया और पाँच पीएसयू[10] को समग्र रूप में ₹ 2091.51 करोड़ की हानि हुई। एक पीएसयू[11] को "न लाभ न हानि" हुआ। शेष एक पीएसयू[12] द्वारा अपने प्रथम लेखों को अंतिमीकृत नहीं किया गया था। लाभ में वृहद् योगदान छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹27.81 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (₹101.38 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम (₹29.05 करोड़) का रहा। मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (₹2012.27 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹78.88 करोड़) को हानि हुई।

1.17 पीएसयू की हानि का कारण मुख्यतः वित्तीय प्रबंधन, नियोजन, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, क्रियाओं का संचालन एवं निगरानी में कमी थी। सीएजी की अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के पीएसयू को ₹ 204.13 करोड़* की हानि हुई जो बेहतर प्रबंधन से नियंत्रणीय था। कार्यरत् पीएसयू की लाभ/हानि तथा लेखापरीक्षा की नमूना जाँच के परिणमों का जैसा कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित है का वर्षवार विवरण नीचे दिया है:

(₹करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	योग
कार्यरत पीएसयू का निवल लाभ(+) / हानि(-)	315.59	309.44	(-)1876.98	(-)1251.95
सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार नियंत्रणीय हानि	2096.95	1958.08	204.13	4259.16
निष्फलित निवेश	0	44.12	0	44.12

*** पैरा क्रमांक 2.10, 2.14, 2.17, 2.28, 3.2, 3.3 एवं 3.5 से 3.9**

1.18 उपरोक्त हानियों को पीएसयू के अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताया गया है। वास्तविक नियंत्रणीय हानि इससे ज्यादा हो सकती है। उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अच्छे प्रबंधन द्वारा लाभ को और अधिक बढ़ाया जा सकता था। पीएसयू अपने दायित्वों को दक्षतापूर्वक तभी निभा सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से स्वावलंबी हो। उपरोक्त परिस्थिति पीएसयू के कार्यकलाप में पेशेवरपन तथा जवाबदेही की आवश्यकता इंगित करती है।

1.19 राज्य के पीएसयू से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापदण्ड उनके नवीनतम अंतिमीकृत लेखे के अनुसार आगे तालिका में दिये गये हैं:

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
नियोजित पूँजी पर प्रत्याय (प्रतिशत)	14.38	12.09	5.10	5.59	(-)11.93
ऋण (₹ करोड़ में)	2861.68	4249.60	5258.06	8576.28	3156.39
आवर्त[13](₹ करोड़ में)	4773.05	5449.33	8804.03	14200.21	11776.04
ऋण/आवर्त अनुपात	0.60:1	0.78:1	0.60:1	0.60:1	0.27:1
ब्याज का भुगतान (₹ करोड़ में)	180.99	213.31	353.87	618.38	395.46
संचित लाभ/हानि (₹ करोड़ में)	836.89	1808.06	2052.21	2002.78	(-)3136.26

[8] सीआरबीईकेवीएनएल, सीआरवीवीएनएल, सीएनजेवीएवीएन, सीआईडीसी, सीएसआईडीसी, सीएमडीसी, सीआईसीएल, सीएससीसीएल, सीएपीसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीआरसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, सीएससीएसससीएल, सीएमएससीएल, सीपीएचसीएल और सीएसडब्ल्यूसी

[9] सीआरबीईकेवीएनएल, सीआरवीवीएनएल, सीएनजवीएवीएन, सीआईडीसी, सीएसआईडीसी, सीएमडीसी, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, सीएमएससीएल और सीएसडब्ल्यूसी

[10] सीएससीसीएल, सीएपीसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीटीआरसीएल और सीएससीएससीएल

[11] सीआईसीएल

[12] सीपीएचसीएल

[13] 30 सितंबर 2013 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखो के अनुसार कार्यरत पीएसयू का आवर्त

1.20 नियोजित पूँजी पर प्रत्याय वर्ष 2008-09 में 14.38 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में (-)11.93 प्रतिशत हो गया। राज्य पीएसयू के संचित लाभ में वर्ष 2008-09 (₹836.89 करोड़) से 2011-12 (₹2002.78 करोड़) के दौरान बढ़ोतरी हुई जोकि वर्ष 2012-13 में ₹3136.26 करोड़ की संचित हानि में बदल गयी । यह पीएसयू के कार्य निष्पादन में क्षरण को प्रदर्शित करता है। ऋण आवर्त अनुपात वर्ष 2008-09 के 0.60:1 से घटकर वर्ष 2012-13 में 0.27:1 हो गया।

1.21 राज्य सरकार द्वारा नियोजित प्रदत्त अंश पूँजी पर न्यूनतम प्रत्याय का भुगतान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई लाभांश नीति नहीं बनाई गई है। 12 पीएसयू ने अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹214.53 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया जिसमें से केवल दो पीएसयू[14] ने ₹2.97 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

लेखों के अंतिमीकरण में विलंब

1.22 कंपनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 166, 210, 230, 619 एवं 619(ब) के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखे उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अंदर तैयार किए जाने चाहिए। इसी तरह सांविधिक निगमों के विषय में उनके लेखो का अंतिमीकरण, अंकेक्षण एवं विधायिका में प्रस्तुतीकरण उनके संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। सितंबर 2013 तक कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखे तैयार करने की प्रगति का विवरण अग्र तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

क्र. सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	कार्यरत पीएसयू की संख्या	16[15]	17[16]	18[17]	20[18]	19
2.	वर्ष के दौरान अंतिमीकृत लेखों की संख्या	9	16	15	16	24
3.	लंबित लेखों की संख्या	36	36	38	41	36
4.	प्रत्येक पीएसयू का औसत बकाया (3/1)	2.57	2.25	2.24	2.16	1.89
5.	लंबित लेखों वाले कार्यरत पीएसयू की संख्या	13	15	15	15	15
6.	लंबित लेखों का विस्तार (वर्षों में)	1 से 5	1 से 6	1 से 5	1 से 6	1 से 7

1.23 पीएसयू के लंबित लेखों की संख्या 2008-09 में 13 पीएसयू के विषय में 36 लेखों से 2011-12 में बढ़कर 15 पीएसयू के विषय में 41 हो गई, जो वर्ष 2012-13 में घटकर 15 पीएसयू के विषय में 36 हो गई।

1.24 राज्य सरकार द्वारा जिन वर्षों के लेखे तैयार नहीं किए गए उन वर्षों में 10 पीएसयू में ₹4795.29 करोड़ (समता : ₹903.52 करोड़, ऋण : ₹1120.78 करोड़ अनुदान : ₹320.63 करोड़ एवं सब्सिडी ₹2450.36 करोड़) का निवेश रहा, जिसका विवरण ***अनुलग्नक - 1.4*** में दिया गया है। लेखों की अनुपस्थिति में एवं तत्पश्चात्

[14] सीआरवीवीएनएल और सीएसडब्ल्यूसी

[15] 30 दिसंबर 2008 को स्थापित सीएसपीएचसीएल एवं सीएसपीटीआरसीएल को शामिल करते हुए तथा जिनके प्रथम लेखों को 15 माह की अवधि हेतु तैयार किये जाने के कारण लंबित होने पर विचारित नहीं किया गया।

[16] राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर 2008 के अनुसार 1 जनवरी 2009 से प्रभावी पाँच कंपनियों में विखंडित सीएसईबी को शामिल करते हुये। सीएसईबी का नाम अध्याय में समाधान हेतु शामिल किया गया है, जिसके 2008-09 तक के लंबित लेखों का अंतिमीकरण।

[17] सीएसईबी को लंबित लेखों के रूप में विचारित नहीं किया गया है।

[18] सीएसईबी को लंबित लेखों के रूप में विचारित नही किया गया और 14 दिसम्बर 2011 को स्थापित सीपीएचसीएल को भी उसके प्रथम लेखे 15 माह की अवधि के लिए तैयार करने के कारण लंबित लेखों में विचारित नही किया गया है। जबकि सीएमएससीएल के संबंध में दो लेखों को लंबित माना गया क्योंकि कंपनी ने दो पृथक लेखे, पहला 7 अक्टूबर 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि के लिए और दूसरा 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 की अवधि हेतु तैयार किये है।

अंकेक्षण की अनुपस्थिति से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि निवेश एवं किये गये खर्चों को यथोचित रूप से लेखांकित किया गया तथा जिस उद्देश्य से निवेश किया गया था, वह उद्देश्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार सरकार द्वारा इन पीएसयू में किया गया निवेश राज्य विधायिका की संवीक्षा की सीमा से बाहर रहा। इसके अतिरिक्त लेखों के अंतिमीकरण में विलंब के फलस्वरूप कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखे का जोखिम तथा सार्वजनिक कोष का क्षरण हो सकता है।

1.25 प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वह इन इकाईयों के कार्यकलापों की निगरानी करे तथा यह सुनिश्चित करे कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय सीमा में अंतिमीकृत और अंगीकृत कर लिये गये हैं। यद्यपि संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं सरकारी अधिकारियों को लंबित लेखों की जानकारी दे दी गई तथापि सुधार के कोई उपाय नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप हमारे द्वारा इन पीएसयू की शुद्ध परिसम्पत्तियों का निर्धारण नहीं किया जा सका। लंबित लेखों का मामला हमारे द्वारा मुख्य सचिव की जानकारी में भी लाया गया (सितम्बर 2013) ताकि लंबित लेखों का समयबद्ध रूप से जल्दी निपटारा किया जा सके ।

1.26 इन उपरोक्त लंबित लेखों को देखते हुए यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुरूप लेखों के समयबद्ध अंतिमीकरण को सुनिश्चित एवं निगरानी करना चाहिये।

लेखा टिप्पणी एवं आंतरिक अंकेक्षण

1.27 1 अक्टूबर 2012 से 30 सितंबर 2013 तक की अवधि में 14 कार्यरत कंपनियों ने अपने 23 अंकेक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किए। इनमें से 13 कंपनियों[19] का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए किया गया। सीएजी द्वारा नियुक्त वैधानिक अंकेक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा दर्शाती है कि लेखों के रखरखाव की गुणवत्ता में सुधार किये जाने की आवश्यकता है। वैधानिक अंकेक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के समग्र मौद्रिक मूल्य का विवरण आगे दिया गया है:

क्र.सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	3	1027.92	8	1024.43	6	9.41
2.	हानि में वृद्धि	1	0.36	-	-	4	42.66
3.	लाभ में वृद्धि	2	3.66	-	-	4	10.90
4.	हानि में कमी	-	-	1	6469.24	3	129.49
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	1	15.62	-	-	-	-

1.28 वर्ष 2012-13 के दौरान, वैधानिक अंकेक्षकों ने आठ लेखों को अमर्यादित प्रमाण पत्र तथा 15 लेखों को मर्यादित प्रमाण पत्र प्रदान किए। कंपनियों द्वारा लेखा मानकों (ए.एस.) का अनुपालन सामान्यतः संतोषजनक रहा क्योंकि वर्ष के दौरान केवल नौ मामलों में ए.एस-15[20], तीन मामलों में ए.एस.-2[21] तथा

[19] सीआरबीईकेवीएनएल, सीआरवीवीएनएल, सीआईडीसी, सीएमडीसी, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, सीआईएसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसएसीएसीएल तथा सीएसपीएचसीएल, सीएमएससीएल तथा सीएसपीटीआरसीएल

[20] ए.एस.-15 : नियोक्ता के वित्तीय विवरणों में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन

[21] ए.एस.-2 : स्कंध का मूल्यांकन

ए.एस.-28[22] एवं एक मामले में, ए.एस.-1[23], ए.एस.-9[24], ए.एस.-21[25], ए.एस.-23[26] तथा ए.एस.-27[27] का गैर अनुपालन देखा गया ।

1.29 वर्ष 2012-13 के दौरान अंतिमीकृत कंपनी लेखों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां आगे दी गई हैः

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (2007-08)

- 1 जनवरी 2006 से प्रभावी छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप जो देय वेतन 31 मार्च 2008 तक बकाया था, का प्रावधान नहीं किये जाने के कारण पूर्व अवधि व्यय तथा कर्मचारियों को भुगतान के लिए प्रावधान क्रमशः ₹ 95 लाख तथा ₹ 62 लाख कम करके दिखाया गया एवं लाभ को ₹ 1.57 करोड़ से बढ़ाकर दिखाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (2010-11)

- पश्चिमी क्षेत्र विद्युत समिति को माह मार्च 2011 का अनिर्धारित इंटरचेंज शुल्क बिल का भुगतान माह अप्रैल 2011 को किया, जिसका प्रावधान नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप चालू देयताओं तथा प्रावधान एवं हानि को ₹1.02 करोड़ से कम करके दिखाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (2011-12)

- कंपनी ने नवंबर 2000 से 2011-12 तक मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमपीपीकेवीवीसीएल) के साथ द्विपक्षीय लेनदेन के गैर लेखाकरण के परिणामस्वरूप शुध्द हानि तथा अन्य चालू देयाताओं को ₹ 9.40 करोड़ से कम करके दिखाया गया है।
- छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड को देय अधिभार का कम प्रावधान करने के कारण विद्युत क्रय लागत एवं हानि तथा संबंधित अन्य चालू देयताएँ को ₹6.49 करोड़ से कम करके दिखाया गया।
- गत वर्ष 2007-08 से 2010-11 में कर के कम कटौती/कर का स्त्रोत पर कटौती को विलंब से जमा करने पर आयकर विभाग द्वारा माह नवंबर 2011 से दिसंबर 2012 के दौरान ब्याज की मांग की गई जिसका प्रावधान नही करने के कारण वर्ष 2011-12 में अन्य चालू देयताओं एवं हानि को ₹ 0.54 करोड़ से कम करके दिखाया गया।
- 31 मार्च 2012 तक कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसी) से रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार के संबंध में ₹ 8.98 करोड़ का दावा जो कि एमपीपीएमसी से विवादित था तथा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग में विचारित था, का लेखों की टिप्पणियों में दिखाया नहीं गया।

[22] ए.एस-28: संपत्तियों का क्षय
[23] ए.एस-1: लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण
[24] ए.एस-9: राजस्व की पहचान
[25] ए.एस-21: समेकित वित्तीय विवरण
[26] ए.एस-23: समेकित वित्तीय विवरणो से संबंधित निवेशों का लेखांकन
[27] ए.एस-27: संयुक्त उपक्रमों के हितों का वित्तीय प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (2010-11)

- सीएसपीटीसीएल द्वारा 33.21 प्रतिशत की जगह 33.99 प्रतिशत का गलत आयकर की दर लगाने के कारण शुद्ध हानि एवं आस्थगित कर देयताओं को ₹ 80.22 लाख से बढ़ाकर दिखाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (2010-11)

- 31 मार्च 2011 को जल संसाधन विभाग को देय जल प्रभार ₹ 2.00 करोड़ (₹ 1.96 करोड़ पूर्व की अवधि जो कि 1 अप्रैल 2010 से पहले से संबंधित था और ₹ 0.04 करोड़ मार्च 2011 से संबंधित था) का प्रावधान नहीं करने के कारण चालू देयतायें ₹2.00 करोड़ से कम, पूर्व अवधि व्यय ₹1.96 करोड़ तथा इसके साथ ही हानि को ₹2.00 करोड़ से कम दिखाया गया।
- साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) को मार्च 2007 से अगस्त 2007 तक देय रायल्टी जो कि अगस्त 2011 में भुगतान किया गया का प्रावधान नहीं करने के कारण चालू देयताओं तथा हानि को ₹ 55.51 लाख से कम करके दिखाया गया।
- 26 फरवरी 2011 को हुई मीटिंग की कार्यवाही विवरण के अनुसार कंपनी में एसईसीएल को मार्च 2007 से अगस्त 2007 तक कुसमुन्डा खान से कोयला आपूर्ति के एवज में सतह परिवहन शुल्क का भुगतान करना स्वीकार किया, जिसका प्रावधान नहीं करने के कारण चालू देयताएँ, पूर्व अवधि व्यय तथा हानि को ₹ 7.02 करोड़ से कम करके दिखाया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को पारेषित विद्युत के सम्बन्ध में राज्य सरकार को देय दो पैसे प्रति इकाई की दर से विद्युत शुल्क का प्रावधान नहीं करने के कारण विद्युत शुल्क एवं उपकर विविध देनदार के लिये प्रावधान को ₹57.05 करोड़ से कम दिखाया गया।
- 1 जनवरी 2009 से 31 मार्च 2011 तक की अवधि के लिये मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 की धारा 5(2) के अनुसार राज्य सरकार को सीएसपीडीसीएल को प्रेषित ऊर्जा पर देय विद्युत शुल्क का भुगतान न किये जाने पर राज्य सरकार को 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से दण्डीय ब्याज देय है जिसका प्रावधान नहीं करने के कारण विद्युत शुल्क एवं उपकर के प्रावधान तथा हानि को ₹ 14.69 करोड़ से कम करके दिखाया गया।
- सहायक खपत के लिये राज्य सरकार को 31 मार्च 2011 को देय विद्युत शुल्क और ऊर्जा विकास उपकर का कम प्रावधान करने के कारण विद्युत शुल्क एवं उपकर के लिये प्रावधान तथा हानि को ₹ 1.47 करोड़ से कम करके दिखाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (2011-12)

- 31 मार्च 2012 को पीएफसी से ₹ 200 करोड़ का ऋण लिया तथा जिस पर ब्याज उपार्जित परन्तु देय नहीं, के गैर लेखांकन के कारण लाभ को ₹1.10 करोड़ से बढ़ाकर दिखाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2011-12)

- कंपनी ने राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित भूमि पर ₹ 50 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ₹5.91 करोड़ भूभाटक का भुगतान करने की सहमति दी, जिसका प्रावधान नही करने के कारण ₹ 5.91 करोड़ से अन्य चालू देयताओं को कम करके तथा लाभ को बढ़ाकर दिखाया गया।

1.30 इसी प्रकार, वर्ष 2012-13 के दौरान कार्यरत छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम ने वर्ष 2011-12 के लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किए। सांविधिक अंकेक्षको द्वारा लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र दिया गया तथा निगम के लेखों को अनुपूरक लेखा परीक्षा हेतु चयनित किया गया। इस पर वैधानिक अंकेक्षक तथा सीएजी की टिप्पणियों के समग्र मौद्रिक मूल्य का विवरण आगे दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	1	0.81
2	लाभ में कमी	2	3607.91	2	1056.20	-	-
3	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	1	1.93	-	-	-	-
	योग		**3609.84**		**1056.20**		**0.81**

1.31 छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के वर्ष 2011-12 के लेखों के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी आगे दी गई है:

- आस्थगित कर ₹ 15.78 लाख के स्थान पर ₹ 83.17 लाख का त्रुटिपूर्ण समायोजन करने के परिणामस्वरूप ₹ 67.39 लाख से आस्थगित कर के प्रावधान को कम करके दिखाया गया तथा लाभ को बढ़ाकर दिखाया गया।

लेखापरीक्षा के फलस्वरूप वसूलियाँ

1.32 वर्ष 2012-13 में लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न पीएसयू के प्रबंधन को ₹78.21 करोड़ की वसूली बतायी गई, जिसमें ₹5.55 करोड़ स्वीकार की तथा उसकी वर्ष 2012-13 के दौरान वसूली की गयी।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.33 निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी द्वारा निर्गत पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को राज्य विधायिका में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दर्शाती है।

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जिसमें पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका में रखा गया		
		पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि	विधायिका में रखे जाने कि तिथि
1.	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम	2011-12	21.02.2013	16.07.2013

(स्त्रोतः निगम द्वारा प्रस्तुत जानकारी से संकलित आंकड़े)

विद्युत क्षेत्र में सुधार

1.34 विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के विखण्डन की प्रक्रिया पूर्ण की गई। मण्डल का विखण्डन पाँच कंपनियों[28] में हुआ जो 1 जनवरी 2009 से प्रभावी था।

1.35 राज्य ने मई 2004 में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के तहत् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग) की स्थापना विद्युत प्रशुल्क को युक्तिसंगत करने, राज्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण व वितरण संबंधी मामलों में सलाह देने एवं अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) को जारी करने के उद्देश्यों के साथ की। वर्ष 2012-13 के दौरान आयोग ने वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं पर 12 और 47 अन्य आदेश जारी किये।

1.36 केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश सरकार ने मई 2000 में विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए संयुक्त प्रतिबद्धता के साथ चिन्हित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। यद्यपि नवंबर 2000 में मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य के विभाजन के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य किसी एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं हुए। परिणामस्वरूप सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और चिन्हित उद्देश्यों की उपलब्धियों को निर्धारित नहीं किया जा सका।

[28] सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीआरसीएल, और सीएसपीटीसीएल

दूसरा अध्याय

2. सरकारी कंपनी से संबंधित समीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विभिन्न योजनाओं के तहत चावल, गेहूँ एवं शक्कर के उपार्जन, भंडारण एवं वितरण की समीक्षा

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

भारत सरकार (जीओआई) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की विभिन्न योजनाओं में वितरण के लिए राज्य के लाभान्वितों की संख्या के अनुसार राज्य को योजनावार खाद्यान्नों का आबंटन जारी करती है। छत्तीसगढ़ सरकार (जीओसीजी) का खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (विभाग) इसके आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) को खाद्यान्नों के उपार्जन, भंडारण एवं जिले के लाभार्थियों को वितरण हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिए जिलेवार आबंटन जारी करती है। कंपनी पीडीएस के लिए मुख्य अभिकरण के रूप में कार्य करती है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य पीडीएस की विभिन्न योजनाओं के तहत् खाद्यान्नों का उपार्जन, भंडारण एवं वितरण करना जिससे कि जीओआई/जीओसीजी द्वारा बनायी गयी योजनाओं के अनुसार लाभान्वितों को खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना जो कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए तथा राज्य में चावल का उपार्जन, स्टाक बनाये रखने एवं चावल वितरण में मितव्ययिता बनाए रखने के लिए लागू (अप्रैल 2002) की गई थी। कंपनी द्वारा गेहूँ की खरीदी भारत सरकार द्वारा निर्धारित रियायती दर पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से की जाती है तथा शक्कर की खरीदी कंपनी द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित शक्कर मिलों से निर्धारित दर पर की जाती है एवं लाभान्वितों को निर्गमित किया जाता है।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान पीडीएस के तहत् भारत सरकार/छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं के मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वयन का आंकलन करने के लिए कंपनी के निष्पादन की समीक्षा की गई।

चावल, गेहूँ एवं शक्कर के उपार्जन की योजना

पीडीएस की विभिन्न योजनाओं के तहत् वितरण के लिए चावल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभाग छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान खरीदती है और कंपनी को कस्टम मिल्ड राईस (सीएमआर) मार्कफेड के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए विभाग खरीफ विपणन वर्ष के दौरान उपार्जित किये जाने वाले चावल की अनुमानित मात्रा को प्रदर्शित करते हुए सीएमआर से संबंधित नीति प्रत्येक वर्ष जारी करती है जिसका कंपनी अनुसरण करती है। गेहूँ एवं शक्कर के उपार्जन के लिए कंपनी, विभाग द्वारा दिये गये आबंटन का अनुसरण करने के लिए बाध्य है।

चावल, गेहूँ एवं शक्कर का भण्डारण एवं परिवहन

भण्डारण हानि के मापदण्ड के अभाव में वास्तविक प्रतिपूर्ति योग्य हानि के आंकड़ों को कंपनी द्वारा संधारित नहीं किया गया। राज्य भण्डारगृह निगम (एसडब्ल्यूसी)/ केन्द्रीय भण्डारगृह निगम (सीडब्ल्यूसी) के गोदामों में भंडारित स्थान की आवश्यकता का निर्धारण सही ढ़ंग से नहीं किया गया इसके कारण कंपनी, गोदामों के आरक्षण का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकी एवं भण्डारित स्थान के उपयोग न करने के कारण ₹ 7.58 करोड़ का भुगतान हुआ। एक ही संभाग के विभिन्न आधार डिपो के परिवहन दर में अत्यधिक अन्तर था एवं पड़ोसी संभागों की दरों की तुलना करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कंपनी ने परिवहन ठेकेदारों से निर्धारित दर से कम दर पर शास्ति की वसूली की।

भारत सरकार/छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत् खाद्यान्नों का वितरण

वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान कंपनी ने विभिन्न योजनाओं के तहत् चावल एवं गेहूँ के लिए दिये गये आबंटन के विरूद्ध कम मात्रा का वितरण किया, जिसके कारण इच्छित लाभार्थियों को इसका पूर्ण लाभ नहीं पहुँच पाया। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर भारत सरकार के निर्देश का उल्लंघन करते हुए कंपनी ने 7.43 लाख मीट्रिक टन चावल एवं 1.91 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का केंद्रीय योजना से राज्य की योजना (मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना) में परिवर्तित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1975.43 करोड़ मूल्य के खाद्यान्नों का एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन हुआ एवं ₹ 899.12 करोड़ का गलत दावा भारत सरकार से किया गया। कंपनी ने मध्यान्ह भोजन योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजना के तहत् भारत सरकार के आबंटन दिये बगैर ही चावल का वितरण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.78 करोड़ की प्राप्ति नहीं हुई।

वित्तीय प्रबंध

कंपनी के लेखों के अन्तिमीकरण में विलंब था जिसके कारण वह अंकेक्षित लेखे भारत सरकार को समय पर प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिससे ₹ 760.93 करोड़ का सब्सिडी का दावा अवरूद्ध रहा। परिणामस्वरूप ₹ 186.81 करोड़ की ब्याज की हानि हुई। ₹ 1.48 करोड़ की बकाया राशि विभाग की अप्रभावी कार्यवाही के कारण उचित मूल्य दुकानों से वसूली नहीं जा सकी।

जनशक्ति का नियोजन

18 जिलों में जिला प्रबंधकों के पद का कार्य सहायक प्रबंधकों/सहायक लेखा अधिकारियों द्वारा किया गया। इस प्रकार इन सहायक प्रबंधकों/सहायक लेखाअधिकारियों के कार्य पर कोई पर्यवेक्षण नहीं था।

निगरानी और आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

विभिन्न संस्थाओं के मध्य सामंजस्य का अभाव था, जिसके कारण आधिक्य स्कन्ध का भण्डारण एवं तदोपरान्त भण्डारण शुल्क का परिहार्य व्यय हुआ। भारत सरकार/छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आबंटित मात्रा में भिन्नता थी, जिसके कारण खाद्यान्नों का आधिक्य/कम वितरण हुआ एवं कंपनी द्वारा भारत सरकार को गलत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अमल में लाने के कारण कंपनी में एक अच्छी निगरानी एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। यद्यपि विभिन्न संग्रहण बिंदु पर स्कन्ध के आकस्मिक जाँच की कोई प्रणाली नहीं है एवं कंपनी में कोई सतर्कता अनुभाग नहीं है।

निष्कर्ष

भण्डारण स्थान के उपयोग न होने एवं विभिन्न योजनाओं के तहत् खाद्यान्नों के आधिक्य/कम वितरण के मामले पाये गये। भण्डारण हानि के मापदण्ड के अभाव में वास्तविक प्रतिपूर्ति योग्य हानि के आंकड़ों को कंपनी द्वारा संधारित नहीं किया गया। भण्डारण स्थान का आरक्षण आवश्यकता से अधिक होने के कारण भण्डारण स्थान का कम उपयोग हुआ। पड़ोसी संभागों की दरों से तुलना किये बिना परिवहन ठेकों का अन्तिमीकरण किया गया जिसके परिणामस्वरूप परिवहन दरों में अत्यधिक अन्तर था। कंपनी ने परिवहन ठेकेदारों से निर्धारित दर से शास्ति की वसूली नहीं की। कंपनी ने खाद्यान्नों को केन्द्रीय योजनाओं से राज्य योजना में परिवर्तित किया। भारत सरकार के आबंटन के बिना मध्यान्ह भोजन योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में चावल का वितरण किया गया। लेखों के अन्तिमीकरण में विलंब के कारण भारत सरकार से सब्सिडी प्राप्त नही हुई। कंपनी ने भंडारण स्थलों की समय-समय पर आकस्मिक जाँच करने की व्यवस्था निर्धारित नहीं की।

प्रस्तावना

2.1 भारत सरकार (जीओआई) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की विभिन्न योजनाओं में वितरण के लिए राज्य के लाभान्वितों[1] की संख्या के अनुसार राज्य को योजनावार खाद्यान्नों[2] का आबंटन जारी करती है। छत्तीसगढ़ सरकार (जीओसीजी) का खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (विभाग) इसके आधार पर एवं प्रत्येक जिले के लाभान्वितों की संख्या को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कंपनी) को खाद्यान्नों के उपार्जन, भंडारण एवं जिले के लाभार्थियों को वितरण हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिए जिलेवार[3] आबंटन जारी करता है। कंपनी पीडीएस के लिए मुख्य अभिकरण (नोडल एजेंसी) के रूप में कार्य करती है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य पीडीएस की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्नों का उपार्जन, भंडारण एवं वितरण करना है जिससे कि जीओआई/जीओसीजी द्वारा बनायी गयी योजनाओं के अनुसार लाभान्वितों को खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

चावल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभाग छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के माध्यम से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान उपार्जन करता है और मिलर्स को मिलिंग के लिए देता है। मिलिंग उपरांत चावल कस्टम मिल्ड चावल (सीएमआर) कहलाता है जिसे कंपनी, विभाग द्वारा विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना (डीसीपी), जो कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने तथा राज्य में चावल का स्टाक बनाये रखने एवं डीसीपी के अन्तर्गत वितरित चावल में मितव्ययिता बनाने रखने के लिए लागू की गई (अप्रैल 2002) थी, के अधीन दिये गये आबंटन के आधार पर मार्कफेड से उपार्जित करती है। राज्य को चावल का आबंटन देने के साथ ही भारत सरकार केन्द्रीय निर्गमन दर[4] (सीआईपी) निर्धारित करती है। कंपनी द्वारा मार्कफेड से उपार्जित किये गये चावल की लागत एवं केन्द्रीय निर्गमन मूल्य के अन्तर की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा कंपनी को की जाती है जिसे केन्द्रीय सब्सिडी कहा जाता है। यद्यपि, राज्य सरकार इसे और रियायती दर पर लाभान्वितों को निर्गमित करती है तथा केन्द्रीय निर्गमन मूल्य एवं अतिरिक्त रियायती दर के अन्तर की प्रतिपूर्ति कंपनी को की जाती है जिसे राज्य सब्सिडी कहा जाता है।

कंपनी भारत सरकार द्वारा निर्धारित रियायती दर पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से गेहूँ उपार्जित करती है। यद्यपि, राज्य सरकार इसे और अतिरिक्त रियायती दर पर लाभान्वितों को निर्गमित करती है तथा एफसीआई दर और अतिरिक्त रियायती दर के अन्तर की प्रतिपूर्ति कंपनी को राज्य सरकार द्वारा राज्य सब्सिडी के रूप में की जाती है। इसी तरह, शक्कर भी कंपनी, भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई शक्कर मिलों से निर्धारित दर पर उपार्जित करती है एवं लाभान्वितों को निर्गमित करती है। कंपनी द्वारा शक्कर के उपार्जन एवं वितरण में

[1] राशनकार्डधारी, मध्यान्ह भोजन योजना के अधीन विद्यार्थी, गभर्वती महिला तथा छः माह से छः वर्ष के विद्यार्थी तथा एस सी/एस टी होस्टल के विद्यार्थी।

[2] चावल, गेहूँ और शक्कर।

[3] जिलेवार में ब्लॉकवार, उचित मूल्य दुकानवार एवं राशनकार्डधारीवार आबंटन सम्मिलित है।

[4] मूल्य जिस पर पीडीएस के अन्तर्गत लाभार्थियों को चावल निर्गमित किया जाता है।

किये गये व्यय एवं इसके विक्रय से प्राप्ति के अन्तर की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा लेवी शुगर प्राईस इक्वीलाइजेशन फण्ड[5] से की जाती है।

कंपनी उपार्जित किये गये खाद्यान्नों को छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (एसडब्ल्यूसी) एवं केन्द्रीय भण्डारगृह निगम (सीडब्ल्यूसी) के गोदामों में भंडारित करती है जिसके लिए कंपनी भण्डारण शुल्क का भुगतान करती है। पीडीएस की विभिन्न योजनाओं के अधीन लाभान्वितों को वितरित करने के लिए खाद्यान्नों को इन गोदामों से उचित मूल्य दुकानों (एफपीएस) तक परिवहन किया जाता है।

पीडीएस के अन्तर्गत खाद्यान्नों का वितरण भारत सरकार की सात योजनाओं और छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना में किया जाता है जिसका संक्षिप्त विवरण ***अनुलग्नक - 2.1*** में दिया गया है।

संगठन संरचना

2.2 कंपनी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (विभाग) के प्रशासकीय नियंत्रण में आती है जिसका प्रमुख, सचिव होता है। संचालक मण्डल (बीओडी) में दो[6] कार्यशील एवं सात[7] अकार्यशील संचालक निहित है। प्रबंध संचालक (एमडी) कंपनी का मुख्य कार्यकारी होता है जिसकी सहायता एक महाप्रबंधक, मुख्यालय का एक कंपनी सचिव एवं जिले के 27 जिला प्रबंधक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चावल, गेहूँ, शक्कर एवं अन्य कमोडिटी के उपार्जन, भंडारण एवं वितरण के सम्पूर्ण प्रबंधन करते है।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

2.3 समीक्षा में विभाग और कंपनी द्वारा 2008-09 से 2012-13 में पीडीएस की विभिन्न योजनाओं के तहत चावल, गेहूँ और शक्कर का किये गये उपार्जन, संग्रहण एवं वितरण सम्मिलित है। प्रारंभिक अध्ययन एवं मौलिक जानकारी एकत्रित करने के बाद 30 अप्रैल 2013 को विभाग के सचिव एवं कंपनी के प्रबंध संचालक के साथ एक प्रवेश सम्मेलन रखा गया जिसमें लेखापरीक्षा का क्षेत्र, उद्देश्य एवं कार्यविधि पर चर्चा की गई। समीक्षा विभाग, मुख्यालय एवं कंपनी के 18 जिला कार्यालयों[8] (डीओ) में से नौ[9] जिला कार्यालयों के दस्तावेजों को सम्मिलित करते हुए मई 2013 से जून 2013 के दौरान संपादित की गई। इन जिलों का चयन आबंटन, उपार्जन एवं पीडीएस सामग्री के उठाव की अधिकतम मात्रा तथा उचित मूल्य दुकानों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किया गया। लेखापरीक्षा आपत्तियाँ कंपनी एवं राज्य शासन को जुलाई 2013 में प्रेषित की गई एवं कंपनी का उत्तर 5 सितम्बर 2013 को प्राप्त हुआ। यद्यपि, राज्य शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

[5] लेव्ही शुगर प्राईस इक्वीलाइजेशन फण्ड एक फण्ड है जो कि यह सुनिश्चित करता है कि लेव्ही शक्कर का मूल्य पूरे देश भर में एक समान रहे।

[6] एक अध्यक्ष एवं एक प्रबंध निदेशक।

[7] प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, कृषि विभाग, सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, खाद्य विभाग, सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, वित्त विभाग, दो विधायक एवं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नामांकित दो अन्य सदस्य।

[8] रायपुर, महासमुन्द, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जाँजगीर, रायगढ़, सरगुजा, जगदलपुर, कोरबा, दन्तेवाड़ा, कांकेर, धमतरी, बैकुंठपुर, जशपुर, नारायणपुर, बीजापुर, एवं कवर्धा तदोपरान्त, 1 जनवरी 2012 से नौ नये जिले बनाये गये।

[9] रायपुर, महासमुन्द, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, सरगुजा एवं जगदलपुर।

(सितम्बर 2013)। समीक्षा अंतिमीकरण के दौरान कंपनी द्वारा दिये गये उत्तर को ध्यान में रखा गया। लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए विभाग के सचिव के साथ निर्गमन सम्मेलन 18 सितम्बर 2013 को आयोजित किया गया।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.4 समीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि

i. कंपनी ने छत्तीसगढ़ सरकार की खाद्य एवं उपार्जन योजना और भारत सरकार द्वारा दिये गये आबंटन के अनुसार चावल, गेहूँ एवं शक्कर के उपार्जन, भंडारण एवं वितरण के लिए वार्षिक योजना तैयार की थी ;

ii. चावल, गेहूँ एवं शक्कर का भंडारण तथा परिवहन कुशल एवं मितव्ययी था;

iii. विभिन्न योजनाओं के तहत लक्षित वर्गों को चावल, गेहूँ एवं शक्कर का वितरण पर्याप्त एवं प्रभावी था;

iv. कंपनी का वित्तीय प्रबंधन प्रभावी एवं कुशल था;

v. कंपनी के कार्य संचालन के लिए पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध थी एवं जनशक्ति की कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से तैनाती की गई;

vi. निगरानी प्रणाली, आन्तरिक नियंत्रण एवं स्कूली शिक्षा विभाग, भारतीय खाद्य निगम, राज्य भंडारगृह निगम/केन्दीय भण्डार गृह निगम और विभाग के साथ सामंजस्य प्रभावी एवं कुशल था।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.5 कंपनी के निष्पादन का आंकलन करने के लिए अपनाये गये मानदण्डों को निम्नलिखित से तैयार किया गया है:

- सब्सिडी का दावा के लिए भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन तथा भारत सरकार/छत्तीसगढ़ सरकार की योजना के दिशा निर्देश;
- छत्तीसगढ़ सरकार की खाद्य एवं उपार्जन नीति;
- भारत सरकार/छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किये गये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, उपार्जन का वार्षिक लक्ष्य एवं वार्षिक बजट;
- वार्षिक लेखे, भारत सरकार द्वारा कस्टम मिल्ड राईस (सीएमआर) की अनुमोदित आर्थिक लागत, विभाग, मार्कफेड, एफसीआई, स्कूली शिक्षा विभाग एवं कंपनी के मध्य सामंजस्य के लिए विभाग के दस्तावेज।

लेखपरीक्षा आपत्तियां

2.6 कंपनी द्वारा पीडीएस की विभिन्न योजनाओं के तहत चावल, गेहूँ एवं शक्कर के उपार्जन, भंडारण और वितरण की समीक्षा में चावल, गेहूँ एवं शक्कर के उपार्जन, भंडारण, परिवहन एवं वितरण, वित्तीय प्रबंधन, जनशक्ति की तैनाती एवं

निगरानी तथा आन्तरिक नियंत्रण में कई विसंगतियाँ पाई गई जिसका उल्लेख उत्तरवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

चावल, गेहूँ एवं शक्कर के उपार्जन, भंडारण एवं वितरण के लिए योजना

2.7 पीडीएस की विभिन्न योजनाओं के तहत वितरण के लिए चावल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभाग किसानों से मार्कफेड के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान खरीदता है और कंपनी को सीएमआर, मार्कफेड के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए विभाग खरीफ विपणन वर्ष (केएमएस) के दौरान उपार्जित किये जाने वाले चावल की अनुमानित मात्रा को प्रदर्शित करते हुए सीएमआर से संबंधित नीति प्रत्येक वर्ष जारी करता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य हस्ताक्षरित (दिसम्बर 2002/सितम्बर 2006) समझौता ज्ञापन पीडीएस के तहत चावल का उपार्जन एवं वितरण नियमित करता है। 2012-13 की समाप्ति के पाँच केएमएस वर्षों के दौरान चावल की अनुमानित मात्रा के उपार्जन की योजना निम्नलिखित है।

वर्ष	चावल की मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)
2008-09	13.20
2009-10	13.00
2010-11	14.00
2011-12	13.00
2012-13	15.00

(स्त्रोतः आंकड़े कंपनी के दस्तावेजों से संकलित किए गये)

कंपनी विभाग द्वारा दिये गये आबंटन के अनुसार चावल, गेहूँ और शक्कर का उपार्जन करने के लिए बाध्य है और तदानुसार कंपनी चावल मार्कफेड से, गेहूँ भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये रियायती दर पर एफसीआई से तथा शक्कर भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर शक्कर मिलों से उपार्जित करती है। यद्यपि, कंपनी ने गेहूँ और शक्कर के उपार्जन के लिए कोई योजना नहीं बनाई क्योंकि वह गेहूँ (एफसीआई से) एवं शक्कर (निर्धारित मिलों से) के उपार्जन के लिए भारत सरकार द्वारा दिये गये आबंटन के आधार पर विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुसरण करती है।

कंपनी ने जिला प्रबंधकों को जिला कलेक्टरों से विचार विमर्श कर विभाग द्वारा दिये जिलेवार आबंटन के आधार पर उपार्जित किये गये खाद्यान्न को एसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी के गोदामों में भण्डारण स्थान के आरक्षण की योजना बनाने की अनुमति दी है। जिला प्रबन्धक विभाग द्वारा दिये गये आबंटन के आधार पर एसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी में भंडारण स्थान का आरक्षण करती है। यद्यपि, अनियमित नियोजन के कारण कंपनी ने अपनी आवश्यकता से अधिक भण्डारण स्थान आरक्षित किया जिससे भण्डारण शुल्क का भुगतान हुआ जिसकी चर्चा उत्तरवर्ती ***कंडिका 2.14*** में की गई है।

खाद्यान्नों को गोदामों से उचित मूल्य दुकानों तक परिवहन के लिए कंपनी संभाग स्तर पर खुली निविदा द्वारा वार्षिक दर अनुबंध को अन्तिम रूप देकर निजी परिवहनकर्ताओं की नियुक्ति करती है। हमने पाया कि खाद्यान्नों के परिवहन ठेके

के समय पर अन्तिमीकरण के कारण खाद्यान्नों का परिवहन बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया गया।

कंपनी विभाग द्वारा दिये गये आबंटन के अनुसार उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न प्रदान करती है। तथा उचित मूल्य दुकान उसे पीडीएस की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित करती है। कंपनी द्वारा खाद्यान्न उचित मूल्य दुकानों को सुचारू रूप से वितरित करने के लिए अलग से कोई योजना नहीं बनायी गई। विभिन्न योजनाओं के तहत खाद्यान्नों का उचित स्तर तक वितरण नहीं हुआ जिससे सुनियोजित योजना के द्वारा बचाया जा सकता था जिसकी चर्चा ***कंडिका 2.21*** में की गई है।

चावल, गेहूँ और शक्कर का आबंटन और उपार्जन

2.8 वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान चावल का आबंटन और उपार्जन का विवरण नीचे दिया गया है:

(मात्रा लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा चावल का आबंटन	छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिये गये आबंटन के आधार पर कंपनी द्वारा उपार्जित	आधिक्य/कमी (-)
2008-09	16.36	17.41	1.05
2009-10	15.18	11.74	(-)3.44
2010-11	13.84	12.19	(-)1.65
2011-12	14.83	16.78	1.95
2012-13	16.58	14.61	(-)1.97
योग	**76.79**	**72.73**	**(-)4.06**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी से संकलित)

तालिका से देखा जा सकता है कि कंपनी ने 2008-09 एवं 2011-12 में चावल के उपार्जन का लक्ष्य हासिल किया। यद्यपि, कंपनी ने 2009-10, 2010-11 एवं 2012-13 में विभाग द्वारा आबंटन कम देने के कारण चावल के उपार्जन का लक्ष्य हासिल नहीं किया।

2009-10, 2010-11 एवं 2012-13 में चावल के कम आबंटन तथा एफसीआई एवं शक्कर मिलों के पास गेहूँ एवं शक्कर की अनुपलब्धता के कारण कंपनी भारत सरकार के आबंटन के अनुसार उपार्जन नहीं कर पायी

2.9 वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान गेहूँ और शक्कर का आबंटन और उपार्जन का विवरण नीचे दिया गया है:

(मात्रा लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	भारत सरकार का आबंटन		उपलब्धता के आधार पर कंपनी द्वारा उपार्जित		आधिक्य/कमी (-)	
	गेहूँ	शक्कर	गेहूँ	शक्कर	गेहूँ	शक्कर
2008-09	1.39	0.54	0.38	0.49	(-) 1.01	(-) 0.05
2009-10	2.67	0.76	2.23	0.60	(-) 0.44	(-) 0.16
2010-11	3.78	0.57	3.33	0.52	(-) 0.45	(-) 0.05
2011-12	4.03	0.59	2.50	0.51	(-) 1.53	(-) 0.08
2012-13	3.02	0.60	3.06	0.53	0.04	(-) 0.07
योग	**14.89**	**3.06**	**11.50**	**2.65**	**(-) 3.39**	**(-) 0.41**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी से संकलित)

कंपनी वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान एफसीआई द्वारा गेहूँ की आपूर्ति/उपलब्ध ना करा पाने के कारण गेहूँ उपार्जन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर

सकी। इसी तरह, कंपनी शक्कर मिलों द्वारा शक्कर की कम आपूर्ति करने के कारण शक्कर उपार्जन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी।

चावल का उपार्जन

2.10 कंपनी का जिला कार्यालय (डीओ) पीडीएस की विभिन्न योजनाओं के तहत वितरण के लिए विभाग द्वारा दिये गये आबंटन के आधार पर मार्कफेड से चावल का उपार्जन करता है। यदि किसी जिला कार्यालय में चावल की कमी रहती है तो उसकी पूर्ति अन्य जिलों से अन्तरण द्वारा की जाती है।

चावल के उपार्जन की अनियमित योजना के कारण ₹ 1.25 करोड़ का परिहार्य परिवहन व्यय का भुगतान

जिला कार्यालयों के चावल के उपार्जन की नमूना जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान चावल उपार्जन की योजना अनियमित थी जिसके कारण परिहार्य परिवहन व्यय हुआ। नौ जिला कार्यालयों की नमूना जाँच में से दो[10] में चावल का पर्याप्त स्कन्ध उपलब्ध रहने के बावजूद अन्य जिलों से चावल का क्रय अन्तरण[11] किया गया जिसके कारण ₹ 1.25 करोड़ का परिवहन शुल्क का भुगतान हुआ जिसे ***अनुलग्नक - 2.2*** में दर्शाया गया है।

प्रबंध ने कहा (सितम्बर 2013) कि आवश्यकता के अनुसार सभी जिलों में चावल उपार्जित नहीं किया जाता। उन जिलों में जहाँ चावल की अधिक मात्रा उपार्जित की जाती है, ऐसा अधिशेष चावल उन जिलों में जिसमें आबंटन से कम मात्रा में चावल उपार्जित किया गया है, परिवहन द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। प्रबंधन ने और कहा कि चूँकि उपरोक्त जिलों में कम उपार्जन हुआ इसलिए अन्य जिलों से क्रय अन्तरण के माध्यम से उपार्जित किया गया।

प्रबंध का उत्तर पुष्टि करता है कि कंपनी द्वारा उपार्जन आवश्यकतानुसार नहीं किया गया। यद्यपि, उत्तर मुख्य बिन्दु जैसे कि दो जिलों में चावल का अधिशेष स्कन्ध रहने के बावजूद अन्तरण आधार पर चावल के क्रय को सम्बोधित नहीं करता।

गेहूँ और शक्कर का उपार्जन

2.11 कंपनी भारत सरकार द्वारा निर्धारित रियायती दर पर एफसीआई से गेहूँ उपार्जित करती है एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से निर्दिष्ट शक्कर मिलों से शक्कर उपार्जित करती है। लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच के दौरान गेहूँ एवं शक्कर के उपार्जन में कोई गंभीर अनियमितता नहीं पाई।

चावल, गेहूँ एवं शक्कर का भण्डारण एवं परिवहन

2.12 खाद्यान्न एसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी के गोदामों में भंडारित किया जाता है तथा विभिन्न उचित मूल्य दुकान तक परिवहन ठेका करके ट्रकों के माध्यम से परिवहन किया जाता है।

[10] राजनांदगांव एवं जांजगीर।

[11] एक जिला कार्यालय द्वारा दूसरे जिला कार्यालयों से चावल की प्राप्ति को कंपनी क्रय अन्तरण कहती है।

खाद्यान्नों का भण्डारण

2.13 कंपनी चावल, गेहूँ एवं शक्कर को एसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी के गोदामों में भंडारित करती है। भण्डारगृह (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 6(1) के अनुसार भण्डारगृह निगम खाद्यान्नों के भण्डारण के दौरान हुई हानि के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है। भण्डारण के दौरान सूखत, लम्बी अवधि के भण्डारण, बोरो में हुकिंग से रिसाव आदि कारणों से खाद्यान्नों की मात्रा में कुछ कमी होना स्वाभाविक है। एफसीआई चावल की भण्डारण हानि के लिए एक प्रतिशत आर्द्रता एवं आनुपातिक रूप से 14 प्रतिशत से कम आर्द्रता की सूखत के लिए 0.70 प्रतिशत भार हानि का मानदण्ड का अनुसरण करती है। यद्यपि कंपनी ने एसडब्ल्यूसी और सीडब्ल्यूसी के साथ भण्डारण हानि की प्रतिपूर्ति की कंडिका सम्मिलित करते हुए कोई अनुबंध निष्पादित नहीं किया।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान चावल, गेहूँ एवं शक्कर की भण्डारण हानि का विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	एसडब्ल्यूसी			सीडब्ल्यूसी		
	चावल	गेहूँ	शक्कर	चावल	गेहूँ	शक्कर
2008-09	1133.42	3.97	0.17	299.32	0.03	7.08
2009-10	1626.40	6.05	4.75	662.67	0.00	2.02
2010-11	2041.76	41.62	5.51	473.78	5.17	9.55
2011-12	1197.47	17.20	0.71	384.81	4.56	3.77
2012-13	2134.42	18.24	1.08	343.42	3.05	23.22
योग	**8133.47**	**87.08**	**12.22**	**2164.00**	**12.81**	**45.64**
महायोग						**10455.22**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों से संकलित)

भंडारण हानि के मानदण्ड की अनुपस्थिति के कारण, कंपनी द्वारा वास्तविक वापसी योग्य हानि के आंकड़े को संधारित नहीं किया गया साथ ही कंपनी को ₹ 104.55 करोड़ की भंडारण हानि हुई।

प्रबंध ने कहा (सितम्बर 2013) कि खरीफ विपणन वर्ष 2002-03 से 2006-07 के लेखे के अन्तिमीकरण के बाद भण्डारण हानि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार को भेजा गया है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रतिबद्धता दी है परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

तथ्य यह रहा कि एसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी के साथ उपयुक्त अनुबंध की अनुपस्थिति, सीडब्ल्यूसी से भण्डारण हानि की वापसी के लिए प्रयासों की कमी के कारण कंपनी ने ₹ 104.55 करोड़ की वापसी योग्य भण्डारण हानि को खो दिया।

भण्डारण स्थान का उपयोग

2.14 कंपनी खाद्यान्नों एवं अन्य कमोडिटी के भण्डारण के लिए एसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी का भण्डारण स्थान आरक्षित करती है एवं इसने सभी जिला कार्यालयों को भण्डारण क्षमता का अधिकतम उपयोग करने का निर्देश दिया (दिसम्बर 2004) है। एसडब्ल्यूसी ने भी स्पष्ट किया (अगस्त 2012) है कि

खाद्यान्न के वैज्ञानिक भण्डारण के लिए भण्डारण स्थान का 75 प्रतिशत तक उपयोग किया जाना है।

रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर एवं महासमुन्द जिले के भण्डारण स्थान की उपयोगिता की नमूना जाँच में हमने पाया कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान कंपनी ने 2263 अवसरों पर 75 प्रतिशत से अधिक भण्डारण स्थान का उपयोग किया, 354 अवसरों पर 75 प्रतिशत से कम एवं 20 अवसरों पर भण्डारण स्थान का कोई उपयोग नहीं किया। इस संबंध में यह भी दर्शाना उल्लेखनीय है कि कंपनी के भण्डारण क्षमता के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के निर्देश (दिसम्बर 2004) के बावजूद जिला कार्यालय इसका अनुपालन करने में विफल रहे एवं अनुपालन न करने के लिए इन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उपयोग न किये गये भण्डारण स्थान के लिए भुगतान किये गये भण्डारण शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

जिला कार्यालय का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
महासमुन्द	15.05	27.75	10.84	13.66	2.55	**69.85**
बिलासपुर	7.38	59.32	4.80	9.15	5.06	**85.71**
जगदलपुर	13.62	--	--	13.60	18.25	**45.47**
रायपुर	247.19	218.41	14.92	21.56	54.57	**556.65**
योग	**283.24**	**305.48**	**30.56**	**57.97**	**80.43**	**757.68**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा उपलबध कराये गये आंकड़ों से सकंलित)

भण्डारण स्थान के आरक्षण की आवश्यकता के आकलन में विफलता के कारण ₹ 7.58 करोड़ का परिहार्य भण्डारण शुल्क का भुगतान

इस प्रकार, कंपनी के बारम्बार निर्देशों के बावजूद जिला कार्यालय एसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी के गोदामों की भण्डारण क्षमता के आरक्षण की आवश्यकता का आकलन करने में असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹7.58 करोड़ के भण्डारण शुल्क का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबंध ने कहा (सितम्बर 2013) कि गोदामों का आरक्षण आबंटनों के आधार पर हुआ। अनेक अवसरों पर कंपनी आबंटन के अनुसार खाद्यान्न उपार्जित नहीं कर पाती, जिसके कारण आरक्षण का पूर्णरूप से उपयोग नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, एसडब्ल्यूसी न्यूनतम तीन माह की अवधि के लिए आरक्षण प्रदान करती है। यद्यपि, उपार्जन माहवार किया जाता है। प्रबंध ने पुनः कहा कि वास्तविक उपयोगिता के अनुसार एसडब्ल्यूसी के गोदामों में आरक्षण का मामला छत्तीसगढ़ सरकार के संज्ञान में लाया गया (मई 2013) है, जिससे कंपनी भण्डारण स्थान की वास्तविक उपयोगिता के अनुसार ही भण्डारण शुल्क का भुगतान कर सके। शासन स्तर पर निर्णय अभी तक लंबित है।

प्रबंध का उत्तर पुष्टि करता है कि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति उठाने के बाद कंपनी द्वारा भण्डारण स्थान की वास्तविक उपयोगिता के आधार पर भण्डारण शुल्क के भुगतान का मामला छत्तीसगढ़ सरकार के संज्ञान में लाया गया।

चावल के नमूने का लेखांकन न करना

2.15 कंपनी द्वारा सीएमआर एवं लेवी चावल एसडब्ल्यूसी के गोदामों में एक मानक आकार के भार (50 किलोग्राम बोरी के साथ अधिकतम 270 क्विंटल) में स्वीकार किया जाता है। मिलर्स से चावल की प्राप्ति पर, गुणवत्ता के मानकों का

विश्लेषण के लिए प्रत्येक लाट से 500 ग्राम के तीन नमूने लिये जाते हैं। एक नमूना चावल मिलर्स को सुपुर्द किया जाता है तथा एक-एक नमूना प्राप्ति केन्द्र एवं कंपनी के सम्बन्धित जिला कार्यालयों में रखा जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश (नवम्बर 2003) के अनुसार ऐसे एकत्रित किये गये नमूने को नमूना लेने की तिथि से तीन माह पश्चात् नष्ट[12] किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कंपनी ने चावल के नमूने के लेखा के संधारण एवं उसे नष्ट करने की कोई प्रक्रिया विकसित नहीं की। इसलिए 2008-09 से 2011-12 की अवधि में चावल के नमूने के निपटान का कोई दस्तावेज नहीं रखा गया। इन दस्तावेजों के अभाव में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि नमूना लेने की तिथि से तीन माह पश्चात् चावल के नमूने को नष्ट किया गया या नहीं। गोदामों/मुख्यालय में रखे हुए चावल के नमूने की मात्रा के उचित दस्तावेजों के अभाव में ₹ 38.37 लाख मूल्य के ऐसे चावल की हेराफेरी की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

₹ 38.37 लाख के मूल्य के नमूना चावल का लेखांकन न करना

तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रबंध ने कहा (सितम्बर 2013) कि वर्ष 2012-13 के दौरान जिला कार्यालयों (फरवरी 2012) को चावल के नमूने को डाटाबेस मे दर्ज करते हुए दस्तावेज संधारित करने के निर्देश देकर आवश्यक कार्यवाही कर ली है ।

परिवहन दर के अन्तिमीकरण की प्रणाली

2.16 कंपनी समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रण की सूचना प्रकाशित करने के साथ ही उसे छत्तीसगढ़ सरकार को वेबसाईट पर अपलोड कर खाद्यान्नों के परिवहन की खुली निविदायें आमंत्रित करती है। तदानुसार, विभिन्न संभागों के भिन्न-भिन्न जिलों में स्थित एक आधार डिपो से दूसरे आधार डिपो तक खाद्यान्नों एवं शक्कर के परिवहन के लिए वार्षिक दरों के अन्तिमीकरण के लिए कंपनी संभाग स्तर पर (कार्य संबंधित संभाग के निवासी को प्रदान किया जाता है) खुली निविदायें आमंत्रित करती है। परिवहन की उपरोक्त प्रणाली को लम्बी दूरी का परिवहन (एलआरटी) कहा जाता है। स्थानीय क्षेत्र के अन्दर खाद्यान्न के परिवहन के लिए एलआरटी लोकल के तहत परिवहन किया जाता है। निविदा में प्राप्त दर के आधार पर एलआरटी 1 से 25 किलोमीटर लीड के लिए प्रति मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर एवं सामान्य लीड[13] के लिए प्रति मीट्रिक टन (एमटी) की दर से कंपनी वार्षिक परिवहन दर को अन्तिम रूप देती है।

परिवहन दरों को अन्तिम रूप देते समय पड़ोसी संभागों के आधार डिपों की दरों से तुलना नहीं की जाती जिससे कि निविदाकर्ताओं से प्रभावी बातचीत करके प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त किया जा सके एवं पूर्व वर्ष की दर के आधार पर ही परिवहन दर को अन्तिम रूप दिया जाता है। इस प्रकार, कंपनी द्वारा परिवहन दर के अन्तिमीकरण के लिए अपनाई गयी प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव के कारण परिवहन दरो में बहुत अन्तर था जिसकी चर्चा नीचे की गई है ।

[12] एफसीआई द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार नमूना लेने की तिथि से तीन माह पश्चात नमूना चावल को नष्ट करना।

[13] रेलवे स्टेशन या एफसीआई के आधार डिपो से कंपनी के आधार डिपो तक खाद्यान्नों का परिवहन।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लिए रायपुर एवं बिलासपुर संभाग में एलआरटी लोकल लीड हेतु प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम दर का प्रति मीट्रिक टन की दर से वर्षवार विवरण नीचे तालिका में प्रदर्शित है।

(राशि ₹ में)

रायपुर संभाग	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
न्यूनतम	89 (राजनांदगांव)	111 (खरोरा)	120 (नेवरा)	132 (नेवरा)	132 (नेवरा)
अधिकतम	250 (बलौदाबाजार)	250 (बलौदाबाजार)	291 (कवर्धा)	256 (दुर्ग)	280 (बागबहरा)
दर अंतर	161	139	171	124	148
अंतर का प्रतिशत	181.00	125.23	142.50	93.94	112.12
बिलासपुर संभाग	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
न्यूनतम	68 (नैला)	120 (खरसिया)	140 (नैला)	133 (नैला)	145 (खरसिया)
अधिकतम	228 (बिलासपुर)	275 (बिलासपुर)	315 (पैंड्रारोड)	327 (जयरामनगर)	327 (जयरामनगर)
दर अन्तर	160	155	175	194	182
अंतर का प्रतिशत	235.29	129.17	125.00	145.86	125.52

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों से संकलित)

परिवहन दरों में असामान्य भिन्नता

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2008-09 से 2012 -13 के दौरान खाद्यान्न के न्यूनतम एवं अधिकतम परिवहन दर के प्रतिशतता का अन्तर रायपुर संभाग में 93.94 एवं 181.00 तथा बिलासपुर संभाग में 125.00 एवं 235.29 के बीच था।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लिए रायपुर एवं बिलासपुर संभाग में एलआरटी 1 से 25 किलोमीटर लीड में प्रति मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर दर का वर्षवार विवरण नीचे तालिका में प्रदर्शित हैः

(राशि ₹ में)

रायपुर	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
न्यूनतम	4.31 (दुर्ग)	7.48 (राजनांदगांव)	8.60 (राजनांदगांव)	9.60 (बालोद)	10.56 (नेवरा)
अधिकतम	15.3 (हथखोज)	21.00 (दुर्ग)	22.40 (हथखोज)	24.78 (हथखोज)	24.78 (हथखोज)
दर अंतर	10.99	13.52	13.80	15.18	14.22
अंतर का प्रतिशत	254.99	180.75	160.47	158.13	134.66
बिलासपुर	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
न्यूनतम	6.40 (अकलतरा)	6.95 (खरसिया)	8.20 (खरसिया)	8.98 (खरसिया)	8.98 (खरसिया)
अधिकतम	11.75 (बिल्हा)	16.75 (नैला)	16.50 (बिलासपुर)	17.98 (बिल्हा)	17.98 (बिल्हा)
दर अंतर	5.35	9.80	8.30	9.00	9.00
अंतर का प्रतिशत	83.59	141.01	101.22	100.22	100.22

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकडों से संकलित)

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान खाद्यान्न के न्यूनतम एवं अधिकमत पारिवहन दर के प्रतिशतता का अन्तर रायपुर संभाग में 134.66 एवं 254.99 तथा बिलासपुर संभाग में 83.59 एवं 141.01 के बीच था।

प्रबंध ने कहा (सितम्बर 2013) कि निर्दिष्ट अवधि के दौरान संबंधित संभागों के आधार डिपो के निविदाकर्ताओं को निविदा प्रस्तुत करने का प्रावधान था। प्रत्येक डिपो के लिए अलग-अलग दर प्राप्त होती है एवं विभिन्न आधार डिपो के लिए एक या अधिक परिवहनकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक आधार डिपो के लिए दरें कार्य की मात्रा, सड़क की स्थिति, पूर्व की हम्माली दरें, केन्द्रों की दूरी, प्रवेश समस्याएं, ट्रैफिक समस्याएं आदि के आधार पर प्राप्त होती है।

प्रबंध का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक ही संभाग के विभिन्न आधार डिपो की परिवहन दरों में अत्यधिक भिन्नता थी। प्रबंध को संभाग की औसत दर को ध्यान में रखते हुए परिवहनकर्ताओं से वार्तालाप करना चाहिए था जिससे परिवहन पर अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था।

निर्गमन सम्मेल्लन के दौरान विभाग के सचिव ने परिवहन ठेकों के अंतिमीकरण के समय सुधारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

परिवहनकर्ताओं द्वारा खाद्यान्नों की सुपुर्दगी न करना

2.17 जब कभी परिवहनकर्ता उच्च मूल्य के खाद्यान्नों की सुपुर्दगी करने में विफल रहता है तो कंपनी सुरक्षा निधि (एसडी) को जब्त करती है एवं पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है। परिवहन ठेका की नमूना जाँच में यह प्रकट हुआ कि कंपनी सुरक्षा निधि के लिए बहुत कम राशि निर्धारित करती है।

परिवहन कर्ताओं से पर्याप्त सुरक्षा निधि/बैंक गारंटी प्राप्त नहीं करने के कारण परिवहनकर्ताओं द्वारा खाद्यान्नों की सुपुर्दगी न करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.87 करोड़ की हानि

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान यह देखा गया कि ₹ 2.87 करोड़ ***(अनुलग्नक - 2.3)*** के खाद्यान्न के सुपुर्दगी नहीं करने की घटना[14] घटित हुई। कंपनी ने केवल ₹ 6.00 लाख की सुरक्षानिधि जब्त किया एवं पुलिस थानों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दायर किया। यद्यपि, कंपनी परिवहनकर्ताओं से इसे अभी तक (सितम्बर 2013) प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि मामले पर विधान न्यायालय में जाँच चल रही है।

चूँकि, कंपनी परिवहनकर्ताओं द्वारा खाद्यान्नों की सुपुर्दगी न करने के मामले को जानती थी, अतः कंपनी को परिवहनकर्ताओं द्वारा गैर सुपुर्दगी को रोकने के कठोर कदम उठाना चाहिए थे। यदि कंपनी सुरक्षा निधि की राशि बढ़ाती प्रतिज्ञापत्र /बैंक गारंटी, सहवर्ती प्रतिभूति आदि लेती तो कंपनी सुरक्षा निधि या बैंक गारंटी को भुनाकर हानि की प्रतिपूर्ति कर सकती थी।

प्रबंध ने कहा (सितम्बर 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा दिये गये सुझाव को भविष्य में परिवहन ठेकों के अन्तिमीकरण के समय ध्यान में रखा जायेगा।

[14] तीन परिवहनकर्ताओं द्वारा खाद्यान्नों का वितरण न करनाः
1. 01 अप्रैल 2007 से 30 जून 2008- ₹ 31.23 लाख।
2. 01 अप्रैल 2007 से 30 जून 2008- ₹ 167.85 लाख।
3. 17 फरवरी 2010 से 09 मार्च 2010- ₹ 88.41 लाख।

यद्यपि, तथ्य यह रहा कि कंपनी परिवहनकर्ताओं से पर्याप्त सुरक्षा निधि/बैंक गारंटी लेने में विफल रहने के कारण ₹ 2.87 करोड़ प्राप्त नहीं कर सकी।

परिवहन ठेका में शक्कर की कमी के लिए कम दर पर शास्ति का निर्धारण

2.18 कंपनी पीडीएस की विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य में वितरण के लिए भारत सरकार द्वारा आबंटित मात्रा एवं दर पर शक्कर कारखानों से खरीदती है। कारखानों से शक्कर रेल द्वारा राज्य के विभिन्न रेक प्वाइंट तक परिवहन की जाती है। इसके बाद शक्कर रेक प्वाइंट से राज्य के अन्दर विभिन्न स्थानों पर परिवहन की जाती है, जिसके लिए कंपनी द्वारा अलग से खुली निविदा द्वारा ढुलाई एवं परिवहन ठेका को अन्तिम रूप दिया जाता है। निविदा की नियम एवं शर्तों के अनुसार यदि शक्कर के परिवहन के दौरान कोई कमी होती है तो परिवहनकर्ता कंपनी को निम्नलिखित दर पर शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है:

वर्ष	शक्कर का बाजार मूल्य (₹ प्रति क्विंटल)	कमी के लिए शास्ति की दर (₹ प्रति क्विंटल)	शक्कर की कमी के लिए निर्धारित शास्ति प्रति क्विंटल
2008-09	2800	2050	रू 700+ प्रति क्विंटल उपभोक्ता मूल्य जैसे कि ₹ 1350
2009-10	3000	2050	रू 700+ प्रति क्विंटल उपभोक्ता मूल्य जैसे कि ₹ 1350
2010-11	3200	2700	प्रति क्विंटल उपभोक्ता मूल्य का दुगुना जैसे कि ₹ 1350 X 2
2011-12	3400	2700	प्रति क्विंटल उपभोक्ता मूल्य का दुगुना जैसे कि ₹ 1350 X 2
2012-13	3600	2700	प्रति क्विंटल उपभोक्ता मूल्य जैसे कि ₹ 1350 X 2

(स्त्रोतः कंपनी के दस्तावेजों से संकलित)

यद्यपि कंपनी एक व्यावसायिक इकाई है इसने शक्कर की कम सुपुर्दगी पर शास्ति की दर शक्कर की बाजार दर के अनुसार नहीं रखी, जिसे उपरोक्त तालिका से सभी वर्षों में देखा जा सकता है।

शक्कर की मात्रा में कमी के लिए शास्ति की वसूली से संबंधित दस्तावेजों की जाँच में पाया गया कि बाजार दर से कम दर पर शास्ति निर्धारित करने के अलावा जिला कार्यालयों ने वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान निर्दिष्ट दर से कम दर पर शास्ति की वसूली की। 2008-09 से 2012-13 की अवधि में शास्ति की वापसी योग्य दर एवं वास्तविक रूप से वसूल की गई राशि का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	परिवहनकर्ता द्वारा कम सुपुर्द की गई शक्कर की मात्रा (क्विंटल में)	बाजार मूल्य/निर्दिष्ट शास्ति (₹ में)	निर्दिष्ट दर के अनुसार शास्ति (₹ में)	वास्तविक लगायी गयी शास्ति (₹ में)	निर्दिष्ट दर के अनुसार कम लगाई गयी शास्ति (₹ में)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
2008-09	2835.45	2800/2050	5812673	4799560	1013113
2009-10	4148.82	3000/2050	8505081	7501325	1003756
2010-11	4130.18	3200/2700	11151486	10704293	447193
2011-12	4075.06	3400/2700	11002662	10888337	114325
2012-13	3941.95	3600/2700	10643265	10987510	- 344245
योग			**47115167**	**44881025**	**2234142**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा प्रदान किये गये आंकड़े)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि जिला कार्यालयों ने कंपनी के निर्देश का पालन नहीं किया एवं वर्ष 2012-13 को छोड़कर जिसमें कुल वसूली अधिकतम थी कंपनी ने निर्दिष्ट दर से कम दर से वसूली की।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रबंध ने कहा (जून 2013) कि वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 4050 प्रति क्विंटल शास्ति की दर निर्धारित की।

तथ्य यह रहा कि लेखापरीक्षा की आपत्ति के आधार पर कंपनी ने 2012-13 के दौरान शास्ति को ₹ 4050 प्रति क्विंटल तक वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा। यद्यपि, कंपनी ने शास्ति की उच्च दर की वसूली को लागू करने के बदले में 2012-13 के लिए ₹ 2700 की शास्ति की वर्तमान दर को ही चालू रखा।

पीडीएस, डाटाबेस प्रबंध और प्रणाली में सुधार का कम्प्यूटरीकरण

2.19 जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सिविल एवं वाणिज्यिक) 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए (प्रतिवेदन संख्या-2) के निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका 1.4 में सूचित किया गया कि पीडीएस में अधिक दक्षता एवं पारदर्शिता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न संगठन जैसे विभाग, मार्कफेड, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) एवं कंपनी को सम्मिलित करते हुए पीडीएस के कम्प्यूटरीकरण के लिए जून 2007 में परियोजना शुरू की।

भारत सरकार ने ई-प्रशासन के लिए 2008-09 में विभाग को सरकारी प्रक्रिया में रि-इंजीनियरिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया।

समीक्षा में हमने मास्टर फाईल जिसका नाम "ट्रक चालान" जिसमें वितरण आदेश का विवरण एवं खाद्यान्नों की आवाजाही रहती है का चयन करके डाटा बेस विश्लेषण किया क्योंकि यह पूर्व के निष्पादन लेखा परीक्षा में शामिल नहीं था। डाटा के विश्लेषण से निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीः

- ***सम्बन्धित कॉलम में यूजर_आईडी की अनुपलब्धता***

यूजर_आईडी यूजर्स[15] की विशिष्ट पहचान है जो सिस्टम तक पहुँच सकते है। जब कभी कोई भी यूजर सिस्टम में लॉग इन करता है तो उनका यूजर_आईडी केप्चर करना एवं डाटाबेस कॉलम संग्रहित करना आवश्यक रहता है ताकि सिस्टम में पहुँच को कालक्रमानुसार संधारित किया जा सके। यद्यपि, हमने "ट्रक चालान" के विश्लेषण से पाया कि यूजर_आईडी होने के बावजूद डाटाबेस के यूजर_आईडी कॉलम में " नल "/ यादृच्छिक प्रविष्टियाँ थी जो कि यह प्रदर्शित करती है कि सिस्टम द्वारा यूजर_आईडी आवश्यक रूप से कैप्चर नहीं किया जा रहा है एवं सिस्टम पर पहुँच नियंत्रण पर्याप्त नहीं था। इससे सिस्टम पर ऐसे यूजर्स जिन्हें खोजा नहीं जा सकता/अनाधिकृत यूजर्स की पहुँच हो सकती है एवं पंजीकृत यूजर्स जो सिस्टम का गलत उपयोग कर चुके है पर कंपनी को जिम्मेदारी तय करने में कठिनाई होगी।

[15] बेस डिपो में तैनात किये गये कंपनी के कर्मचारी जिन्हें सिस्टम में ट्रक चालान के निर्माण के लिए पंजीकृत किया जाता है।

प्रबंध ने कहा (सितंबर 2013) प्रत्येक वितरण केन्द्र को लॉग इन पासवर्ड दिया जाता है एवं सॉफ्टवेयर में यूजर का लॉग इन, लॉग इन दिनांक तथा समय सेव किया जाता है वितरण केन्द्र का प्रभारी ट्रक चालान की प्रविष्टियों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सिस्टम अनिवार्य रूप से यूजर_आईडी केप्चर नहीं करता है इसलिए लेखापरीक्षा ने प्रणाली के अनाधिकृत पहुँच की जाँच नहीं किया।

- ***"जारी होने की तिथि" के इनपुट पर कोई सत्यापन जाँच न होना***

ट्रक चालान_आईडी संख्या 325890, 325892 एवं 326073 से सम्बन्धित कॉलम की "जारी होने की तिथि" का विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि वर्ष की प्रविष्टि "2209" की गई है जो कि सही नहीं है क्योंकि सम्बन्धित वितरण आदेश का वर्ष "2009" था। यह सिस्टम इनपुट कन्ट्रोल की कमियों को सूचित करता है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान जारी ट्रक चालान एवं संबंधित वर्ष में परिवहन की गई खाद्यान्नों की वास्तविक मात्रा के सम्बन्ध में गलत जानकारी है।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रबंध ने कहा (सितम्बर 2013) कि कंपनी का साफ्टवेयर 2007 से संचालन में है परन्तु अनुभवी जनशक्ति के अभाव के कारण डाटा इन्ट्री ठीक ढंग से नहीं की जा सकी। वर्ष 2011-12 के दौरान कम्प्यूटर आपरेटर्स की नियुक्ति के बाद वे इसे नियंत्रित कर पा रहे हैं।

प्रबंध का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई प्रणाली की कमी/अभाव को सूचित नहीं करता जो कि सॉफ्टवेयर में परिवर्तन से सम्बन्धित है।

- ***प्रविष्टियों का अस्तित्व जहाँ "जारी होने की तिथि" वितरण आदेश की तिथि (डीओ दिनांक) के पहले की थी***

प्रक्रिया के अनुसार, वितरण आदेश के आधार पर ट्रक चालान तैयार किया जाता है। इसलिए, ट्रक चालान के जारी होने की तिथि ("जारी होने की तिथि") वितरण आदेश की तिथि के बाद की होनी चाहिए थी। यद्धपि, 1564 प्रविष्टियाँ ऐसी पाई गयी जिसमें ट्रक चालान के "जारी होने की तिथि" वितरण आदेश की तिथि के पहले की थी जो कि सही नहीं थी एवं डाटाबेस तथा सिस्टम की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रबंध ने कहा (सितंबर 2013) कि सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है।

यद्यपि प्रबंध ने भविष्य में अवास्तविक प्रविष्टियों को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही कर ली है परन्तु डाटाबेस में मौजूद अवास्तविक आंकड़ों को नहीं हटाया गया।

- ***"ट्रक चालान_आईडी" के आबंटन की पुनरावृत्ति***

आबंटन के आदेश पर खाद्यान्न की आवाजाही के लिए ट्रक चालान तैयार किया जाता है। सभी ट्रक चालानों का एक विशिष्ट "ट्रक चालान_आईडी" होता है जो कि सिस्टम द्वारा अपने आप उत्पन्न होता है एवं आबंटित खाद्यान्न की आवाजाही से

सम्बन्धित ब्यौरा ट्रक चालान_आईडी का उपयोग करके पुनः प्राप्त किया जाता है। इस संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि ट्रक चालान क्रमानुसार तैयार किया जाना चाहिए एवं रद्द ट्रक चालान सिस्टम में संरक्षित किया जाना चाहिए। आईडी के विश्लेषण से यह खुलासा हुआ कि "ट्रक चालान_आईडी" क्रमानुसार आबंटित नहीं की गयी एवं दो चालानों के बीच में अत्यधिक अंतराल था।

प्रबंध ने कहा (सितम्बर 2013) कि "ट्रक चालान_आईडी" अपने आप उत्पन्न होने वाला फील्ड है इसलिए जब कभी एक ट्रक चालान रद्द किया जाता है तो एसक्यूएल सर्वर द्वारा अगली बार अगले ट्रक चालान के लिए एक नया नम्बर दिया जाता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भविष्य में सन्दर्भ के लिए सिस्टम में रद्द प्रविष्टियाँ उपलब्ध रहना चाहिए। एक बार एक संख्या प्रदान की जाती है तो उसे दूसरी प्रविष्टि के लिए पुनः प्रदान नहीं करना चाहिए क्योंकि रद्द प्रविष्टियों की अनुपलब्धता फर्जी चालानों के बनाने एवं उसके संचालन तथा तदोपरान्त इसके रद्द करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, सिस्टम में विश्वसनीयता का अभाव है। ट्रक चालान आईडी के मध्य अत्यधिक अन्तराल के बारे में भी प्रबंध द्वारा प्रस्तुत उत्तर कोई प्रकाश नहीं डालता।

चावल, गेहूँ एवं शक्कर का वितरण

2.20 विभाग द्वारा दिये गये आबंटन के आधार पर कंपनी उचित मूल्य दुकान को खाद्यान्न का वितरण करती है एवं तब उचित मूल्य दुकान पीडीएस की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वितों को वितरित करती है। यद्यपि, भारत सरकार द्वारा योजनावार खाद्यान्न के आबंटन की निगरानी एवं लाभान्वितों को इसके वितरण की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की है एवं कंपनी का लाभान्वितों के विवरण पर सीधा कोई नियंत्रण नहीं है। विभिन्न योजनाओं के तहत खाद्यान्न के वितरण में पायी गयी कमियों की उत्तरवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

भारत सरकार/छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत वितरण

2.21 भारत सरकार द्वारा दिये गये आबंटन एवं राज्य के लाभान्वितों की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार जिलों को उप-आबंटन जारी करती है। तदानुसार विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में चावल एवं गेहूँ के वितरण के लिए जिलेवार आबंटन जारी करती है। आबंटन के विरूद्ध वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान विभिन्न योजनाओं जैसे गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल), गरीबी रेखा के ऊपर (एपीएल), अन्य कल्याणकारी योजना (ओडब्ल्यूएस), मध्यान्ह भोजन (एमडीएम) पूरक पोषण आहार (पीपीए) एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (एमकेएसवाय) में चावल एवं गेहूँ[16] के वास्तविक वितरण को ***अनुलग्नक - 2.4*** में दिया गया है।

अनुलग्नक से यह देखा जा सकता है कि:

i. वर्ष 2008-09 के दौरान चावल एवं गेहूँ का बीपीएल, मध्यान्ह भोजन, पूरक पोषण आहार एवं एमकेएसवाय योजना में क्रमशः 9793.53 मीट्रिक टन,

[16] बीपीएल लाभार्थियों को ही शक्कर वितरित किया जाता है एवं 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान 5000 मीट्रिक टन तथा 16000 मीट्रिक टन के बीच कम वितरण था।

2181.34 मीट्रिक टन, 2517.33 मीट्रिक टन एवं 29809.97 मीट्रिक टन आबंटन से अधिक वितरण था तथा अन्य कल्याणकारी योजना में कोई वितरण नहीं था।

ii. वर्ष 2009-10 के दौरान चावल एवं गेहूँ का एपीएल, अन्य कल्याणकारी योजना, मध्यान्ह भोजन, पूरक पोषण आहार एवं एमकेएसवाय योजना में क्रमशः 80744.53 मीट्रिक टन, 2727.87 मीट्रिक टन, 8759.40 मीट्रिक टन, 27728.30 मीट्रिक टन, 18779.72 मीट्रिक टन का कम वितरण था।

iii. वर्ष 2010-11 के दौरान चावल एवं गेहूँ का एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, अन्य कल्याणकारी योजना, पूरक पोषण आहार एवं एमकेएसवाय योजना में क्रमशः 44554.96 मीट्रिक टन, 1846.18 मीट्रिक टन, 2428.07 मीट्रिक टन, 83.11 मीट्रिक, 1841.69 मीट्रिक टन, 1555.88 मीट्रिक टन एवं 2971.93 मीट्रिक टन कम वितरण था।

iv. वर्ष 2011-12 के दौरान एमकेएसवाय में 30882.22 मीट्रिक टन अधिक वितरण हुआ वही एपीएल, बीपीएल, मध्यान्ह भोजन एवं पूरक पोषण आहार में क्रमशः 151899.01 मीट्रिक टन, 33435.13 मीट्रिक टन, 13435.53 मीट्रिक टन एवं 3130.92 मीट्रिक टन चावल एवं गेहूँ का कम वितरण था।

v. वर्ष 2012-13 के दौरान बीपीएल योजना में 4080.29 मीट्रिक टन चावल एवं गेहूँ का अधिक वितरण था वहीं एपीएल, अंत्योदय अन्न योजना, अन्य कल्याणकारी योजना एवं मध्यान्ह भोजन योजना में क्रमशः 178107.85 मीट्रिक टन, 7363.31 मीट्रिक टन, 10569.04 मीट्रिक टन एवं 19319.06 मीट्रिक टन कम वितरण हुआ।

चावल एवं गेहूँ के कम वितरण के कारण योजनाओं का पूर्ण लाभ इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुँचा।

उपरोक्त स्थिति यह प्रदर्शित करती है कि वर्ष 2008-09, 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान कंपनी ने एक तरफ तो चावल एवं गेहूँ का आबंटन से अधिक वितरण किया वही दूसरी तरफ अन्य योजनाओं में चावल एवं गेहूँ का कम/निरंक मात्रा का वितरण किया। कंपनी ने 2009-10 एवं 2010-11 में चावल एवं गेहूँ का आबंटन से कम वितरण किया। कंपनी विभाग द्वारा सूचित की गई विभिन्न योजनाओं में वितरण कार्यक्रम का अनुसरण करती है। यद्यपि लेखापरीक्षा ने देखा कि विभिन्न योजनाओं में चावल एवं गेहूँ के कम वितरण के कारण योजनाओं का लाभ इच्छित लाभार्थियों को पूर्णरूप से नहीं पहुँचा।

1077 लाभार्थियों का नमूना सर्वेक्षण भी पुष्टि करता है कि 184 लाभार्थी (148 बीपीएल एवं 36 एपीएल), जो कि सर्वेक्षण जनसंख्या का 17.08 प्रतिशत है, उनकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर रहे थे।

प्रबंध ने कहा (सितम्बर 2013) कि विभाग द्वारा दिये गयें ऑन-लाईन आबंटन के आधार पर वितरण किया गया।

प्रबंध का उत्तर पुष्टि करता है कि विभाग ने भारत सरकार के आदेश का उल्लंघन किया।

भारत सरकार से केन्द्रीय योजनाओं के लिए प्राप्त खाद्यान्न का राज्य की योजना में परिवर्तन

2.22 मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना (एमकेएसवाय) भारत सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) योजना[17] में छूट गये गरीब परिवारों को पीडीएस की कमोडिटी वितरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अप्रैल 2007 में शुरू की गई।

भारत सरकार द्वारा इन योजनाओं में वितरित खाद्यान्न की लागत जैसे आर्थिक लागत ऋण केन्द्रीय निर्गमन मूल्य की प्रतिपूर्ति, कंपनी को दिये गये आबंटन, वितरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर करती है। भारत सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि खाद्यान्नों का वितरण लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन ही उपयोग किया जाएगा तथा वह जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है उसके अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य/योजना के लिए नहीं किया जाये।

विभिन्न योजनाओं के अधीन चावल एवं गेहूँ के वितरण एवं सब्सिडी के दावे से संबंधित अभिलेखों के परीक्षण जांच में यह देखा गया कि भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान 371457 मीट्रिक टन गेहूँ और 882512 मीट्रिक टन चावल का तदर्थ/अतिरिक्त/विशेष आबंटन दिया गया एवं कंपनी द्वारा इन योजनाओं पर इसमें से 180287.40 मीट्रिक टन गेहूँ और 139648.65 मीट्रिक टन चावल वितरित किया तथा शेष 191169.60 मीट्रिक टन गेहूँ और 742863.35 मीट्रिक टन चावल का वितरण राज्य शासन के निर्देश पर भारत सरकार के निर्देशों की अवहेलना करते हुए राज्य शासन द्वारा प्रयोजित मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में किया गया। कंपनी द्वारा भारत सरकार को सब्सिडी का दावा प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया गया कि चावल का वितरण मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में किया गया है। गेहूँ से संबंधित सब्सिडी दावे भारत सरकार से नहीं किये गये जो कि एफसीआई से रियायती दर से लिये गये थे और एफसीआई द्वारा सब्सिडी का दावा भारत सरकार को किया जाता है।

खाद्यान्न मूल्य ₹ 1975.43 करोड़ का एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन और चावल के सबंध में राशि ₹ 899.12 करोड़ का गलत सब्सिडी दावा

हमने यह पाया कि कंपनी द्वारा चावल एवं गेहूँ का किया गया उपरोक्त परिवर्तन ₹1975.43 करोड़ मूल्य का भारत सरकार के निर्देशों के विरूद्ध था, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न का एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन हुआ तथा चावल के सम्बंध में ₹ 899.12 करोड़ ***(अनुलग्नक - 2.5)*** का सब्सिडी का गलत दावा किया गया। इसके अलावा कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के कहने पर[18] केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से एमकेएसवाय में चावल एवं गेहूँ को बांटते हुए भारत सरकार के निर्देशों की अवहेलना की एवं गलत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया।

प्रबंध ने कहा (सितम्बर 2013) कि विभिन्न योजनाओं के तहत विभाग मासिक आबंटन जारी करता है एवं तदानुसार वितरण किया जाता है तथा भारत सरकार को

[17] लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन एपीएल, बीपीएल, एएवाय, ओडब्लूएस, डब्लूबीएनपी और एमडीएम योजनाएँ आती है।

[18] एमकेएसवाय योजना के लिए छत्तीसगढ सरकार का राजपत्र दिनांक 23 फरवरी 2007 एवं छत्तीसगढ़ सरकार के विभाग के मुख्य सचिव के कार्यालय आदेश क्रमांक 986/खाद्य 2009/29 दिनांक 29 मार्च 2010।

दावा प्रस्तुत किया जाता है। एमकेएसवाय योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कि राज्य की जनता को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिए है न कि भारत सरकार के निर्देशों की उपेक्षा करने के लिए है। इस योजना में खाद्यान्न राज्य के गरीबी रेखा के उपर, गरीबी रेखा के नीचे एवं अन्त्योदय अन्न योजनाओं के परिवारों को रियायती दरों पर प्रदान किया जाता है जिसे खाद्यान्न का एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। इस योजना के तहत लाभान्वितों को वितरित किया गया चावल गरीबी रेखा के ऊपर/गरीबी रेखा के नीचे योजना के तहत भारत सरकार के आबंटन के अतिरिक्त था जिसे स्टेट पूल से प्राप्त किया गया। विकेन्द्रीकृत उपार्जन के तहत चावल के उपार्जन की प्रावधानिक लागत विक्रय मूल्य, भारत सरकार की सब्सिडी{आर्थिक लागत ऋण केन्द्रीय निर्गमन मूल्य (सीआईपी)} एवं राज्य शासन से सब्सिडी (सीआईपी ऋण सब्सिडी मूल्य) के रूप में वसूल होती है।

प्रबंध का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2008-09 के दौरान विभाग ने अपने स्त्रोत से एमकेएसवाय में रियायती दर पर खाद्यान्न का वितरण किया । यद्यपि उत्तरवर्ती वर्षों में इसने केन्द्रीय योजनाओं में वितरण के लिए खाद्यान्न को एमकेएसवाय योजना में परिवर्तन किया एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र/ सब्सिडी दावे के दस्तवेजों में कहा कि खाद्यान्न का वितरण भारत सरकार की सम्बन्धित योजनाओं में किया गया। फलस्वरूप, भारत सरकार की गरीबी रेखा के उपर, गरीबी रेखा के नीचे एवं अन्त्योदय अन्न योजना उस सीमा तक प्रभावित हुई।

भारत सरकार के आबंटन के बिना चावल का वितरण

2.23 विभाग ने कंपनी के माध्यम से अन्य कल्याणकारी योजना एवं मध्यान्ह भोजन योजना में चावल का वितरण भारत सरकार के आबंटन के बिना किया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

स. क्र.	योजना का नाम	वर्ष	भारत सरकार द्वारा आबंटन (एमटी)	कंपनी द्वारा वितरण (एमटी)	आधिक्य वितरण (एमटी)	राशि (₹ करोड़ में)	छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त राशि (₹ करोड़ में)	शेष (₹ करोड़ में)
1	अन्य कल्याण-कारी योजना	2009-10	-	20161.97	20161.97	26.40	-	26.40
2	मध्यान्ह भोजन	2008-09	79354.28	81835.75	2481.47	6.20	1.40	4.80
3	मध्यान्ह भोजन	2010-11	81363.90	84683.58	3319.68	6.70	2.12	4.58
				योग				35.78

(स्त्रोतः कंपनी के दस्तावेजों से संकलित)

भारत सरकार से आबंटन प्राप्त न होने पर छत्तीसगढ़ सरकार के कहने पर चावल के वितरण के बावजूद ₹ 35.78 करोड़ की प्राप्ति नहीं होना।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि विभाग द्वारा अन्य कल्याणकारी योजना एवं मध्यान्ह भोजन की योजना में चावल के वितरण के लिए भारत सरकार के आबंटन से अधिक ऑन-लाइन आबंटन दिया। चूँकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अन्य कल्याणकारी योजना एवं मध्यान्ह भोजन योजना के तहत चावल का आधिक्य आबंटन दिया गया इसलिए वह कंपनी को चावल की लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि, छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की

जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.78 करोड़ दो एवं चार वर्षों की अवधि तक छत्तीसगढ़ सरकार से अप्राप्त रही।

प्रबंध ने कहा (सितम्बर 2013) कि अन्य कल्याणकारी योजनाओं के मामले में भारत सरकार से आबंटन प्राप्त होने की प्रत्याशा में चावल का आबंटन किया। चूँकि भारत सरकार से आबंटन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कंपनी ने छत्तीसगढ़ सरकार से राशि के भुगतान के लिए निवेदन किया। प्रबंध ने पुनः कहा कि वितरण भारत सरकार के आबंटन से अधिक किया गया इसलिए कंपनी ने छत्तीसगढ़ सरकार से भुगतान के लिए निवेदन किया। यद्यपि छत्तीसगढ़ सरकार ने ₹ 39.30 करोड़ में से केवल ₹ 3.52 करोड़ का भुगतान किया था।

प्रबंध का उत्तर पुष्टि करता है कि भारत सरकार से आबंटन के बिना चावल का वितरण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹35.78 करोड़ की प्राप्ति नहीं हुई।

पीडीएस के तहत कमोडिटी के वितरण पर नमूना सर्वेक्षण का परिणाम

2.24 एक नमूना सर्वेक्षण पाँच[19] चयनित जिलों के एक शहरी एवं एक ग्रामीण ब्लॉक के लाभार्थियों के 10 प्रतिशत[20] का सर्वेक्षण यह सत्यापित करने के लिए किया गया कि पीडीएस की विभिन्न योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को पहुँचा या नहीं। 598 बीपीएल एवं 479 एपीएल लाभार्थियों से मिलकर 1077 लाभार्थियों जिसमें 500 ग्रामीण एवं 577 शहरी शामिल है, को शामिल करते हुए नमूना के आधार पर सर्वेक्षण किया गया जिसे निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है:

जिले का नाम	स्थान का नाम	एफपीएस क्रम संख्या	लाभार्थियों की संख्या			नमूना मापदण्ड (लाभार्थियों का 10 प्रतिशत)		
			एपीएल	बीपीएल	योग	एपीएल	बीपीएल	योग
सरगुजा (अंबिकापुर)	मैनपाट (ग्रामीण ब्लॉक)	392008001	247	761	1008	25	76	101
	अंबिकापुर (शहरी ब्लॉक)	392001004	1725	456	2181	86	23	109
रायगढ	सारंगढ (ग्रामीण ब्लॉक)	412003020	284	727	1011	28	73	101
	खरसिया (शहरी ब्लॉक)	411002006	305	859	1164	31	86	117
कांकेर	कांकेर (ग्रामीण ब्लॉक)	602001008	300	663	963	30	66	96
	कांकेर (शहरी ब्लॉक)	601001005	619	432	1051	62	43	105
बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर (ग्रामीण ब्लॉक)	452002040	249	653	902	25	65	90
	जगदलपुर (शहरी ब्लॉक)	451001019	841	178	1019	84	18	102
राजनांदगाँव	डोंगरगढ़ (ग्रामीण ब्लॉक)	422004035	716	404	1120	72	40	112
	डोंगरगाँव (शहरी ब्लॉक)	421006003	359	1082	1441	36	108	144

[19] राजनांदगांव, सरगुजा, रायगढ़, कांकेर एवं बस्तर।

[20] सरगुजा जिले के अम्बिकापुर ब्लॉक को छोड़कर जहाँ 2181 लाभार्थी उपलब्ध थे वहाँ लाभार्थियों के पाँच प्रतिशत का सर्वेक्षण किया गया।

लाभार्थियों के सर्वे में प्राप्त निष्कर्ष निम्नानुसार हैः

- राजनाँदगाँव जिले के 598 बीपीएल लाभार्थियों में से 148 लाभार्थियों {लाल बहादुर नगर (ग्रामीण) के सभी 40 लाभार्थी तथा डोंगरगाँव (शहरी ब्लॉक) के 108 लाभार्थी}ने प्रतिवेदित किया कि वे उनकी 1.300 किलोग्राम शक्कर की पात्रता के विरूद्ध क्रमशः 1.000 किलोग्राम तथा 1.200 किलोग्राम शक्कर प्राप्त किया।

 शेष 450 बीपीएल लाभार्थियों (सरगुजा व रायगढ़ जिले से 258 और कांकेर व बस्तर जिले से 192) ने प्रतिवेदित किया कि वे योजनाओं से संतुष्ट थे तथा वे उनकी पात्रता के अनुसार सभी कमोडिटी निर्धारित दर पर नियमित रूप से प्राप्त कर रहे थे।

- 479 एपीएल लाभार्थियों में से 418 लाभार्थियों ने प्रतिवेदित किया कि वे योजनाओं से संतुष्ट थे और सभी कमोडिटी उनकी पात्रता के अनुसार प्राप्त कर रहे थे। शेष 61 एपीएल लाभार्थियों का सर्वे का मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैः

 - 12 लाभार्थियों ने प्रतिवेदित किया कि वे नियमित रूप से खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर रहे थे।
 - 24 लाभार्थियों ने प्रतिवेदित किया कि वे एफपीएस से उनकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर रहे थे तथा वे 5 किलोग्राम के गेहूँ की पात्रता के विरूद्ध 4 किलोग्राम गेहूँ प्राप्त कर रहे थे।
 - 16 लाभार्थियों ने प्रतिवेदित किया कि उनसे 10 किलोग्राम चावल तथा 5 किलोग्राम गेहूँ के लिए योजना के अंतर्गत निर्धारित ₹ 131 के स्थान पर ₹ 150 लिया जाता था।

वित्तीय प्रबंध

वित्तीय स्थिति तथा कार्यकारी परिणाम

2.25 कंपनी की वित्तीय स्थिति के विश्लेषण ***(अनुलग्नक - 2.6)*** में यह पाया गया कि नियोजित पूँजी 2008-09 में ₹ 277.75 करोड़ से 2011-12 में ₹ (-) 58.73 करोड़ (अनंतिम) घट गई तथा नेटवर्थ भी 2008-09 में ₹ 8.45 करोड़ से 2011-12 मे ₹ 4.06 करोड़ (अनंतिम) घट गयी। विविध देनदार[21] में ₹3.13 करोड़ शामिल था जो कि एफसीआई से मार्च 2008 से वसूली योग्य था। चूँकि एफसीआई ने घटिया किस्म के चावल की आपूर्ति के कारण कंपनी को देय राशि में से कटौती किया अतः इसके वसूली की संभावना नगण्य है।

कार्यकारी परिणामों की संवीक्षा ***(अनुलग्नक - 2.7)*** में पाया कि विक्रय का बिके माल की लागत से प्रतिशत 2008-09 में 90.69 से 2009-10 में 116.69, 2010-11 में 108.78 बढ़ गया तथा 2011-12 में 88.67 (अनंतिम) प्रतिशत घट गया जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

[21] वर्ष 2008-09 के पूर्व कंपनी एफसीआई को चावल की आपूर्ति किया करती थी। गुणवत्ता मापदण्ड पर कंपनी को देय राशि में से एफसीआई ने ₹ 3.13 करोड़ काट लिया। यद्यपि, कंपनी इस राशि को वसूली योग्य दर्शाती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
सब्सिडी को सम्मिलित करते हुए विक्रय (₹)	2662.59	2864.92	2893.44	3074.91
बिके माल की लागत (₹)	2935.89	2455.08	2659.78	3467.95
विक्रय का बिके माल की लागत से प्रतिशत	90.69	116.69	108.78	88.67

(स्त्रोतः आँकड़े वार्षिक लेखे से संकलित)

विक्रय का बिके माल की लागत से प्रतिशत में वृद्धि/कमी बिके माल की लागत तथा सब्सिडी प्राप्ति में अन्तर के कारण हुआ। कार्यकारी परिणामों की संवीक्षा में यह भी खुलासा हुआ कि सभी वर्षों में विक्रय से अधिक क्रय किया गया फलतः अधिक स्कंध पड़ा रहा तथा भण्डारण प्रभार का परिहार्य व्यय हुआ, जैसा कि पूर्व की कंडिका ***(कंडिका 2.10*** तथा ***कंडिका 2.13)*** में वर्णित है।

सब्सिडी दावा

2.26 भारत शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन के मध्य निष्पादित (दिसंबर 2002/सितंबर 2006) समझौता ज्ञापन (एमओयू) पीडीएस के अधीन चावल का उपार्जन एवं वितरण का विनियमन करता है। एमओयू की कण्डिका 9 एवं 10 प्रावधानित करती है कि विकेंद्रीकृत उपार्जन के लिए, प्रत्येक तिमाही के प्रथम माह में सब्सिडी के त्रैमासिक दावा, लेखा परीक्षित लेखा जमा किए बिना 95 प्रतिशत केंद्रीय सब्सिडी भारत शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को अग्रिम दी जायेगी तथा शेष पाँच प्रतिशत सब्सिडी कंपनी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंतिम अंकेक्षित लेखे जमा करने पर तथा भारत शासन द्वारा अंतिम आर्थिक लागत के निर्धारण पर केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को जारी की जाएगी। कंपनी अपने व्यय की पूर्ति के लिए बैंक से स्टॉक के बंधक के विरूद्ध बैंक से नकद साख लेती है।

2.27 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 के पठित धारा 166 एवं 216 के अनुसार कंपनी के संचालक मण्डल का यह कर्तव्य है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अंदर अंशधारकों की वार्षिक साधारण सभा में कंपनी के लेखे लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पूरक टिप्पणी को समाहित करते हुए) के साथ रखे।

यद्यपि, कंपनी ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की और वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लेखों के अन्तिमीकरण में 15 और 23 महीनों के बीच का विलंब हुआ जिसे नीचे विस्तृत रूप में दिया गया हैः

लेखा वर्ष	अंतिमीकरण के लिए देय तिथि	अंतिमीकरण की वास्तविक तिथि	देरी की अवधि महीनों में
2008-09	सितम्बर- 2009	16 अगस्त 2011	23
2009-10	सितम्बर- 2010	10 फरवरी 2012	16
2010-11	सितम्बर- 2011	20 दिसम्बर 2012	15
2011-12	सितम्बर- 2012	अभी तक अंतिमीकृत नहीं	-
2012-13	सितम्बर- 2013	अभी तक अंतिमीकृत नहीं	-

(स्त्रोतः आंकड़े कंपनी के दस्तावेजों से संकलित)

लेखों के अंतिमीकरण में विलंब के कारण, कंपनी, अपने अंकेक्षित लेखे भारत सरकार को लेखा अनुभाग में मानव शक्ति की कमी के कारण समय पर प्रस्तुत नहीं

कर सकी, जो ***कंडिका 2.30*** में वर्णित है और समय पर सब्सिडी की प्रतिपूर्ति नहीं मिली जिसकी चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

2.28 कंपनी की दस्तावेजों की संवीक्षा में यह पाया गया कि 2002-03 से 2012-13 की अवधि में कंपनी ने खरीफ विपणन वर्ष में ₹ 11269 करोड़ ***(अनुलग्नक 2.8)*** की डीसीपी चावल का उपार्जन किया। कंपनी ने ₹ 10705.53 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया जो कि कुल उपार्जन का 95 प्रतिशत था जिसके विरूद्ध भारत सरकार ने केवल ₹ 10508.07 करोड़ दिया तथा शेष ₹ 197.46 करोड़ अंतिम आर्थिक लागत निर्धारण न होने के कारण आज दिनांक तक (मार्च 2013) अप्राप्त है । इसके अलावा, दावे की शेष पाँच प्रतिशत सब्सिडी राशि ₹ 563.47 करोड़ का दावा वार्षिक लेखों के अंतिमीकरण न होने के कारण नहीं बनाया जा सका तथा भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किया जा सका। कंपनी द्वारा वर्ष 2010-11 तक के अंकेक्षित वार्षिक लेखे भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये (जून 2013) । इस प्रकार वार्षिक लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब और भारत सरकार द्वारा अन्तिम अंकेक्षित लेखों के अभाव में अंतिम आर्थिक लागत का निर्धारण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 760.93 करोड़ की सब्सिडी की राशि अवरूद्ध हो गयी। अवरूद्ध सब्सिडी के साथ ही ₹ 186.81 करोड़[22] की ब्याज की हानि भी हुई।

वार्षिक लेखों के अन्तिमीकरण न करने के कारण ₹ 760.93 करोड़ की सब्सिडी प्राप्त न होना

प्रबंध ने कहा (सितम्बर 2013) कि कंपनी ने अंतिम लेखे खरीफ विपणन वर्ष 2009-10 तक भारत सरकार को माह दिसम्बर 2012 को प्रस्तुत कर दिया जबकि मार्कफेड ने जून 2013 में उसे प्रस्तुत किया। यह भी कहा गया कि भारत सरकार 2 से 3 वर्ष तक अंतिम मार्जिन का निर्धारण करने में तथा 2 वर्ष और दावों के समायोजन/भुगतान में लेती है। इस प्रकार, भारत सरकार अंतिम दावों के भुगतान में पाँच वर्ष से अधिक समय लेती है।

प्रबंधन का उत्तर पुष्टि करता है कि खरीफ विपणन वर्ष के लेखे प्रस्तुत करने में विलंब था जैसे खरीफ विपणन वर्ष 2009-10 के लेखे दिसम्बर 2012 में प्रस्तुत किये गये।

उचित मूल्य की दुकान से बकाया देय की वसूली न होना

2.29 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न के वितरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकान स्थापित की गयी है। ये उचित मूल्य की दुकान विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करती है। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश (अक्टूबर 2006) के अनुसार कंपनी उचित मूल्य की दुकान को खाद्यान्न एक महीने की उधारी पर प्रदान करती है एवं उचित मूल्य की दुकान के मालिक खाद्यान्न विक्रय से प्राप्त आय को जमा कर आगामी माह के लिए आवश्यक खाद्यान्न आहरित करते हैं। इस तरह, उचित मूल्य की दुकान को किसी भी समय सिर्फ एक महीने के खाद्यान्न की कीमत की ही उधारी उपलब्ध रहेगी।

कंपनी का उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों पर सीधा नियंत्रण नहीं है और इस तरह उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों द्वारा विक्रय राशि के भुगतान में चूक

[22] ब्याज की गणना कंपनी द्वारा लिये गये नगद साख सीमा/ऋण के दर के आधार पर की गई है।

करने पर कंपनी इन मामलों को संबंधित जिला कलेक्टर एवं विभाग को उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों से बकाया राशि की वसूली करने एवं उसे कंपनी को भुगतान करने के लिए कहती है। उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों से बकाया राशि की वसूली की प्रभावी कार्यवाही करने की जिम्मेदारी विभाग की है और उस वसूली गई राशि का भुगतान कंपनी को करना है।

विभाग द्वारा अप्रभावी कार्यवाही के कारण कंपनी के ₹ 1.48 करोड़ का कोष अवरूद्ध

हमने यह पाया कि 31 मार्च 2013, को विभिन्न उचित मूल्य की दुकान मालिकों से ₹ 1.48 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी और वसूली में विलम्ब 12 और 66 महीनों के बीच था (***अनुलग्नक - 2.9***)। कुल बकाया ₹ 1.48 करोड़ में से, ₹ 1.08 करोड़ की राशि अकेले जिला सरगुजा से संबंधित है जिसमें ₹ 0.83 करोड़ चार वर्ष से अधिक समय से बकाया है। यद्यपि, विभाग के द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों से बकाया राशि की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप कंपनी का ₹ 1.48 करोड़ का कोष अवरूद्ध हो गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2013) कि छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश के अनुसार उचित मूल्य की दुकान में बकाया राशि की वसूली की जिम्मेदारी खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षक की है। कंपनी ने विभागीय सचिव से अनुरोध किया (मई 2013) कि इस संबंध में कलेक्टर/ खाद्य नियंत्रकों/खाद्य अधिकारियों को निर्देश जारी करे और उसके अनुसार, विभाग के अवर सचिव ने विभाग के निदेशक को कार्यवाही करने के लिए पत्र प्रेषित किया।

यद्यपि, तथ्य यह है कि, विभाग द्वारा पत्र जारी करने के बावजूद, उचित मूल्य की दुकानों सें ₹ 1.48 करोड़ वसूली शेष थी।

जनशक्ति की तैनाती

2.30 31 मार्च 2013 की स्थिति में कंपनी में स्वीकृत 918 पदों के विरूद्ध 852 व्यक्ति ***(अनुलग्नक - 2.10)*** कार्यरत थे।

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान जनशक्ति की स्थिति के विश्लेषण में यह पाया गया कि जिला प्रबंधक (डीएम), सहायक प्रबंधक (तकनीकी) (स.प्र. तक.) सहायक लेखा अधिकारी (स.ले.अ.), वरिष्ठ सहायकों, सहायकों एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक (क.त.स.) के संवर्गों में भारी कमी[23] थी। 18 जिलों में जिला प्रबंधकों की संवर्ग में भारी कमी होने के कारण जिला प्रबंधक का कार्य सहायक प्रबंधकों/सहायक लेखा अधिकारियों द्वारा संचालित किया जा रहा था।

18 जिलों में सहायक प्रबंधकों/सहायक लेखा अधिकारियों के द्वारा जिला प्रबंधकों का कार्य संचालित किया जा रहा था, जिसमें सहायक प्रबंधकों/ सहायक लेखा अधिकारियों और जिला प्रबंधकों के कर्तव्यों का अलगाव नहीं था। इस प्रकार, सहायक प्रबंधकों/सहायक लेखा अधिकारियों के कार्यों में पर्यवेक्षण का अभाव था। कंपनी में सहायक प्रबंधक (तकनीकी) पद पर तैनाती नहीं की गई थी, जिसके कारण वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान जांच किए गए खाद्यान्न के नमूने में

[23] इन छः संवर्गों में कमी का प्रतिशत क्रमशः 41.7 एवं 59.1, 60 एवं 100, 56.7 एवं 76.7,19.2 एवं 33.3, 18.6 एवं 25.6 तथा 5.6 एवं 15.5 के बीच था।

तकनीकी पर्यवेक्षण का अभाव था। लेखा अनुभाग में जनशक्ति में कमी के कारण उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाने एवं प्रस्तुत करने, वार्षिक लेखों को बनाने इत्यादि पर अनुचित प्रभाव पड़ा जिसके कारण लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब और भारत सरकार/छत्तीसगढ़ सरकार से सब्सिडी विमुक्तिकरण में विलम्ब हुआ जिसे ***कंडिका 2.27 और 2.28*** में वर्णित किया गया है।

प्रबंध ने कहा (सितम्बर 2013) कि अधिकारी/कर्मचारी सरकारी योजनाओं के सुचारू संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए कार्यालय अवधि के बाद भी कार्य करते हैं।

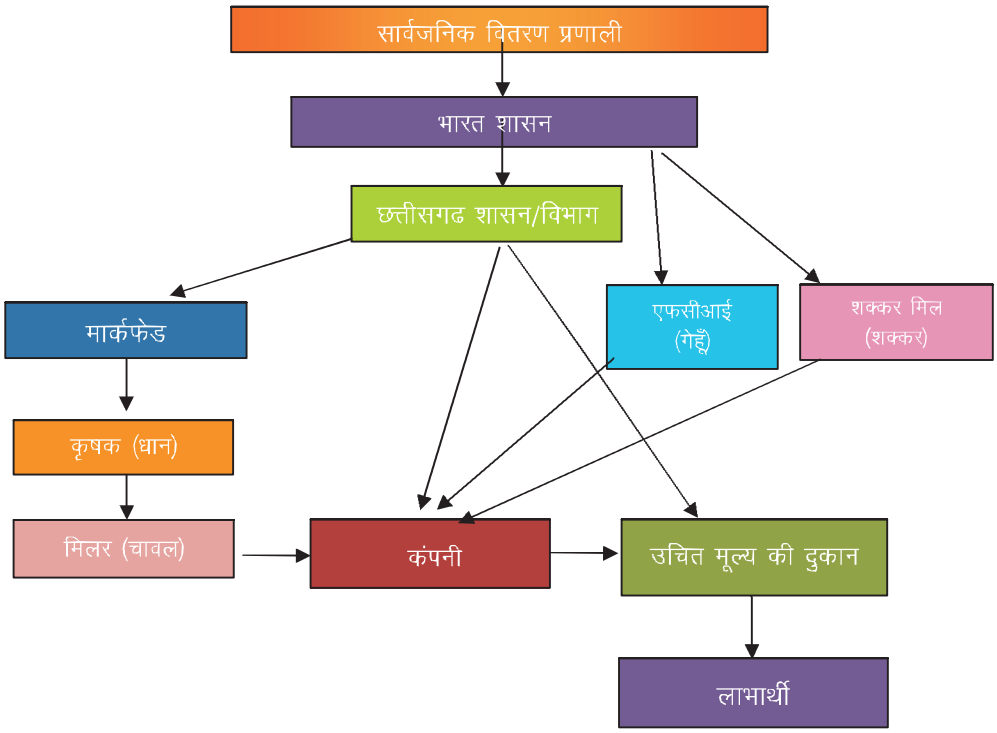
कंपनी का उत्तर लेखा अनुभाग में कर्मचारियों की कमी के बारे कुछ नहीं कहता जिससे लेखों के अंतिमीकरण एवं दावों को प्रस्तुत करने में विलंब हुआ।

निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी, मार्कफेड, भारतीय खाद्य निगम, छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत शासन के मध्य समन्वय की कमी

2.31 कंपनी भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन की विभिन्न योजनाओं के अधीन वितरण के लिए मार्कफेड से सीएमआर एवं भारतीय खाद्य निगम से अन्य खाद्यान्न क्रय करती है। चूँकि छत्तीसगढ़ शासन पीडीएस की योजनाओं का निष्पादन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मार्कफेड, भारतीय खाद्य निगम तथा कंपनी के माध्यम से करता है, अतः इनके बीच उचित समन्वय होना अति आवश्यक है।

निम्नलिखित आरेख पीडीएस के कार्यान्वयन में विभिन्न संगठनों के साथ संबंध को दर्शाता है:



अभिलेखों की नमूना जाँच में विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय की कमी का खुलासा हुआ, जैसा कि अग्रलिखित हैः

- छत्तीसगढ़ शासन ने कंपनी के पास उपलब्ध स्टॉक को सुनिश्चित किए बिना खाद्यान्न का आबंटन किया जिसके कारण अधिक स्टॉक का भण्डारण हुआ फलतः परिहार्य परिवहन प्रभार हुआ, जो कि ***कंडिका 2.10*** में वर्णित है।

- भारत शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आबंटित मात्रा में अंतर था, जिसके कारण खाद्यान्नों का अधिक/कम वितरण हुआ तथा कंपनी द्वारा भारत शासन को गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जैसा कि ***कंडिका 2.22*** में वर्णित है।

- उप-आबंटन अर्थात छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एफपीएस को जारी आबंटन आदेश जारी करने में विलंब हुआ, जिसके कारण उपभोक्ता को खाद्यान्न वितरण में विलंब हुआ।

- विभाग ने राज्य भण्डार गृह निगम/केंद्रीय भण्डार गृह निगम के साथ भण्डारण हानि की राशि विमुक्त करने के लिए ***(कंडिका 2.13)*** छत्तीसगढ़ शासन के साथ मध्यान्ह भोजन तथा अन्य कल्याणकारी योजना में अधिक वितरण किए गए चावल की राशि विमुक्त करने के लिए ***(कंडिका 2.23)***, उचित मूल्य दुकान से बकाया राशि की वसूली ***(कंडिका 2.29)*** तथा भारत शासन से समय पर सब्सिडी प्राप्ति के लिए कंपनी तथा मार्कफेड दोनों के अंकेक्षित वार्षिक खाते ***(कंडिका 2.27)*** समय पर जमा करने के लिए निर्देशित करने के लिए प्रभावी समन्वय नहीं किया।

प्रबंध ने कहा (सितंबर 2013) कि अपरिहार्य कारणों से चावल का अधिक स्टॉक उपार्जित किया गया, भारत शासन तथा छत्तीसगढ़ शासन की आबंटित मात्रा में अंतर होने के कारण उपयोगिता प्रमाण पत्र में अंतर होने के कारण उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करने में समस्या हुई तथा इस समस्या के समाधान हेतु कंपनी लगातार छत्तीसगढ़ शासन के संपर्क में हैं ।

कंपनी का उत्तर विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय में कमी को सुनिश्चित करता है विभाग ने कंपनी की अवरूद्ध राशि की विमुक्ति के लिए स्कूली शिक्षा विभाग/ छत्तीसगढ़ शासन/ भारत शासन से समन्वय नहीं किया।

निगरानी प्रणाली

2.32 छत्तीसगढ़ शासन ने उचित निगरानी के लिए पीडीएस संचालन के प्रभावी नियंत्रण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकि पर आधारित विभिन्न उपाय जैसे वेब आधारित सॉफ्टवेयर चालू किया, जो कि वितरण केंद्र पर विभिन्न स्त्रोतों से पीडीएस कमोडिटी की प्राप्ति एवं एफपीएस को निर्गमन के संचालन पर नियंत्रण रखता है। ट्रक डिस्पैच सूचना एफपीएस को कमोडिटी जारी करने की सूचना पंजीकृत उपयोगकर्ता को एसएमएस के माध्यम से प्रदान करता है जिसमें नागरिक अपने मोबाईल नंबर को विभाग की वेबसाईट से पंजीकृत कर सकता है तथा जब भी कोई पीडीएस कमोडिटी भण्डारगृह से एफपीएस को जारी की जाती है,

एफपीएस के लिए पंजीकृत सभी पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाता है। केंद्रीकृत ऑनलाईन रिएल टाईम इलेक्ट्रॉनिक पीडीएस (कोर पीडीएस) के शुभारंभ के साथ छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना जो हितग्राहियों को उनकी पसंद के अनुसार एफपीएस से खाद्यान्न लेने की सुविधा प्रदान करता है। कोर पीडीएस रायपुर, दुर्ग, राजनाँदगाँव एवं महासमुंद जिले में शुभारंभ किया गया (मार्च/दिसंबर 2012) तथा राज्य के अन्य जिलों में इसका शुभारंभ अभी किया जाना है। विभाग ने पीडीएस ट्रक की सरलता से पहचान के लिए पीडीएस कमोडिटी ले जाने वाले ट्रक को पीले रंग से पेंट करना आवश्यक बना दिया है।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

2.33 आन्तरिक नियंत्रण, प्रबंधन एक ऐसा उपकरण है जिससे वह यह आश्वासन प्राप्त करता है कि कंपनी के उद्देश्यों को मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी ढ़ंग से प्राप्त किया जा रहा है। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली में कंपनी के भीतर कार्यात्मक जिम्मेदारी का उचित आबंटन, संचालन के लिए उचित प्रक्रिया एवं कंपनी के विभिन्न संवर्गो के मध्य समन्वय समाहित है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा में निम्नलिखित पाया गयाः

- कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा आउटसोर्सिंग द्वारा चार्टर्ड लेखाकार से करवायी जाती है एवं उनके द्वारा कोई मुख्य कमियाँ नहीं पाई गयी।
- कंपनी उपार्जन केन्द्र में नमूनों के विश्लेषण के लिए कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की नियुक्ति कर गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करती है। यद्यपि, वर्ष 2008-09 से 2010-11 में कंपनी में किसी सहायक प्रबंधक (तकनीकी) की नियुक्ति नहीं की गई इसलिए खाद्यान्न के नमूने की जाँच पर कोई पर्यवेक्षण नहीं था।
- 18 जिलों में सहायक प्रबंधकों/सहायक लेखा अधिकारियों के द्वारा जिला प्रबंधकों का कार्य संचालित किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप सहायक प्रबंधकों/सहायक लेखा अधिकारियों और जिला प्रबंधकों के कर्तव्यों का अलगाव नहीं था एवं सहायक प्रबंधकों/सहायक लेखा अधिकारियों पर कोई पर्यवेक्षण नहीं था।
- कंपनी उचित मूल्य दुकान को जारी किये गये खाद्यान्न की मात्रा का सुपुर्दगी आदेश से मिलान करती है एवं डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जिला कार्यालयों में प्रत्येक माह प्राप्त किये जाते है।
- कंपनी जिला कार्यालयों उपार्जन/सुपुर्दगी केन्द्र में उचित तरीके से दस्तावेज के संधारण, आवधिक रिटर्न को मुख्यालय प्रेषित करने को सुनिश्चित करती है।
- विभिन्न संग्रहण स्थलों पर स्कन्ध के आकस्मिक जाँच की कोई प्रणाली नहीं थी।
- कंपनी में कोई सतर्कता अनुभाग नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का पालन न करना

2.34 कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 285 के अनुसार कंपनी के निदेशक मण्डल (बीओडी) की बैठक प्रत्येक तीन कैलेण्डर माह में कम से कम एक बार अर्थात एक कैलेण्डर वर्ष में चार बैठक होनी चाहिए। तालिका वर्ष 2008 से 2012 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठक की संख्या को दर्शाती है।

वर्ष	बैठक की संख्या	बैठक का दिनांक
2008	1	9 अप्रैल 2008
2009	2	23 जून 2009 एवं 28 अक्टूबर 2009
2010	3	9 मार्च 2010, 25 जून 2010 एवं 29 अक्टूबर 2010
2011	2	18 फरवरी 2011 एवं 26 अगस्त 2011
2012	3	12 मार्च 2012, 12 जुलाई 2012 एवं 17 दिसम्बर 2012

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा दी गई जानकारी)

तालिका से देखा जा सकता है कि अधिनियम की आवश्यकतानुसार निदेशक मण्डल की बैठक नहीं हुई और कंपनी बैठक आयोजित करने में असफल रही। इस प्रकार निदेशक मण्डल का कंपनी की कार्यविधि पर नियंत्रण का अभाव रहा। निदेशक मण्डल का एजेण्डा एवं कार्यवाही विवरण की संवीक्षा से यह भी पाया गया कि निदेशक मण्डल की 24 वीं एवं 26 वीं बैठक जो कि क्रमशः 23 जून 2009 एवं 9 मार्च 2010 को आयोजित हुई थी, में भण्डारण हानि के लिए मानदण्ड निर्धारण के मामले पर चर्चा की गई। इसके बाद उत्तरवर्ती बैठक में इसकी चर्चा नहीं की गई। कंपनी ने मध्यान्ह भोजन के दावे, अन्य कल्याणकारी योजना के दावे एवं एफसीआई से गेहूँ की प्राप्ति के संबंध में भी चर्चा नहीं की गई।

प्रबंध ने कहा (सितम्बर 2013) कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पर्याप्त बैठक नहीं बुलाई जा सकी एवं पर्याप्त बैठक बुलाने के प्रयास किये जायेंगे।

निष्कर्ष

समीक्षा में यह पाया गया कि विना किसी आवश्यकता के अन्य जिलों से चावल के उपार्जन एवं परिवहन के परिणामस्वरूप परिवहन शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ, भण्डारण स्थान का उपयोग नहीं हुआ एवं विभिन्न योजनाओं के तहत खाद्यान्नों का आधिक्य/कम वितरण हुआ। परिवहन ठेकों में एक ही संभाग में विभिन्न आधार डिपो में परिवहन दरों में अत्यधिक भिन्नता पायी गयी। भण्डारण हानि के मानदण्ड के अभाव के कारण कंपनी द्वारा वापसी योग्य हानि का डाटा संधारित नहीं किया गया। आवश्यकता से अधिक भण्डारण स्थान का आरक्षण से भण्डारण स्थान का कम उपयोग हुआ, परिणामस्वरूप भण्डारण शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ। परिवहन ठेकेदारों द्वारा कम शक्कर की मात्रा की सुपुर्दगी करने पर कंपनी ने शास्ति की निम्न दर निर्धारित की एवं वसूली की । सेंट्रलाइज़्ड ऑनलाईन रियल टाईम इलेक्ट्रानिक पीडीएस (कोर पीडीएस) के लागू करने से छत्तीसगढ़, लाभार्थियों को अपनी सुविधा के अनुसार उचित मूल्य दुकान का चयन करने की सुविधा देने वाला भारत में पहला राज्य बन गया। कंपनी ने खाद्यान्नों का केन्द्रीय योजनाओं से राज्य योजना में परिवर्तन किया। मध्यान्ह भोजन योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजना में भारत सरकार के आबंटन के बिना चावल एवं गेहूँ का

वितरण हुआ। वार्षिक लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारण भारत सरकार से सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई। कंपनी ने भण्डारण स्थलों की समय-समय पर आकस्मिक जाँच करने की कोई व्यवस्था निर्दिष्ट नहीं की है।

अनुशंसाएँ

कंपनी को ध्यान में रखना चाहिए किः

- विभिन्न जिलों में आवश्यकता के आधार पर खाद्यान्नों का उपार्जन हो जिससे एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण पर अतिरिक्त परिवहन शुल्क से बचा जा सके जिसे सब्सिडी दावे में सम्मिलित कर दिया जाता है;
- एसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी से किसी विवाद से बचने के लिए भण्डारण हानि का मानदण्ड निर्धारित करना एवं बकाया राशि को वसूल करना तथा भण्डारण स्थान की निरंक उपयोगिता/कम उपयोगिता से वचने के लिए उचित योजना से भण्डारण स्थान का आरक्षण करना;
- खाद्यान्नों की एक योजना से दूसरी योजनाओं में परिवर्तन किये बिना खाद्यान्नों को आवंटन के अनुसार वितरण करना;
- भारत सरकार से सब्सिडी की शीघ्र प्रतिपूर्ति के लिए समय पर वार्षिक लेखे को अन्तिम रूप देना; और
- आंतरिक लेखा परीक्षा अनुभाग स्थापित करके आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था को सुदृढ़ करना एवं अच्छी निगरानी एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक जाँच की व्यवस्था स्थापित करना।

तीसरा अध्याय

3. लेन देन से संबंधित लेखपरीक्षा आपत्तियाँ

इस अध्याय में राज्य शासन की कंपनियों एवं सांविधिक निगम के लेन देनों की नमूना जाँच से निकलने वाली महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को सम्मिलित किया गया है।

सरकारी कंपनियाँ

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड

3.1 दर अनुबन्ध का अनियमित अन्तिमीकरण

सब्जियों के बीज के लिए दर अनुबन्ध के अनियमित अन्तिमीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 47.26 करोड़ का ठेका अयोग्य निविदाकारों को दिया गया

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड रायपुर (कंपनी) अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के लिए विभिन्न फसलों एवं सब्जियों के बीजों {प्रमाणित [1]/ओपन पॉलीनेटेड ट्रूथ लेवल[2] (ओपीटीएल)} का क्रय करती है। यह कार्य कंपनी द्वारा पंजीकृत बीज उत्पादकों/ आपूर्तिकर्ताओं से ओपन एंडेड दर अनुबन्ध प्रस्ताव (आर.सी.ओ.) आमंत्रित कर अंतिमीकृत किए गए दर अनुबन्धों के आधार पर किया जाता है। आर.सी.ओ. के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दरों की तुलना कंपनी द्वारा पूर्व में अंतिमीकृत दरों (50 प्रतिशत बढ़ाकर) एवं मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एमपी एग्रो) की प्रचलित दरों से की जाती है। तदनुसार, कंपनी उपरोक्त तीनों दरों में से न्यूनतम दर के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिप्रस्ताव जारी करती है एवं प्रतिप्रस्ताव दर स्वीकार करने वाले आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबन्ध अंतिमीकृत किया जाता है। ये दर अनुबन्ध एक वर्ष या नए दर अनुबन्धों के अंतिमिकरण तक प्रभावी रहते हैं।

कंपनी ने वर्ष 2010-11 के लिए प्रमाणित एवं ओपीटीएल किस्मों के बीजों के लिए क्रमशः 29 एवं 40 आर.सी.ओ आमन्त्रित (11 फरवरी 2011) किए । जवाब में अंतिम तिथि (26 मार्च 2011) तक 15 प्रस्ताव प्राप्त हुए। तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा 26 मार्च 2011 को किया गया एवं 13 बोलीदाता तकनीकी रूप से योग्य पाए गये। तदनुसार इन 13 बोलीदाताओं की वित्तीय बोली 13 अप्रैल 2011 को खोली गई जिन्होने 17 प्रमाणित एवं 37 ओपीटीएल बीजों के लिए दर उद्धत किए थे। प्राप्त दरें अधिक होने के कारण निविदा समिति ने बोलीदाताओं के साथ बातचीत आयोजित (2 मई 2011) की। बातचीत के लिए केवल एक बोलीदाता यानी मेसर्स राज सीड्स ट्रेडर्स भोपाल उपस्थित था। बातचीत के पश्चात् निविदा समिति ने प्रमाणित आलू एवं प्रमाणित अरबी के लिए क्रमशः ₹ 25 एवं ₹ 30 प्रति किलो की दर की सिफारिश की। बाकी 52 प्रमाणित/ओपीटीएल बीजों के मामले में समिति ने

[1] किस्म के संदर्भ में बीज प्रमाणिकरण एजेंन्सी द्वारा प्रमाणित।

[2] अप्रमाणित बीज जिसमें परागण के कारण एक से अधिक किस्म सम्मिलित हो।

आर.सी.ओ. से प्राप्त दरें अथवा पूर्व दरों का 150 प्रतिशत अथवा एम.पी.एग्रो द्वारा पूर्व में अनुमोदित दरें जो भी कम हो की दर पर बोलीदाताओं को प्रतिप्रस्ताव जारी करने की सिफारिश की। तदनुसार, कंपनी ने सभी 13 बोलीदाताओं को प्रतिप्रस्ताव जारी (3 मई 2011 एवं 18 मई 2011) किए जिसमें से केवल 8 ने उसे स्वीकार किया। आपूर्तिकर्ताओं से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् कंपनी ने मई 2011 एवं जुलाई 2011 में प्रमाणित बीजों की 11 फसलों एवं ओपीटीएल बीजों की 25 फसलों के लिए आठ[3] आपूर्तिकर्ताओं के साथ दर अनुबन्ध (आर.सी.) अंतिमीकृत किया। तत्पश्चात् कंपनी ने मेसर्स शेफाली बिजनेस इन्टरनेशनल, रायपुर के अनुरोध (25 अप्रेल 2011) पर पहले से अंतिमीकृत आर.सी के अनुरूप ही उसके साथ भी आर.सी. अंतिमीकृत कर लिया, हालांकि उन्होने निविदा में हिस्सा नहीं लिया था।

दर अनुबंध के अंतिमीकरण से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा में निम्नलिखित अवलोकित हुआ

क. दर अनुबंध के अंतिमीकरण में अयोग्य बोलीदाताओं तथा निविदा प्रणाली में विसंगतियों के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ

- **सक्षम प्राधिकारी की समुचित स्वीकृति प्राप्त किए बिना दर अनुबंध प्रस्ताव खोलना**

कंपनी ने निविदा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बागवानी एवं फार्म वानिकी विभाग और कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से दो तकनीकी सदस्यों सहित आठ सदस्यों की एक समिति गठित (14 मार्च 2011) की थी । यद्यपि छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के नियम 4.12 के तहत आवश्यक तकनीकी और वित्तीय बोली के मूल्यांकन के लिए एक पूरक क्रय समिति का गठन नहीं किया गया था। निविदा मूल्यांकन समिति ने स्वयं के द्वारा तकनीकी बोलियों (26 मार्च 2011) तथा वितीय बोलियों (13 अप्रैल 2011) का मूल्यांकन बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया गया। इसके अलावा, तकनीकी और वित्तीय बोली के मूल्यांकन के समय दोनों तकनीकी सदस्य मौजूद नहीं थे। तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन गैर तकनीकी सदस्यों (सभी कंपनी से) के द्वारा किया गया जो छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय के नियम 4.12 जिसके अनुसार तकनीकी सदस्य की निविदा समिति में उपस्थिति अनिवार्य है का स्पष्ट उल्लंघन है, अतः पूरी निविदा प्रक्रिया को नियम के विरूद्ध किया गया।

सरकार ने तकनीकी एवं वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के लिए पृथक समिति का निर्माण न करने के तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2011) कि तकनीकी सदस्यों की लगातार अनुपस्थिति के कारण अन्य सदस्यों के द्वारा बोली खोली तथा मूल्यांकित की गयी।

जवाब पुष्टि करता है कि तकनीकी सदस्यों के बिना ही बोलियों को खोला तथा तकनीकी मूल्यांकन किया गया। कंपनी के द्वारा छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के प्रावधान का अनुपालन करने के लिए तकनीकी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने

[3] अवनि ट्रेडर्स रायपुर, के.बी.ए. ट्रेडर्स इंदौर, संयोग मार्केटिंग प्रा. लि. रायपुर, रॉयल सीड्स एण्ड फर्टिलाइजर्स प्रा. लि. कोलकाता, लौकिक सीड्र्स एण्ड फर्टिलाइजर्स रायपुर, रमा ट्रेडर्स भोपाल, राज सीड्स भोपाल एवं नेफेड सीड्स राँची।

के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके अलावा, उत्तर में एक पृथक निविदा मूल्यांकन समिति का गठन नहीं करने पर कुछ नहीं कहा गया है।

- **अयोग्य बोलीदाताओं के साथ दर अनुबंध अंतिमीकरण**

 i. दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेजों के खंड 1.1 के अनुलग्नक III के अनुसार, बोलीदाता/ प्रस्तावक को प्रमाणित सब्जी बीज का पंजीकृत उत्पादनकर्ता होना चाहिए और बीज अधिनियम, 1966 तथा बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के अनुसार बीज की बिक्री के लिए लाइसेंस के साथ ही बीज प्रमाणन के लिए प्रमाणन एजेंसी में पंजीकृत होना जरूरी है। हलांकि, हमने पाया 13 निविदाकर्ताओं में से सिर्फ एक बोलीदाता अर्थात केबीए ट्रेडर्स, इन्दौर के पास प्रमाणित बीज के उत्पादन के वैध अनुज्ञप्ति था। शेष 12 बोलीदाताओं के द्वारा इस मापदंड को पूर्ण नहीं किया गया।

 ii. दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेजों में निहित खण्ड 1.2 के अनुलग्नक III के अनुसार बोलीदाता प्रस्तावक को निविदा दस्तावेजों के साथ, नर्सरी विवरण के साथ फसलवार उत्पादन क्षेत्र, अद्यतन स्थिति में बी-1 एवं किसानों की सूची तथा प्रत्येक फसल का क्षेत्र, यदि बीज उत्पादन कार्यक्रम किसी अन्य किसानों की भूमि पर लिया गया। यद्यपि, किसी भी बोलीदाताओं ने उपर्युक्त दस्तावेजों को संलग्न नहीं किया था।

 iii. दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेजों में निहित खण्ड 1.4 के अनुलग्नक III के अनुसार बोलीदाता/प्रस्तावक को बीज सामग्री का स्त्रोत तथा विभिन्न किस्म के ओ.पी.टी एल बीज उत्पादन का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। यद्यपि किसी भी बोलतदाता ने आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं करायी।

 सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेजों को बनाने के समय निविदा समिति द्वारा अनुलग्नक III की नियम और शर्तों को विलोपित कर दिया तथा दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेजों में पात्रता मानदंड का निर्धारण बोलीदाता के अनुलग्नक IV के अनुसार किया गया यद्यपि, लिपिकीय गलती के कारण दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेजों में परिवर्तन नहीं किया जा सका। यह भी कहा गया कि जो बोलीदाता द्वारा दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेजों के अनुसार पात्रता मानदंड अनुलग्नक IV को पूर्ण करने वाले बोलीदाता को निविदा समिति के द्वारा पात्र माना गया।

 उत्तर मान्य नहीं है तथा पश्चविचार प्रतीत होता है क्योंकि निविदा समिति द्वारा पात्रता मापदंड बदल दिया गया था, जैसा कि उपर कहा गया है। इसके अलावा दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेजों के अनुलग्नक IV में यह भी निहित था कि बोलीदाता को बीजों का स्वयं उत्पादनकर्ता होना चाहिए। हलांकि, 13 बोलीदाताओं में से 12 बोलीदाताओं ने बीज उत्पादन से संबंधित दस्तावेजों को उपलब्ध नहीं कराया।

- **निविदा में भागीदारी नहीं करने पर भी फर्म के साथ दर अनुबंध अन्तिमीकरण करना**

 कंपनी ने मेसर्स शेफाली बिजिनेस इंटरनेशनल, रायपुर के साथ दर अनुबंध किया (जुलाई 2011) जो कि नियम विरूद्ध था क्योंकि फर्म ने निविदा में भाग नहीं लिया था।

सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि कंपनी के संचालक मण्डल की चौदहवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जो फर्मे दर अनुबंध प्रस्ताव में भाग नहीं लेती स्वयं पंजीकरण करा सकती हैं तथा उन्हे भी मदों के प्रचलित दर से आदेश प्रसारित किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि जवाब में कहा गया है कि योजना को जून 2011 से बंद कर दिया तथा इस प्रकार मेसर्स शेफाली बिजिनेस इन्टरनेशनल के साथ दर अनुबंध नियम विरूद्ध था।

उपर्युक्त से यह प्रमाणित होता है कि सभी 13 बोलीदाताओं ने तकनीकी बोली को अर्हक नहीं कर पाये एवं इसी प्रकार उनके वित्तीय बोली नहीं खोला जाना चाहिए था। यद्यपि, निविदा समिति ने उपरोक्त तथ्यों की उपेक्षा करते हुए सभी 13 बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोला गया एवं नौ अयोग्य बोलीदाताओं से दर अनुबंध कर वर्ष 2011-12 से 2012-13 के दौरान ₹ 47.27 करोड़ की सब्जी बीज की खरीद की गई जिसके परिणामस्वरूप इन बोलीदाताओं को अनुचित लाभ पहुँचाया गया जैसा कि ***अनुलग्नक - 3.1*** में विस्तृत है।

यह उल्लेखनीय है कि कंपनी की उपर्युक्त विसंगतियों के बारे में जानते हुए भी दर अनुबंध अंतिमीकरण किया गया एवं निविदा समिति के सदस्यों (उप महाप्रबंधक (विपणन), उप महा प्रबंधक (स्थापना) उप प्रबंधक (लेखा) और जिला प्रबंधक रायपुर) को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया (26 नवंबर 2011) कर्मचारियों को उनके जबाब 10 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करना था परन्तु मात्र एक ही जवाब[4] जिला प्रबंधक, रायपुर से मिला (28 दिसम्बर 2011) तथा लेखापरीक्षा तिथि तक अन्य सभी कर्मचारियों ने उनके जवाब प्रस्तुत नहीं किए (अप्रैल 2013) यहां तक कि कंपनी के द्वारा न किसी भी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई न ही लेखापरीक्षा तिथि तक किसी भी दर अनुबंध को निरस्त किया गया था।

ख. कपटपूर्ण बोलीदाताओं से ₹ 24.42 करोड़ की बीज खरीदी

दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेज के सामान्य शर्तो के खण्ड 5.1 के अनुसार, किसी भी बोलीदाता से एक से अधिक बोली स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति दर अनुबंध प्रस्ताव में एक संगठन के द्वारा एक से अधिक नामों में प्रतिनिधित्व करता है, तो इस तरह के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

हमने पाया कि आठ बोलीदाताओं के साथ दर अनुबंध किया गया, जिसमें दो बोलीदाताओं ने चार बोलियां विभिन्न नामों से भरी जिसमें समान रूप से पंजीकृत पता टेलीफोन एवं मोबाइल नम्बर और हस्ताक्षर जो आगे दिया गया है ।

[4] जिला प्रबंधक, रायपुर ने उत्तर में कहा कि उसकी भूमिका निविदा समिति में सिर्फ तुलनात्मक विवरण कराने में सहायता करना एवं अन्य लिपिकीय कार्य करना था। उन्होंने यह भी कहा कि वह निर्णय लेने की प्रकिया में शामिल नहीं था।

फर्म का नाम	पता	सम्पर्क नम्बर	बीज खरीदी 31 मार्च 2013 तक (₹ करोड़ में)	अभियुक्तियां
राज सीडस ट्रेडर्स	ए-7 बी.डी.ए. कालोनो तुलसी नगर, भोपाल 462003	0755-2551094 94250-11024	1.65	हस्ताक्षर से यह प्रमाणित हो रहा था कि एक ही व्यक्ति द्वारा दोनों फर्मो के लिए पत्राचार किया गया।
रमा ट्रेडर्स	ए-7 बी.डी.ए. कालोनो तुलसी नगर, भोपाल 462003	0755-2551094 94250-11024	0.29	
अवनी ट्रेडर्स	54, एश्वर्या रेसेडेनसी तेली बांधा, जी.ई रोड, रायपुर	0771-4034171 99261-99999	12.87	हस्ताक्षर से यह प्रमाणित हो रहा था कि एक ही व्यक्ति द्वारा दोनो फर्मो के लिए पत्राचार किया गया।
के.बी.ए.ट्रेडर्स	54, एश्वर्या रेसेडेनसी तेली बांधा, जी.ई रोड, रायपुर	0771-4034171 99261-99999	9.61	
योग			**24.42**	

इससे इंगित होता है कि दो बोलीदाताओं के द्वारा विभिन्न नामों से संचालन किया जा रहा था जो कि निविदा शर्तों के विरूद्ध है। कंपनी को उच्च दर प्राप्ति की जानकारी के बावजूद दर अनुबंध अंतिमीकरण के दौरान दस्तावेजों का सत्यापन एवं बोलीदाताओं की पहचान नहीं की गई थी जबकि कदाचार प्रमाणित हो रहा था। बोली निरस्तीकरण एवं बोलीदाताओं को काली सूची मे डालने के बजाय जो कदाचार में लिप्त थे, कंपनी द्वारा उच्च दर को स्वीकार किया गया। कंपनी द्वारा बोलीदाताओं के दस्तावेजो को ठीक से सत्यापन में विफलता से कपटपूर्ण बोली के माध्यम से उच्च दर अंकित करने में सहायता किया गया। उदाहरण के लिए, प्रमाणित आलू बीज एवं धनियां बीज का दर अनुबंध क्रमशः ₹ 25 प्रति किलोग्राम तथा ₹ 180 प्रति किलोग्राम पर किया गया जबकि प्रचलित दर क्रमशः ₹ 16 प्रति किलोग्राम तथा ₹ 140 प्रति किलोग्राम था (अग्र पैराग्राफ में चर्चा की गई है)। इस प्रकार, दर अनुबंध अंतिमीकरण करने में एवं वर्ष 2011-12 से 2012-13 के दौरान ₹ 24.42 करोड़ की बीज खरीदी की गई जो बोलीदाता नियम विरूद्ध थे एवं जिसके परिणामस्वरूप उन्हे अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया। बीजों के कुल मूल्य (₹ 47.26 करोड़) में से 52 प्रतिशत बीजों का क्रय उपर्युक्त सिर्फ चार फर्मों में से किया गया।

सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि उपरोक्त चार फर्मों के मालिक अलग-अलग होने से सभी फर्में अलग थी। मेसर्स केबीए ट्रेडर्स इन्दौर जो इन्दौर का था एवं उसके फोन नम्बर और पता रायपुर का था जो उसके रायपुर अभिकर्ता का पता एवं फोन नम्बर हो सकता है।

जबकि तथ्य यह है कि प्राप्त बोली में विभिन्न नामों, उनके पते एवं टेलीफोन/मोबाइल नम्बर पहचाने जाने योग्य थे जो यह प्रमाणित करता है कि सभी प्राप्त बोलियों के बोलीदाता एक दूसरे से संबंधित एवं सभी का संचालन एक ही स्थान से किया जा रहा है। इससे यह कपटपूर्ण बोली प्रमाणित होती है। इसके अलावा, निविदा प्रकिया मेसर्स केबीए ट्रेडर्स प्रधान के रूप में तथा अवनी ट्रेडर्स द्वारा मेसर्स केबीए ट्रेडर्स के अभिकर्ता

के रूप में भाग लेना दर अनुबंध प्रस्ताव दस्तावेजों के खण्ड 5.1 की सामान्य शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति दर अनुबंध प्रस्ताव में एक से अधिक बोली एक ही संगठन या विभिन्न नामों से प्रतिनिधित्व करता है तो इस तरह के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग. उच्च दरों पर आलू और धनियां बीज की खरीदी ₹ 14.24 करोड़

हमने पाया कि प्रति प्रस्ताव निर्गमन के दौरान ओपीटीएल बीजों के संबंध में कंपनी द्वारा एमपी एग्रो के दर और 25 फसलों के अंतिमीकृत दर अनुबंध के साथ तुलना नहीं किया गया। इसी तरह, 11 फसलों के प्रमाणित बीज के लिए अंतिमीकृत दर अनुबंध में से कंपनी द्वारा तीन फसलों के दरों की तुलना नहीं की गयी। ओपीटीएल बीज की 25 फसलों और प्रमाणित बीज की तीन फसलों की दरों के तुलना केवल पिछले दरों से कर दर अनुबंध को अंतिमीकृत किया गया।

इसके अलावा, बागवानी विभाग मध्यप्रदेश में उपलब्ध दो फसलों के दरों पर जो वर्ष 2011-12 से संबंधित प्रमाणित बीज (दरों में तुलना नहीं की गई) पर, हमने पाया कि आलू और धनियां की प्रभावित बीज का अत्यधिक उच्च दरों पर दर अनुबंध अंतिमीकृत किया गया था जो आगे दर्शाया गया है।

क्र.सं	प्रमाणित बीज (फसल)	बागवानी विभाग, का दर (₹ प्रति किलो ग्राम)	कंपनी द्वारा दर अनुबंध अंतिमीकृत (₹ प्रति किलो ग्राम)	दर अनुबंध अंतिमीकृत	कुल मूल्य की बीज खरीदी (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1	आलू	16	25	नेफेड को छोडकर आठ फर्मे	13.76 (*अनुलग्नक - 3.2* में वर्णित है)
2	धनियां	140	180	सिर्फ दो फर्मे – रमा ट्रेडर्स एवं राज ट्रेडर्स	0.48 (*अनुलग्नक - 3.3* में वर्णित है)
				योग	14.24

यह उल्लेखनीय है कि दो फर्मों जिनके साथ धनियां बीज के लिए दर अनुबंध किया गया था वास्तव में एक ही फर्म द्वारा अलग-अलग नामों से बोलीयां प्रस्तुत की थी जिसकी चर्चा पिछले पैराग्राफ में है।

सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि मई 2011 में दर अनुबंध को अंतिमीकृत करते समय एमपी एग्रो की दरें उपलब्ध नहीं थीं। इसके अलावा, निदेशक बागवानी, एमपी द्वारा दर अनुबंध अंतिमीकृत अगस्त 2011 में नर्सरी दरों पर किया गया था जबकि कंपनी के द्वारा गतंव्य स्थल तक पहुंच को शामिल करके दर अनुबंध किया गया। इस प्रकार, कम दर का निर्धारण उपलब्ध दर आंकड़ों के आधार पर किया गया था।

उत्तर पुष्टि करता है कि एमपी एग्रो की दर के अभाव में दरों की तुलना नहीं की गई जो कंपनी की नीतियों में कमी को इंगित करता है तथा सिर्फ एमपी एग्रो के दर से तुलना की गई। दरों में तुलना का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान लागू दरों तथा निविदा में प्राप्त दरों की वास्तविकता का आकलन करना है। इसलिए दरों की तुलना के प्रयोजन के लिए अन्य सार्वजनिक उपक्रमों राज्य सरकार द्वारा अंतिमीकृत दर प्राप्त करना चाहिए,

सिर्फ एमपी एग्रो से निर्धारित दर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा, यह जानते हुए भी कि निदेशक बागवानी एमपी का न्यूनतम दर है, कंपनी के द्वारा वहां के प्रस्ताव को प्राप्त कर पूर्व मे अंतिमीकृत दरों के साथ वास्तविकता का आकलन करने की कोशिश नहीं की गयी।

इस प्रकार, नियम विरूद्ध सब्जी बीज दर अनुबंध अंतिमीकरण के परिणामस्वरूप अयोग्य बोलीदाताओं को ₹ 47.26 करोड़ मूल्य का कार्य आदेश मिला।

कंपनी को दर अनुबंध की अंतिमीकरण में पारदर्शी तरीके से लागू नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं से अपने वित्तीय हितों की रक्षा की जानी चाहिए। कंपनी को इस निविदा में हुई अनियमितताओं के लिए जिम्मेदारी तय कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

3.2 उच्च दरों में खरीदी से अतिरिक्त व्यय

उच्च दर में जूट बोरी की खरीदी के कारण ₹ 23.60 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, रायपुर (कंपनी) विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन अपने पंजीकृत किसानों के माध्यम से करता है। बीजों का प्रसंस्करण और पैकिंग के उपरांत उसे किसानों को प्रमाणित बीज रूप में बेचते हैं।

बीज का पैकिंग जूट बोरी में किया जाता है। जूट बोरी की आवश्यकता आंकलन खरीफ मौसम, के अनुमानित उत्पादन जो उस मौसम के उत्पादन कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है। इसी तरह, रबी मौसम के लिए जूट बोरी की खरीदी पिछले खरीफ फसल के अधिशेष जूट बोरी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, यदि हो तो।

खरीफ 2011 एवं रबी 2011-12 के मौसम के लिए जूट बोरी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, कंपनी ने निविदा प्रक्रिया पूर्णकर 40 किलोग्राम एवं 50 किलोग्राम की बोरी का दर क्रमशः ₹ 37.73 एवं ₹ 42.63 प्रति बोरी की दर से मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, रायपुर (नेफेड) से अनुबंध किया (10 अक्टूबर 2011)। अनुबंध की खंड 11 के अनुसार अनुमोदित दर एक वर्ष के लिए 9 अक्टूबर 2012 तक वैध होगा। इसी तरह, खरीफ 2012 एवं रबी 2012-13 मौसम के लिए 50 किलोग्राम बोरी तथा 40 किलोग्राम बोरी के लिए क्रमशः ₹ 43.92 प्रति बोरी एवं ₹ 38.61 प्रति बोरी की दर से कंपनी ने नेफेड और मेसर्स के.एल. जूट, कोलकाता से अनुबंध किया (6 अक्टूबर 2012)। तदनुसार, खरीफ फसल 2012 के लिए जूट बोरी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कंपनी ने नेफेड (8 अक्टूबर 2012) एवं मेसर्स के. एल. जूट, कोलकाता (18 अक्टूबर 2012) को क्रमशः 50 किलोग्राम वाली 10 लाख जूट बोरी एवं 40 किलोग्राम वाली 12.16 लाख जूट बोरी का कार्य आदेश दिया गया।

हमने पाया कि नेफेड के साथ अनुबंधित प्रथम अनुबंध जो कि 9 अक्टूबर 2012 तक वैध था, के अनुसार 50 किलोग्राम की भरती वाली बोरी की दर ₹ 42.63 प्रति बोरी थी। यद्यपि, इसी वैधता अवधि में प्रचलित न्यूनतम दर ₹ 42.63 प्रति बोरी की उपेक्षा करते हुए, कंपनी ने नेफेड को 50 किलोग्राम भरती वाली बोरी के 10 लाख बोरियों की पूर्ति हेतु ₹ 43.92 प्रति बोरी की दर से कार्य आदेश दिया (8 अक्टूबर 2012)। इस प्रकार

प्रचलित दर को उपेक्षा करते हुए, उच्च दर पर उसी फर्म को कार्य आदेश देने के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹ 12.90 लाख[5] अतिरिक्त व्यय हुआ।

हमने यह भी पाया कि मेसर्स के.एल.जूट को ₹ 38.61 प्रति बोरी की दर से 40 किलो के 12.16 लाख बोरे की आपूर्ति का आदेश दिया जाना (18 अक्टूबर 2012) भी उचित नहीं था। चूँकि खरीफ 2012 के लिए उत्पादन कार्यक्रम 16 अप्रैल 2012 को ही अनुमोदित हो चुका था, अतः कंपनी को 40 किलो के बोरे की आवश्यकता का पहले से ही भली-भांति ज्ञात था। इसलिए कंपनी को नाफेड को पुराने दर पर (₹ 37.73 प्रति बोरी) की दर से 40 किलो की जूट की बोरी की आपूर्ति के लिए की गई प्रथम अनुबंध की वैधता अवधि के भीतर (9 अक्टूबर 2012) आदेश दे दिया जाना चाहिए था, जिससे कि मेसर्स के.एल. जूट कोलकाता को उच्च दर पर (₹38.61 प्रति बोरी) आदेश दिए (18 अक्टूबर 2012) जाने से तथा इसके फलस्वरूप ₹ 10.70 लाख[6] का अतिरिक्त व्यय से बचा सकता था। इस प्रकार प्रचलित सहमत दर की उपेक्षा करते हुए उच्च दर पर जूट की बोरियों के क्रय के लिए आदेश दिए जाने से ₹ 23.60 लाख का अतिरिक्त व्यय में परिणामित हुआ।

शासन ने कहा कि (जुलाई 2013) 6 अक्टूबर 2012 को नया अनुबंध होने पर पुराना अनुबंध अस्तित्व से हट चुका था। इस प्रकार, पुरनी दर पर आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं था। यदि कंपनी पुराने अनुबंध के आधार पर आदेश देती तो आपूर्तिकर्ता आदेश पर विवाद करता तथा सामग्री की पूर्ति नहीं करता।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नेफेड तथा मेसर्स के.एल.जूट के साथ नया अनुबंध करते समय (6 अक्टूबर 2012) कंपनी यह भली-भॉति जानती थी कि नई दर पुरानी दर, जो कि 9 अक्टूबर 2012 तक वैध थी, से अधिक थी। इस प्रकार कंपनी को अपने हित को सुरक्षित रखते हुए नेफेड को पुराने अनुबंध की वैधता अवधि के अंदर पुराने दर से आदेश दे दिया जाना चाहिए था तथा उसके बाद नया अनुबंध किया जाना चाहिए था।

कंपनी को अपने वित्तीय हितों को सुरक्षित रखते हुए सामग्री का क्रय अत्यंत मितव्ययी तरीके से करना चाहिए।

छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम

3.3 दोषपूर्ण कोष प्रबंधन

बचत बैंक खाता में ऑटो-स्वीप सुविधा लेने में विफलता के फलस्वरूप ₹ 18.84 लाख की ब्याज की हानि

छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (कंपनी) का निगमन शारीरिक विकलांग एवं अपंग व्यक्तियों के वित्तीय विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया (19 जुलाई 2004) कंपनी नेशनल हैण्डिकैप्ड फाईनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नई दिल्ली (एनएचएफडीसी) से ऋण प्राप्त करती है तथा छत्तीसगढ़ राज्य के विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न स्वरोजगार

[5] 10 लाख बोरी x (₹43.92- ₹42.63)

[6] 12.16 लाख बोरी x(₹ 38.61- ₹37.73)

योजनाओं के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कंपनी अपने दिन प्रतिदिन के लेनदेनों के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ बचत बैंक खाता संधारित करती है। कंपनी के आधिक्य फण्ड को सावधि जमा में निवेश किया जाता है।

रोकड़ पंजी की संवीक्षा (दिसंबर 2012) में पाया गया कि कंपनी के एसबीआई के साथ संधारित खाते में अत्यधिक शेष था। इस खाते में न्यूनतम शेष ₹ 11115 (नवंबर 2009) से ₹ 32475930 (जुलाई 2012) के मध्य था, जिस पर कंपनी ने चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्राप्त किया।

हमने पाया कि एसबीआई ने निगमों, संस्थाओं, न्यास एवं लघु व मध्यम उद्योगों के लिए ऑटो-स्वीप सुविधा के साथ 'सुरभी जमा योजना' जारी किया था (अगस्त 2007)। इस योजना के अंतर्गत ग्राहक को ₹ 50,000 का न्यूनतम शेष रखना पड़ता है तथा न्यूनतम शेष से अधिक कोई भी राशि स्वतः साप्ताहिक आधार पर उस अवधि तक के लिए सावधि जमा में परिवर्तित हो जाएगी तब तक ग्राहक फण्ड का उपयोग नहीं करता। ग्राहक अपनी आवश्यकता के समय यदि बचत खाते में पर्याप्त फण्ड न हो तो सावधि जमा स्वतः बंद हो जाएगी (आहरण राशि के आधार पर) तथा ब्याज की गणना कम से कम 15 दिनों की अवधि से लेकर उस अवधि तक की जाएगी जब तक कि राशि खाते में पडी रही। यद्यपि कंपनी ने ऑटो-स्वीप सुविधा नहीं ली और बजाए इसके अत्यधिक शेष को कम ब्याज दर के बचत खाते में रखे रही।

यदि कंपनी ऑटो स्वीप सुविधा लेती तो यह 2009-10 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान ₹ 18.84 लाख के अतिरिक्त ब्याज की हानि हुई, जैसा कि ***अनुलग्नक - 3.4*** में वर्णित है।

प्रबंधन ने कहा कि मई 2013 कंपनी एनएचएफडीसी से प्राप्त फण्ड 90 दिनों के अंदर वितरित करती है तथा इसी कार्य के लिए, फण्ड बचत खाते में रखे गए थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ऑटो स्वीप सुविधा का चुनाव कर कंपनी बचत खाते में पड़ी हुई अवितरित राशि पर और अधिक ब्याज प्राप्त कर सकती है तथा इसका हितग्राहियों को 90 दिनो के अंदर भुगतान करने का कोई प्रभाव नहीं पडा होता क्योंकि सावधि जमा की दरें 15 दिनों के बाद किसी भी अवधि के लिए मान्य थी।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013) तथा उनका उत्तर अप्राप्त है (सितंबर 2013)।

3.4 विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

प्रस्तावना

3.4.1 छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (कंपनी) का निगमन शारीरिक विकलांग एवं अपंग व्यक्तियों के वित्तीय विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया (19 जुलाई 2004) कंपनी नेशनल हैण्डिकैप्ड फाईनेंस एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली (एनएचएफडीसी) से ऋण

प्राप्त करती[7] है तथा छत्तीसगढ़ राज्य के विकलांग व्यक्तियों को एनएचएफडीसी द्वारा अनुमोदित विभिन्न स्वरोजगार योजनाएँ यथा लघु व्यवसाय, कृषि सम्मिलित गतिविधियाँ, वाहन क्रय, स्व-रोजगार, लघु उद्योग तकनीकी शिक्षा/प्रशिक्षण, सूक्ष्म ऋण योजना, मंदबुद्धि व्यक्तियों के पालकों के लिए योजना तथा दक्षता एवं व्यवसायिक विकास के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता के 18 से 60 वर्ष के कोई भी भारतीय नागरिक जो एनएचएफडीसी द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूरा करता है वह वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।

ब्याज दर

3.4.2 कंपनी एनएचएफडीसी की ऋण नीति में निर्धारित दर से हितग्राहियों से ब्याज[8] वसूल करती है तथा एनएचएफडीसी को पुनर्भुगतान करती है। ब्याज के अंतर की राशि कंपनी द्वारा प्रशासनिक व्ययों के लिए रखी जाती है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

3.4.3 लेखापरीक्षा यह आंकलन करने की दृष्टि से किया गया कि:

- कंपनी ने लक्षित हितग्राहियों के वित्त पोषण के लिए योजना तैयार की थी;
- पात्र विकलांग व्यक्तियों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी;
- समय पर वसूली तथा चूक के प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए वसूली प्रक्रिया प्रभावी थी; और
- ऋण वितरण के पश्चात योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी का प्रभावी तंत्र था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

कंपनी का प्रदर्शन

3.4.4 कंपनी ने इसकी स्थापना अर्थात जुलाई 2004 से 2012-13 तक राज्य के कुल 170290 पात्र विकलांग व्यक्तियों[9] में से 952 विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की।

वर्ष 2009-13 के दौरान कंपनी ने एनएचएफडीसी से ₹ 8.66 करोड़ प्राप्त किए तथा 457 हितग्राहियों को वितरित किया गया, जैसा कि ***अनुलग्नक - 3.5*** में वर्णित है।

योजना

अल्पकालीन/ दीर्घकालीन योजना का निर्माण नहीं करना

3.4.5 कंपनी का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के द्वारा उनके आर्थिक विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। सभी पात्र विकलांग व्यक्तियों

[7] छत्तीसगढ़ शासन ने एनएचएफडीसी से ऋण प्राप्त करने तथा उसे विकलांग व्यक्तियों को वितरण करने हेतु कंपनी को स्टेट चैनलाईजिंग एजेंसी (एससीए) नामित किया है

[8] (i) ₹ 50,000 तक के ऋण के लिए हितग्राहियों द्वारा कंपनी को पांच प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना है तथा कंपनी द्वारा एनएचएफडीसी को दो प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना है।
(ii) ₹ 50,000 से ₹ 5.00 लाख तक के ऋण के लिए हितग्राहियों द्वारा कंपनी को छः प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना है तथा कंपनी द्वारा एनएचएफडीसी को तीन प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना है
(iii) ₹ 5.00 लाख से अधिक के ऋण के लिए हितग्राहियों द्वारा कंपनी को आठ प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना है तथा कंपनी द्वारा एनएचएफडीसी को पांच प्रतिशत की दर से किया जाना है।

[9] 2001 के राज्यव्यापी सर्वे के अनुसार 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता के 20 से 59 वर्ष के भारतीय नागरिकों की जनसंख्या

तक कवरेज हेतु योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य तथा इसे प्राप्त करने के माध्यम को दर्शाते हुए दीर्घकालीन अल्पकालीन योजनाओं का निर्माण आवश्यक है।

हमने पाया कि तथापि कंपनी नौ वर्षों से अधिक की अवधि से अस्तित्व में है किंतु इसने लक्षित जनसंख्या को चरणबद्ध तरीके से वित्त पोषण हेतु कोई दीर्घ कालीन/अल्प कालीन योजना नहीं बनाया है, जो कि लक्षित जनसंख्या में कम कवरेज में परिणामित हुआ। कंपनी ने एनएचएफडीसी के दिशानिर्देशों के अनुरूप भी अपनी कोई नीति नहीं बनाई।

ऋण की स्वीकृति

कंपनी ने 2012-13 तक कुल पात्र विकलांग जनसंख्या के 0.56 प्रतिशत को ही वित्तीय सहायता पहुँचाया

3.4.6 कंपनी, अपनी स्थापना से 2012-13 तक केवल 952 विकलांग व्यक्तियों अर्थात राज्य की कुल पात्र विकलांग जनसंख्या का 0.56 प्रतिशत को ही वित्तीय सहायता पहुँचा पायी। जनजातीय एवं दुर्गम स्थलों में विकलांगों का कवरेज अत्यंत कम था। कंपनी ने 2012-13 तक इन क्षेत्रों के 18055 विकलांग व्यक्तियों में से प्राप्त 90 आवेदन से 14 विकलांगों को वित्तीय सहायता प्रदान की, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

जिला	जिले में पात्र विकलांग जनसंख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	कमियों/ प्रक्रियाधीन होने के कारण अनुमोदन न हुए आवेदनों की संख्या	विकलांग व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत की संख्या
बस्तर	7373	19	17	2
नारायणपुर		2	0	2
दंतेवाडा	5784	17	14	3
बिजापुर		1	1	0
कांकेर	4898	51	44	7
योग	**18055**	**90**	**76**	**14**

इस प्रकार दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले पात्र विकलांग व्यक्ति वित्तीय सहायता तथा योजनाओं के लाभ से भी वंचित रहे।

प्रबंध ने कहा (मई 2013) कि समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन की सहायता से विकलांगों को वित्तीय सहायता पहुँचाई गई।

उत्तर लक्षित जनसंख्या के अत्यंत कम कवरेज के मुख्य मुद्दे को संबोधित नहीं करता।

ऋण स्वीकृति में विलंब

ऋण तीन से 46 महीने के विलंब से स्वीकृत किए गए

3.4.7 2009-10 से 2012-13 तक की अवधि के ऋण स्वीकृति संबंधी दस्तावेजों की संवीक्षा में हमने पाया कि कंपनी ने जिला कार्यालय एवं मुख्यालय में प्राप्त ऋण आवेदनों की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं किया है। इसके अभाव में स्वीकृत किए गए 457 प्रकरणों में से 220 प्रकरणों की नमूना जाँच में इनकी स्वीकृति के लिए तीन से 46 महीनों का अधिक समय लिया गया। यह भी पाया गया कि जिला कार्यालयों एवं मुख्यालयों में आवेदनों की स्थिति की जानकारी संबंधी कोई रजिस्टर संधारित नहीं किया गया।

हमने यह भी पाया कि कंपनी ने स्क्रीनिंग समिति की बैठकों के आयोजन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं किया है, जो कि मुख्यालय में प्रकरणों की स्वीकृति के लिए उत्तरदायी है। परिणामतः स्क्रीनिंग समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की गई, जो कि इस तथ्य से सिद्ध होता है कि 1 अप्रेल 2009 से 31 मार्च 2013 की अवधि के दौरान केवल पॉच बैठकें आयोजित की गई, जिनमें कि ऋण स्वीकृति में और भी विलंब हुआ। प्रबंध ने कहा (मई 2013) कि ऋण स्वीकृति का कार्य 'छत्तीसगढ़ लोक सेवा गॉरंटी अधिनियम 2011' के अधीन सम्मिलित किया गया है तथा प्रकरण 90 दिनों की समय सीमा में पूर्ण किए जायेगे जैसा कि इसमें निर्धारित है।

ऋण का वितरण

कंपनी अंश का हितग्राहियों को वितरण न करना

3.4.8 एनएचएफडीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 50,000 से अधिक की परियोजना लागत के प्रकरणों में (शिक्षा ऋण योजना को छोडकर) कंपनी से परियोजना लागत के पाँच प्रतिशत अंशदान ऋण[10] के रूप में दिए जाने की अपेक्षा की जाती है।

हमने पाया कि हितग्राहियों को ऋण राशि वितरित करते समय कंपनी ने केवल एनएचएफडीसी का ही अंश विमुक्त किया तथा सभी प्रकरणों में, जिसमें परियोजना लागत ₹ 50,000 से अधिक है अपना अंश विमुक्त नहीं किया। परिणामस्वरूप हितग्राहियों को उनकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु फण्ड की व्यवस्था उनके स्वयं के स्त्रोत से करनी पड़ी जो कि उनके लिए वित्तीय कठिनाइयों का कारण बना।

प्रबंध ने कहा (मई 2013) कि कंपनी के पाँच प्रतिशत अंशदान के भुगतान का प्रावधान न होने के कारण इसे हितग्राहियों को विमुक्त नहीं किया गया। यद्यपि प्रबंधन ने कहा कि वे मामले को शासन को अवगत करायेंगे।

तथ्य यह रहा कि कंपनी ने अपना अंश वितरित न करते हुए, एनएचएफडीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में विफल रही।

हितग्राहियों को वितरित ऋण का बीमा न करना

3.4.9 कंपनी ने हितग्राहियों को वितरित ऋण का बीमा करवाने का निर्णय लिया (मार्च 2008) ताकि हितग्राहियों की जीवन जोखिमों के विरूद्ध कंपनी का हित सुरक्षित रहे तथा हितग्राहियों की मृत्यु की दशा में अदत्त ऋण राशि का बीमा कंपनी से दावा किया जा सकें।

यद्यपि हमने पाया कि उक्त निर्णय लिये जाने के बावजूद, कंपनी ने 2009-10 से 2012-13 तक की अवधि मे 457 हितग्राहियों को वितरित किए गए ₹ 8.66 करोड़ के लिए कोई बीमा पॉलिसी नहीं ली है।

[10] (i) ₹ 50,000 तक की परियोजना लागत में एनएचएफडीसी का अंश 100 प्रतिशत है

(ii) ₹ 50,000 से अधिक तथा ₹ 1.00 लाख तक की परियोजना लागत में एनएचएफडीसी का अंश 95 प्रतिशत है तथा कंपनी का अंश पाँच प्रतिशत है

(iii) ₹ 1.00 से अधिक तथा ₹5.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए एनएचएफडीसी का अंश 90 प्रतिशत, कंपनी का अंश पाँच प्रतिशत तथा हितग्राहियों का अंश प्रतिशत है।

(iv) ₹5.00 लाख से अधिक से की परियोजना लागत के लिए, एनएचएफडीसी का अंश 85 प्रतिशत, कंपनी का अंश पाँच प्रतिशत तथा हितग्राहियों का अंश दस प्रतिशत है।

हमने यह भी पाया कि (मार्च 2013) तक चार हितग्राहियों के विरूद्ध ₹ 2.64 लाख बकाया थे जिनकी मृत्यु 2007 से 2009 के मध्य हुई।

प्रबंधन ने कहा (मई 2013) कि बीमा कंपनियों के साथ प्रीमियम दर का अंतिमीकरण नहीं होने के कारण बीमा पॉलिसी प्राप्त नहीं की जा सकी। प्रबंधन ने यह भी कहा कि एनएचएफडीसी के दिशानिर्देशों (2011) के अनुसार मृत्यु प्रकरण में ऋण राशि को माफ किये जाने का प्रावधान है।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि एनएचएफडीसी की ऋण माफी योजना गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हितग्राहियों को जिन्हें ₹ 1.00 लाख का ऋण दिया गया हो को ही लागू होती है। साथ ही माफी कुछ शर्तों के अधीन जैसे हितग्राही की मृत्यु होने पर इकाई परिचालन बंद हो गया हो, हितग्राहियों के विधिक उत्तराधिकारी व्यवसाय जारी रखने या बकाया ऋण चुकाने की स्थिति में न होना शामिल है।

ऋण की वसूली एवं निगरानी

वसूली की धीमी गति होने के कारण ₹ 4.27 करोड़ का अत्यधिक बकाया होना।

3.4.10 कंपनी हितग्राहियों को तीन माह के ऋणस्थगन अवधि को छोड़कर तीन से सात वर्षों के पुनर्भुगतान अवधि के लिए ऋण स्वीकृत एवं वितरित करती है। पाँच लाख[11] तक के ऋण के लिए कोई बंधक नहीं लिया जाता है जबकि पाँच लाख से अधिक है ऋण के लिए ऋण राशि से क्रय की गई संपत्ति को कंपनी के नाम से बंधक रखा जाता है। मूलधन तथा ब्याज समान मासिक किश्तों में वसूला जाता है।

हमने पाया कि ऋण की वसूली के लिए कंपनी ने न ही कोई नीति निर्धारित की है न ही कोई उचित प्रणाली विकसित किया है। हितग्राहियों द्वारा वसूली नकद/चेक/पश्चदिनांकित चेक के माध्यम से की जा रही है। परिणामस्वरूप 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए अंतिम चार वर्षों में ऋण की वसूली अत्यंत कम थी तथा वसूली का प्रतिशत 40.53 तथा 42.48 के मध्य था। कम वसूली के कारण 2009-10 में बकाया राशि ₹ 1.12 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 4.27 करोड़ हो गई जैसा कि नीचे दर्शाया गया:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में देय राशि			हितग्राहियों द्वारा भुगतान की गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया राशि	वसूली का प्रतिशत
	मूलधन	ब्याज	वर्ष के अंत में कुल प्राप्त राशि			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
2009-10	1.33	0.56	1.89	0.77	1.12	40.74
2010-11	2.16	0.77	2.93	1.19	1.74	40.61
2011-12	3.41	1.11	4.52	1.92	2.60	42.48
2012-13	6.20	0.98	7.18	2.91	4.27	40.53

हमने यह भी पाया कि 229 हितग्राही जिन्हें 2005 एवं 2012 के मध्य ₹ 3.95 करोड़ का ऋण वितरित हुआ था, उन्होने कोई भी किश्त अभी तक (दिसंबर 2013) जमा नहीं किए हैं इन 229 हितग्राहियों का वर्षवार विवरण आगे दर्शाया गया है:

[11] 31 मार्च 2012 तक रूपये तीन लाख

वर्ष	हितग्राहियों की संख्या	ऋण राशि (₹)
2005-06	5	270000
2006-07	7	347000
2007-08	27	1424600
2008-09	8	982000
2009-10	33	3001050
2010-11	11	108977
2011-12	71	16746665
2012-13	67	15618049
योग	**229**	**39479341**

चूँकि कंपनी ने किश्त न चुकाने वाले हितग्राहियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा ऐसे प्रकरणों को भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली हेतु राजस्व विभाग को सौंपे जाने का निर्णय लिया (12 जुलाई 2010) किंतु अभी तक (मार्च 2013) कोई भी प्रकरण राजस्व विभाग को नहीं सौंपा गया है। कंपनी ने ऋण को निष्पादित संपत्तियाँ तथा गैर निष्पादित संपत्तियों के वर्गीकरण हेतु कोई मापदण्ड भी निर्धारित नहीं किया है।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2013) कि ऋण की वसूली के लिए प्रक्रिया बनाई जाएगी तथा बकाया राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। प्रबंधन ने यह भी कहा (मई 2013) कि वसूली बढ़ाने के लिए जिला प्रबंधक को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

तथ्य यह रहा कि ऋण की वसूली के उचित प्रणाली के अभाव में तथा किश्त जमा न करने वाले हितग्राहियों के विरूद्ध कार्यवाही करने में विफल रहने के कारण वसूली का प्रतिशत बहुत कम था, जो 43 प्रतिशत से नीचे बना हुआ था।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी में कमी।

3.4.11 एन एच एफ डी सी के दिशा निर्देशों के अनुसार, यह कंपनी की जिम्मेदारी है कि हितग्राहियों को वितरित किया गया ऋण उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया, जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया। साथ ही, कंपनी ऐसी परियोजनाएँ जिनके लिए हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत किया गया, के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

यद्यपि हमने पाया कि कंपनी ने परियाजनाओं की निगरानी के लिए कोई प्रणाली नहीं बनाया और हितग्राहियों द्वारा ऋण राशि से क्रय की गई संपत्तियों का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया। परिणामस्वरूप, कंपनी यह सुनिश्चित करने की स्थिती में नहीं है कि हितग्राहियों द्वारा ऋण राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया, जिसके लिए स्वीकृति मिली थी या परियोजनाएँ कार्यरत दशा में है या बंद है या हितग्राही के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा चलायी जा रही हैं। प्रबंधन ने कहा (मई 2013) कि संपत्तियों का भौतिक सत्यापन तथा परियोजनाओं की निगरानी जिला प्रबंधक द्वारा की जाती है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योकि प्रबंधन अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा।

अपात्र हितग्राहियों के लिए ₹ 28.79 लाख की सब्सिडी का आहरण

3.4.12. समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुमोदित 'उत्थान सब्सिडी योजना' जिसके तहत ऐसे हितग्राहियों को, जो कम से कम तीन वर्षों से सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय चला रहे हो तथा बिना किसी चूक के अंतिम तीन वर्षों के दौरान अपनी मासिक किश्त देय तिथि पर पुनर्भुगतान किया हो, को बकाया ऋण राशि के 50 प्रतिशत के बराबर सब्सिडी दिया जाता है ।

इस प्रकार कंपनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान इस योजना के अधीन 84 हितग्राहियों को चिन्हित किया तथा शासन को ₹ 14.83 लाख की सब्सिडी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जनवरी 2010), जो कि शासन द्वारा मार्च 2010 में विमुक्त किया गया। इसी तरह कंपनी ने वर्ष 2010-11 के दौरान 55 हितग्राहियों को चिन्हित किया तथा शासन को ₹ 15.20 लाख सब्सिडी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जनवरी 2011 इस प्रकार शासन ने ₹ 15.00 लाख नवबंर 2011 में विमुक्त किया ।

हमने पाया कि इस योजना के अधीन वर्ष 2009-11 के लिए शासन को सब्सिडी दावा करते समय कंपनी ने उन हितग्राहियों का भी चयन किया जो इस योजना के अधीन पात्र नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देय तिथि में किश्त जमा नहीं किया तथा कुछ प्रकरणों में हितग्राहियों को वितरित ऋण की अवधि तीन वर्ष से कम थी। परिणामस्वरूप कंपनी ने 131 हितग्राहियों के नाम से ₹ 28.79 लाख की अधिक सब्सिडी आहरित की, जो कि अभी तक हितग्राहियों को वितरित नहीं किया गया है। शासन से प्राप्त आठ पात्र हितग्राहियों की ₹ 1.04 लाख की सब्सिडी भी अभी तक (मार्च 2013) वितरित नहीं की गई।

इस प्रकार, अपात्र हितग्राहियों के सब्सिडी का आहरण तथा शासन से प्राप्त सब्सिडी को पात्र हितग्राहियों को वितरित न करना नियम विरूद्ध है।

प्रबंधन ने कहा (मई 2013) कि योजना के मापदंड के अनुसार हितग्राहियों का चयन जिला स्तर पर किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि उत्थान सब्सिडी योजना के अधीन चयनित 139 हितग्राहियों में से 131 हितग्राही पात्रता मापदण्ड को पूरा नहीं करते थे।

निष्कर्ष

कंपनी ने विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई दीर्घकालीन/अल्पकालीन योजना तैयार नहीं की है। विकलांग व्यक्तियों का कवरेज अत्यंत कम था, क्योंकि 2012-13 तक कंपनी ने राज्य की कुल 170290 पात्र विकलांग जनसंख्या में से केवल 952 विकलांग व्यक्तियों को ही वित्तीय सहायता प्रदान कर सका। ऋणों की स्वीकृति के लिए कंपनी ने 3 से 46 महीनों का अत्यधिक विलंब किया। कंपनी ने हितग्राहियों को वितरित ऋण का बीमा नहीं करवाया। कंपनी ने हितग्राहियों से ऋण की वसूली के लिए उचित एवं प्रभावकारी प्रणाली विकसित नहीं किया फलस्वरूप 31 मार्च 2013 ₹ 4.27 करोड़ की बकाया राशि वसूली योग्य थी तथा 31 मार्च 2013 की समाप्ति पर अंतिम चार वर्षों में वसूली का प्रतिशत 43 से नीचे बना हुआ था। परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु कोई प्रणाली नहीं

थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013) तथा उनका उत्तर अप्राप्त है (सितंबर 2013)।

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड

3.5 गोदाम टूटफूट पर उत्पाद शुल्क की वसूली न होना

उत्पाद शुल्क के ₹ 2.97 करोड़ को आपूर्तिकर्ताओं से वसूलने तथा उत्पाद शुल्क विभाग में जमा करने में कंपनी की असफलता के परिणामतः आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ का विस्तारण तथा राज्य को राजस्व की हानि

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 (विदेशी मदिरा नियम) के अंतर्गत एफ एल 10 लाइसेंस[12] प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड, रायपुर (कंपनी) राज्य में इण्डियन मेड फारेन लिकर (आई.एम.एफ.एल) की आपूर्ति, भण्डारण एवं विक्रय हेतु एकमात्र लाइसेंस-धारी थोक विक्रय एजेन्ट के रूप में कार्यरत है। कंपनी के पास रायपुर तथा बिलासपुर में स्थापित (नवंबर 2001) दो गोदाम हैं। कंपनी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आधार मूल्य[13] पर कंपनी को आई.एम.एफ.एल. की आपूर्ति हेतु पंजीयन के लिए आई.एम.एफ.एल. के आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माणकर्ताओं से खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती है। आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कंपनी द्वारा आधार मूल्य का अनुमोदन किया जाता है। कंपनी द्वारा पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से विभिन्न ब्राण्ड के आई.एम.एफ.एल. की आपूर्ति आधार मूल्य पर प्राप्त करने, उन्हे अपने गोदामों में भण्डारित करने तथा अपना मार्जिन जोड़ने के बाद इसे फुटकर विक्रेताओं को विक्रय करने के लिए राज्य उत्पाद शुल्क विभाग (विभाग) का परमिट कंपनी के पास है। कंपनी एवं आपूर्तिकर्ताओं के मध्य अंतिमीकृत अनुबंध के प्रावधान 2.2 के अनुसार आपूर्ति किए गए आई.एम.एफ.एल. हेतु आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान कंपनी द्वारा फुटकर विक्रेताओं को स्टॉक के विक्रय होने पर ही किया जाएगा। अनुबंध का प्रावधान 2.4 भी प्रावधान करता है कि कंपनी द्वारा फुटकर विक्रेताओ को विक्रय किए जाने तक स्टॉक को संपादित और उसका जोखिम आपूर्तिकर्ता द्वारा वहनीय होगा जो स्टॉक में समस्त हानियों को वहन करेगा। वित्तीय वर्ष के अंत में गोदाम में पड़े गैर बिक्रीत अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन तत्कालीन आधार मूल्य पर किया जाता है तथा उसे कंपनी के वार्षिक लेखो में अंतिम स्कंध के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 17(2) के अनुसार एफ एल 10 लाइसेंसधारी को बोतलों में भरी विदेशी मदिरा के भंडारण पर छीजन की कोई छूट अनुज्ञेय नहीं है। गोदाम में टूटफूट की दशा में एफ एल 10 लाइसेंसधारी को ऐसी टूटफूट की मात्रा पर विहित दर से शुल्क का भुगतान करना होगा।

गोदाम टूटफूट से संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा (जनवरी 2013) से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान 132448.25 प्रूफ लीटर

[12] डिस्टिलरी द्वारा विर्निमित आईएमएफएल के पंजीकृत ब्राण्डों को फुटकर विक्रेताओं को विक्रय करने हेतु थोक विक्रय लायसेंस

[13] वह मूल्य जिस पर कंपनी अपने गोदाम पर आईएमएफएल का स्टॉक प्राप्त करती है

स्पिरिट तथा 140253.9 बल्क लीटर माल्ट का लेखाकरण टूटफूट के अंतर्गत रायपुर गोदाम में किया गया। इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान 122004.4 प्रूफ लीटर स्पिरिट तथा 253927.5 बल्क लीटर माल्ट का लेखाकरण बिलासपुर गोदाम हेतु टूटफूट के अंतर्गत किया गया। विदेशी मदिरा नियम के नियम 17(2) तथा आपूर्तिकर्ता के साथ निष्पादित अनुबंध के प्रावधान 2.4 के अनुसार कंपनी द्वारा उपरोक्त गोदाम टूटफूट की मात्रा पर ₹ 2.97 करोड़ का उत्पाद शुल्क आपूर्तिकर्ता से वसूल करने तथा उसे राज्य उत्पाद शुल्क विभाग में जमा किए जाने की आवश्यकता थी जैसा कि ***अनुलग्नक - 3.6*** में वर्णित किया गया है। यद्यपि हमने देखा कि कंपनी ने आपूर्तिकर्ताओं से उत्पाद शुल्क के ₹ 2.97 करोड़ वसूल नही किए तथा उसे राज्य उत्पाद शुल्क विभाग में जमा भी नही किया गया। जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ का विस्तारण तथा राज्य को ₹ 2.97 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने कहा (जून 2013) कि अनुबंध के प्रावधान 2.4 के अनुसार कंपनी द्वारा स्टॉक के पुनर्विक्रय किए जाने तक समस्त हानियों के लिए आपूर्तिकर्ता उत्तरदायी होगा परंतु अनुबंध में कहीं भी यह उल्लेखित नहीं था कि आपूर्तिकर्ता गोदाम हानि की मात्रा पर उत्पाद शुल्क के भुगतान करने हेतु जिम्मेदार होगा। प्रबंधन ने यह भी कहा कि विदेशी मदिरा निगम का नियम 17(2) केवल छीजन के बारे में कहता है अर्थात लीकेज तथा वाष्पीकरण से हुई हानियों तथा यह गोदाम हानि/कमी से हुई हानियों के बारे में नहीं कहता है। चूंकि उक्त प्रकरण गोदाम हानि से संबंधित था अतएव नियम 17(2) इसमें लागू नही होगा। प्रबंधन ने आगे कहा कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश राज्य बनाम गप्पूलाल, राजस्थान राज्य बनाम पन्नालाल तथा निर्मल चंद्र बैनर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामलों में दिये गये निर्णयों के अनुसार लाइसेंसधारक द्वारा नहीं उठायी गयी/निकाली गई मदिरा की मात्रा पर उत्पाद शुल्क वापसी योग्य नहीं है। शासन ने भी प्रबंधन के दृष्टिकोणों को ही अनुसमर्थित किया (अगस्त 2013)।

उत्तर स्वीकार योग्य नही है क्योंकि-

- अनुबंध के प्रावधान 2.4 के अनुसार कंपनी द्वारा स्टॉक के पुनर्विक्रय किए जाने तक समस्त हानियों के लिए आपूर्तिकर्ता उत्तरदायी होगा अतएव इससे स्वमेव सिद्ध होता है कि इस प्रकार की हानियों पर देय किसी भी कर को केवल आपूर्तिकर्ता द्वारा ही वहन किया जाएगा।
- छीजन अर्थात हानि जिसमें गोदाम हानि शामिल है जैसा कि प्रबंधन ने आयुक्त (उत्पाद शुल्क) छत्तीसगढ़ शासन को लिखे अपने पत्र में उल्लेखित किया है (10 दिसंबर 2010)। इस पत्र में प्रबंधन ने आयुक्त से विदेशी मदिरा नियम में संशोधन करते हुए भण्डारण हानि/गोदाम हानि के लिए अनुमत्य सीमा निर्धारित करने का निवेदन किया क्योंकि यह गोदामों में आई.एम.एफ.एल. को उठाने की सामान्य प्रक्रिया में छीजन के रूप में होने वाली भण्डारण हानि हेतु किसी भी हानि की अनुमति नहीं देता।
- कंपनी द्वारा उद्धृत न्यायिक प्रकरणों का संबंध मदिरा ठेकेदारों (फुटकर विक्रेताओं) द्वारा किसी माह में निर्धारित मासिक मात्रा के नहीं उठायी/नहीं निकाली गई मात्रा पर उत्पाद शुल्क के संग्रहण से है जबकि उक्त मामला एफ एल -10 लाइसेंसधारक द्वारा प्रतिवेदित गोदाम हानि पर उत्पाद शुल्क के संग्रहण से संबंधित है। इस प्रकार

एफ एल-10 लाइसेंस धारक द्वारा गोदाम हानि पर उत्पाद शुल्क का संग्रह से फुटकर विक्रेताओं द्वारा न उठायी गयी मात्रा पर उत्पाद शुल्क का संग्रह पूर्णरूपेण अलग है।

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

3.6 अनुचित लाभ दिया जाना

दाण्डिक ब्याज की वसूली न करने के कारण आबंटिती को ₹ 32.40 लाख का अनुचित लाभ दिया जाना।

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, रायपुर (कंपनी) सड़क, पानी, विद्युत इत्यादि सामान्य सुविधाओं के साथ औद्योगिक विकास केन्द्रों/क्षेत्रों का विकास एवं संधारण करती है तथा संभावित औद्योगिक ईकाईयों/उद्यमियों को भूमि आबंटित करती है। कंपनी द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित भूमि के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित भू-प्रब्याजी (भूमि की लागत हेतु एक अनुमानित राशि) के साथ-साथ उद्यमियों से वार्षिक पट्टा किराया तथा वार्षिक संधारण शुल्क लिया जाता है। कंपनी द्वारा उद्यमियों से भूमि के आबंटन हेतु आवेदन प्राप्त किए जाते है। यदि भूमि उपलब्ध हो तथा आवेदन उपयुक्त पाए जाते हैं तो कंपनी द्वारा 10 प्रतिशत अग्रिम प्रब्याजी (कुल देय प्रब्याजी का 10 प्रतिशत) लेने के पश्चात आबंटन की शर्तों तथा कुल भुगतान की जाने वाली राशि को प्रदर्शित करते हुए मांग पत्र (एलओआई) जारी किया जाता है। मांग पत्र की राशि प्राप्त होने पर भूमि आबंटन आदेश जारी किया जाता है। महासमुंद जिले में कंपनी के बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र में एक बीयर विनिर्माण इकाई लगाने के लिए 25 एकड भूमि हेतु सोना बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड(एसबीपीएल) द्वारा आवेदन किया गया (अक्टूबर 2009)। कंपनी द्वारा अग्रिम प्रब्याजी के रूप में ₹ 5.83 लाख[14] प्राप्त करने (19 फरवरी 2010) के पश्चात् 12 एकड़ भूमि के आबंटन हेतु मांग पत्र जारी किया गया (6 मई 2010)। तत्पश्चात् एसबीपीएल द्वारा बोरई औद्योगिक विकास केन्द्र, दुर्ग में 25 एकड़ भूमि के आबंटन हेतु नया आवेदन जमा किया गया (18 अगस्त 2010) तथा कंपनी से बिरकोनी औद्योगिक केन्द्र की भूमि हेतु भुगतान किए गए ₹ 5.83 लाख के अग्रिम की राशि को समायोजित करने हेतु निवेदन किया गया (25 अगस्त 2010)। तदानुसार कंपनी द्वारा 25 एकड़ भूमि के आबंटन हेतु संशोधित मांगपत्र जारी किया गया (8 अकटूबर 2010) तथा एसबीपीएल को ₹ 9.02 करोड[15] की शेष राशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया। यद्यपि एसबीपीएल ने कंपनी को 25 एकड़ के स्थान पर 9.63 एकड़ भूमि के आबंटन हेतु निवेदन किया था (12 अक्टूबर 2010)। उत्तर में कंपनी ने ₹ 3.5 करोड़ के लिए 9.63 एकड़ भूमि के आबंटन हेतु पुनः संशोधित मांगपत्र जारी किया (14 अक्टूबर 2010) परंतु एसबीपीएल द्वारा राशि नही जमा की गई तथा उक्त भूमि के विषय में मिट्टी परीक्षण कार्य जारी होने के कारण एक माह का समय और मांगा गया (26 नवंबर 2010)। कंपनी द्वारा एसबीपीएल का निवेदन मांग पत्र के

[14] कुल लागत ₹ 58.28 लाख का दस प्रतिशत

[15] बोरई स्थित भूमि हेतु ₹ 9.08 करोड़-बिरकोनी स्थित भूमि हेतु पहले से ही भुगतान किया गया अग्रिम ₹ 0.06 करोड़

प्रावधान 5[16] के अनुसार दाण्डिक ब्याज के भुगतान की शर्त के साथ स्वीकार किया गया (9 दिसंबर 2010) एसबीपीएल द्वारा ₹ 5.83 लाख समायोजित करने पश्चात ₹ 3.44 करोड़ जमा किया गया (23 अप्रैल 2011) यद्यपि एसबीपीएल द्वारा दाण्डिक ब्याज का ₹ 32.40 लाख[17] जमा नहीं किया गया तथा कंपनी से भूमि के उच्च मूल्य पर विचार करते हुए इस दाण्डिक ब्याज को छोड़ने हेतु निवेदन किया गया (23 अप्रैल 2011)। भूमि आबंटन आदेश 13 मई 2011 को जारी किया गया।

एसबीपीएल के निवेदन पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा बोरई औद्योगिक क्षेत्र के दूसरे भागों से एसबीपीएल को फूड पार्क में आबंटित भूमि के मूल्य को अधिक मानते हुए ₹ 32.40 लाख के दाण्डिक ब्याज को माफ करने हेतु एक प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया (13 जुलाई 2011)। दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी बोर्ड द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया और कंपनी द्वारा एसबीपीएल से भी दाण्डिक ब्याज का ₹ 32.40 करोड़ अब तक वसूल नहीं किया गया (जुलाई 2013)।

हमने देखा कि भूमि के उच्च मूल्य के आधार पर कंपनी द्वारा ₹ 3.44 करोड़ के विलंब से किए गए भुगतान पर ₹ 32.40 करोड़ के दाण्डिक ब्याज को माफ किया जाना न्यायपूर्ण नहीं था तथा जैसा कि भूमि का मूल्य बोर्ड द्वारा पूर्व निर्धारित था (सितंबर 2010) और इससे एसबीपीएल भी पूर्णतः भिज्ञ था अतएव यह एसबीपीएल को इस राशि से अनुचित लाभ दिया गया। इस प्रकार मांगपत्र की धारा 5 के अनुसार एसबीपीएल को विलंब अवधि हेतु दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना था जो कि कंपनी के 9 दिसंबर 2010 को लिखे पत्र में भी उल्लेखित किया गया था

प्रबंधन ने कहा (दिसंबर 2012) कि कंपनी के बोर्ड द्वारा दाण्डिक ब्याज की वसूली करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

उत्तर सुनिश्चित करता है कि यद्यपि बोर्ड को कंपनी के हित में मांगपत्र के नियम व शर्तों के अनुसार निर्णय लेना है तथापि बोर्ड ने दो वर्ष व्यतीत होने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया। कंपनी ने एसबीपीएल से ₹ 32.40 लाख वसूल करने के स्थान पर इस मामले को दो वर्षों से भी ज्यादा समय तक लंबित रखा जो एसबीपीएल को ₹ 32.40 लाख का अनुचित लाभ दिए जाने के समान है।

कंपनी को एसबीपीएल से ₹ 32.40 लाख अतिशीघ्र वसूल करना चाहिए।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013) तथा उनका उत्तर अप्राप्त है (सितंबर 2013)।

[16] यदि आवेदक 45 दिनों की निर्धारित अवधी के अंदर आवश्यक राशि जमा करने में असफल रहता है तो आवेदक को समय बढ़ाने हेतु आवेदन करना होगा तथा यदि कंपनी आवेदन स्वीकार कर लेती है तो उसे लंबित अवधि हेतु 18 प्रतिशत वर्षिक की दर से ब्याज देना पड़ेगा

[17] ₹ 3.44 करोड़ x 18 प्रतिशत x 191 दिन (08/10/2010 से 23/04/2011)/365 दिन

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

3.7 राजस्व की हानि

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए अनुबंध भार में कमी के परिणामतः ₹ 36.68 लाख के राजस्व की हानि

छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत का वितरण एवं आपूर्ति समय-समय पर संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 (आपूर्ति संहिता) द्वारा अधिशासित किया जाता है। आपूर्ति संहिता 2005 की धारा 7.9 के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के अंदर अनुबंध मांग/कनेक्टेड भार में कमी हेतु किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। संशोधित आपूर्ति संहिता 2011 में धारा 7.9 को सुधारा गया (नवंबर 2011) जो यह प्रावधानित करता है कि लाइसेंसधारी द्वारा अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के अंदर अनुबंध मांग/कनेक्टेड भार में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी हेतु आवेदन फार्म पर विचार नही किया जाएगा। आपूर्ति संहिता 2011 की धारा 2.1 के अनुसार अनुबंध की प्रारंभिक अवधि से आशय अनुबंध प्रारंभ होने को तिथि से प्रारंभ के दो वर्ष से है। अनुबंध की प्रारंभिक अवधि की वैधता दो वर्ष की अवधि खत्म होने की तिथि के माह के अंतिम दिन तक रहेगी।

पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (कंपनी) द्वारा मेसर्स बृहस्पति आयरन एण्ड स्टील कंपनी (पी) लिमिटेड, रायपुर को 4160 केव्हीए अनुबंध मांग[18] (सीडी) का उच्च दाब कनेक्शन प्रदान किया गया (सितंबर 2007)। उपभोक्ता के निवेदन (सितंबर 2009) के आधार पर सीडी को 4160 केव्हीए से बढ़ाकर 10,000 केव्हीए किया गया जो उपभोक्ता के साथ इस संबंध में एक नए अनुबंध के अंतिमीकरण के पश्चात् 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील हुआ। नए अनुबंध की धारा 4 एवं 9 प्रावधानित करती है कि सभी पक्षकार विद्युत अधिनियम, 2003 के संबंधित प्रावधानों तथा आपूर्ति संहिता सहित उसके अंतर्गत निर्मित सभी नियमों का अनुपालन करने हेतु बाध्य होंगें। इस अनुबंध के अंतर्गत, विद्युत की आपूर्ति एवं उपभोग समय-समय पर संशोधित आपूर्ति संहिता के विभिन्न प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन किया जाएगा। नए अनुबंध की विशेष धारा 27(1) के अनुसार 4160 कव्हीए के कुल सीडी के विद्युत की आपूर्ति हेतु उपभोक्ता के साथ किए गए वर्तमान अनुंबध (सितंबर 2007) को इस अनुबंध के प्रभावशील होने के तिथि से समाप्त माना जाएगा। तदोपरांत उपभोक्ता के निवेदन (नवंबर 2011) पर कंपनी द्वारा 1 जनवरी 2012 से प्रभावशील करते हुए 10,000 केव्हीए सीडी को घटाकार 60 केव्हीए किया गया।

हमने पाया कि आपूर्ति संहिता 2011 की धारा 2.1 के प्रावधान के अनुसार नवीन अनुबंध की दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि 31 मार्च 2012 को खत्म होने वाली थी। प्रारंभिक अवधि के इन दो वर्षो में वर्तमान सीडी में 50 प्रतिशत की कमी अर्थात 5000 के व्ही ए अनुमत्य थी। यद्यपि कंपनी द्वारा उपभोक्ता के सीडी में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा की कमी की अर्थात् आपूर्ति कोड 2011 के प्रावधानों धारा (7.9) का उल्लंघन

[18] केडब्ल्यू, केव्हीए अथवा एचपी में अधिकतम लोड, जैसा प्रकरण हो, अनुबंध में उल्लिखित, उपभोक्ता द्वारा अनुबंधित तथा लायसेंसी द्वारा आपूर्ति किये जाने की सहमति दी जाती है।

करते हुए 10000 केव्हीए से 60 केव्हीए तक सीडी को 1 जनवरी 2012 से प्रभावशील करते हुए कम किया।

इस प्रकार आपूर्ति संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सीडी में कमी करने के परिणामस्वरूप कंपनी को 1 जनवरी 2012 से 31 मार्च 2012 की अवधि के लिए न्यूनतम मांग शुल्क के रूप में ₹ 36.68 लाख[19] के राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने कहा (मई 2013) कि उपभोक्ता ने 28 नवंबर 2007 से विद्युत ऊर्जा का उपभोग करना प्रारंभ किया तथा इस प्रकार अनुबंध की प्रारंभिक अवधि 30 नवंबर 2009 को समाप्त होनी थी। तदोपरांत आपूर्ति संहिता 2005 की धारा 7.17 के अनुपालन में सीडी को 4160 केव्हीए से 10000 केव्हीए बढ़ाने के उद्देश्य से एक पूरक अनुबंध 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील करते हुए उपभोक्ता के साथ अनुबंधित किया गया जो प्रावधानित करता हैं कि यदि उपभोक्ता एवं लाइसेंसधारक के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध में किसी सुधार/संशोधन की आवश्यकता होती है तो पूरक अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। इस प्रकार उपभोक्ता से किया गया 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील पूरक अनुबंध सभी उद्देश्यों के लिए था और यह कोई नया अनुबंध नहीं था। अतः आपूर्ति संहिता के अनुबंध की प्रारंभिक अवधि में सीडी में कमी करने में प्रतिबंध संबंधी प्रावधान इस पूरक अनुबंध पर लागू नहीं होते।

उत्तर स्वीकार योग्य नही है क्योंकि आपूर्ति संहिता 2005 की धारा 7.17 के अनुसार वर्तमान अनुबंध में सुधार/संशोधन पूरक अनुबंध द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार आपूर्ति संहिता के अनुसार पूरक अनुबंध अनिवार्य नहीं है बल्कि यह एक विकल्प मात्र है और इस विकल्प को अनुबंध करने वाले पक्षकारों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। कंपनी द्वारा सीडी को 10000 केव्हीए तक बढ़ाने के उद्देश्य से उपभोक्ता के साथ नवीन अनुबंध किया गया न कि पूरक अनुबंध उपरोक्त तथ्य नवीन अनुबंध की विशेष धारा 27(i) से भी स्पष्ट होता है जो यह प्रावधानित करता है कि इस अनुबंध के प्रभावशील होने की तिथि से उपभोक्ता के साथ 4160 केव्हीए के कुल सीडी के विद्युत की आपूर्ति हेतु निष्पादित (सितंबर 2007) वर्तमान अनुबंध समाप्त माना जाएगा। यह ध्यातव्य है कि पूरक अनुबंध के मामले में वर्तमान और पूरक दोनो अनुबंध सहगामी प्रभावी रहते है। यद्यपि इस विशेष प्रकरण में नवीन अनुबंध की धारा 27(i) के अनुसार 1 जनवरी 2010 से प्रभावशील नवीन अनुबंध के निष्पादित होने के पश्चात् मूल अनुबंध की वैधता समाप्त हो जाएगी (सितंबर 2007)। कंपनी को अनुबंध मांग में कमी की अनुमति देते समय "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता" के प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन करना चाहिए।

सीडी में कमी करते समय कंपनी को "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता" के प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन करना चाहिए।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2013) तथा उनका उत्तर अप्राप्त है (सितंबर 2013)।

[19] सीडी में अनुमत्य कमी अर्थात 10,000 केवीए का पचास प्रतिशत 5,000 केवीए - 60 केवीए= 4940 केवीए x 75 प्रतिशत (वास्तविक मांग के आधार पर की गई बिलिंग अथवा सीडी का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो) x ₹ 330 प्रति केवीए (तत्कालीन प्रशुल्क के आधार पर मांग शुल्क प्रति केवीए प्रतिमाह) x 3 माह (जनवरी 2012 से मार्च 2012) = ₹ 3667950

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड

3.8 परिहार्य व्यय

केटीपीएस के पावर हाऊस-II में ड्युअल फ्लू गैस कंडीशनिंग सिस्टम के प्रचालन तथा मरम्मत की आउटसोर्सिंग करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.08 करोड़ का परिहार्य व्यय

कोरबा ताप विद्युत केन्द्र के पावर हाउस-II में गमन द्रव गैसों के स्टेक इमिशन[20] को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निर्धारित मानक के स्तर तक कम करने के क्रम में पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल {अब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (कंपनी)} ने एक ड्युअल फ्लू गैस कंडीशनिंग सिस्टम (डीएफजीसी) की स्थापना की। डीएफजीसी को एक निजी कंपनी मेसर्स केमिथान इंजीनियर्स (प्रा.) लिमिटेड, मुंबई (केमिथान) द्वारा परिकल्पित, उत्थापित तथा कमीशन (1 फरवारी 2006) किया गया था। कार्यआदेश (13 अक्टूबर 2006) के अनुसार डीएफजीसी का प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एण्ड एम) कमीशनिंग की तिथि से प्रारम्भिक एक वर्ष तक केमिथान द्वारा किया जाना था। कार्य आदेश[21] में यह भी प्रावधान था कि केमिथान डीएफजी के ओ एण्ड एम के लिए कंपनी के कार्मिकों को बिना किसी मूल्य के प्रशिक्षित करेगा। डीएफजीसी का प्रारम्भिक एक वर्ष का ओ एण्ड एम केमिथान द्वारा जनवरी 2009 को पूरा होना था यद्यपि, कंपनी ने यह कहते (फरवरी 2009) हुए कि केटीपीएस में कर्मियों की अत्यंत कमी है, श्रमशक्ति को प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाया और नतीजतन इसे डीएफजीसी का ओ एण्ड एम केमिथान को (फरवरी 2009) से लगातार वार्षिक संविदा के आधार पर कुल खर्च ₹ 2.23 करोड़ (जनवरी 2013 तक) में आउटसोर्स करना पड़ा।

हमने पाया कि (जनवरी 2012) कंपनी यह जानती थी कि डीएफजीसी एक महत्वपूर्ण पर्यावरण सूरक्षा उपकरण है जो केटीपीएस के पावर हाऊस- II के संचालन के समानांतर संचालन हेतु आवश्यक है। तदानुसार डीएफजीसी की कमिशनिग से प्रारम्भिक एक वर्ष का ओ एण्ड एम का कार्य केमिथान को इस दृष्टिकोण से दिया गया कि वह कंपनी के कार्मिकों को प्रशिक्षित करेगा ताकि आगामी वर्षों में बिना किसी अतिरिक्त व्यय के विभागीय स्तर पर ओ एण्ड एम कार्य किया जा सके। उपरोक्त की बजाय यह जानते हुए भी कि ओ एण्ड एम हेतु केवल चार प्लाण्ट अटेन्डेंट ग्रेड II (पी ए II)तथा चार कनिष्ठ अभियंताओं (जे.ई.) की आवश्यकता थी, कंपनी ने आवश्यक जनशक्ति कि नियुक्ति तथा उन्हे डीएफजीसी के ओ एण्ड एम हेतु प्रशिक्षण हेतु ओ एण्ड एम संविदा के प्रारंभिक एक वर्ष (फरवरी 2008 से जनवरी 2009) के दौरान कोई प्रयास नहीं किया। हमने आगे यह पाया कि कंपनी के बाद में 2009-10 तथा 2011-12 के मध्य 14 पी.ए.- II तथा 257 जे.ई. की नियुक्ति की परंतु उन्हे डीएफजीसी के ओ एण्ड एम

[20] स्टेक विमनों का एक प्रकार है, जिसके द्वारा उत्पादित दहनशील गैसों जो फ्लू गैस कहलाती हैं को बाहर हवा में छोड़ा जाता हैं। फ्लू गैसें तब बनती हैं, जब एक पावर प्लाण्ट के भाप पैदा करने वाले बॉयलर में कोयला, तेल प्राकृतिक गैस या अन्य किसी ईंधन का दहन होता हैं। फ्लू गैस सामान्यतः कार्बन डाय ऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के आधिक्य और कम प्रतिशत वाले प्रदूषकों जैसे छोड़े गये द्रव्यांशों कार्बन मोनो ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का मिश्रण है। इन प्रदूषकों के नियंत्रण हेतु ड्यूल फ्लू गैस कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग होता है जो कि हवा में प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करता है।

[21] वाक्य 3.14.00- कार्य की समाप्ति पर तथा सिस्टम को दिये जाने के पूर्व ठेकेदार उनके द्वारा स्थापित सिस्टम को ओ एण्ड एम का प्रशिक्षण कंपनी के कार्मिकों को बिना किसी मूल्य के प्रदान करेगा।

कार्य हेतु प्रतिनियुक्त नही किया। इस प्रकार कंपनी को 14 पी.ए- II तथा 257 जे.ई. की नियुक्ति करने के बाद भी ओ एण्ड एम कार्य आउटसोर्स करते रहना पड़ा। यदि ओ एण्ड एम कंपनी द्वारा विभागीय स्तर पर किया जाता तो चार वर्षों की अवधि (फरवरी 2009 से जनवरी 2013 तक) में ₹ 1.08 करोड़[22] बचाया जा सकता था, क्योंकि डीएफजीसी के ओ एण्ड एम को विभागीय स्तर पर किये जाने की लागत आउटसोर्सिंग पर किये गये खर्च ₹ 55.79 लाख[23] प्रति वर्ष की तुलना में मात्र ₹ 28.84 लाख[24] होती। यह अतिरिक्त व्यय आगे और बढ़ेगा क्योंकि यह अनवरत कार्य है तथा कंपनी ने कार्मिकों को डीएफजीसी के ओ एण्ड एम हेतु प्रशिक्षित करने के लिए कोई पहल (जुलाई 2013) नहीं की है।

प्रबंधन ने कहा (दिसंबर 2012) कि डीएफजीसी के ओ एण्ड एम को तीन पालियों में करने के लिए चार जे.ई. तथा चार पी.ए.- II की आवश्यकता थी। परंतु कार्मिकों की कमी के कारण प्रशिक्षण हेतु कार्मिक उपलब्ध नहीं कराये जा सके इसके परिणामस्वरूप डीएफजीसी का ओ एण्ड एम आउटसोर्सिंग के द्वारा कराया जा रहा है।

प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, यद्यपि कंपनी ने संविदा में डीएफजीसी के ओ एण्ड एम के प्रशिक्षण का प्रावधान रखा था, परंतु वास्तव में जनशक्ति की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कोई कार्ययोजना नहीं तैयार की और न ही उपलब्ध या नवनियोजित पी.ए.- II व जे.ई. को प्रशिक्षित किया जिसके कारण ₹ 1.08 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

कंपनी को आगे हानि को रोकने के लिए डीएफजीसी का ओ एण्ड एम विभागीय स्तर पर कराने हेतु तत्काल कदम उठाने चाहिये ।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2013) तथा उनका उत्तर अप्राप्त है (सितंबर 2013)।

[22] (₹ 55.79 लाख - ₹ 28.84 लाख) x 4 वर्ष

[23] ₹ 22318102/4 वर्ष

[24] (₹ 33043 एक जे.ई. का प्रतिमाह वेतन x 4 जे.ई x 12 माह)+ (₹ 27048 एक प्लॉट सहायक श्रेणी-II का प्रतिमाह वेतन x 4 प्लॉट सहायक श्रेणी-II x12 माह)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड

3.9 शास्ति ब्याज का परिहार्य भुगतान

अग्रिम आयकर का भुगतान न करने/कम भुगतान करने के कारण ₹ 45.46 लाख शास्ति ब्याज का परिहार्य भुगतान

आयकर अधिनियम, 1961 (एक्ट) की धारा 208 के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम आयकर देय होगा यदि करदाता द्वारा देय कर की राशि दस हजार या उससे अधिक है।अधिनियम की धारा 234(ब) प्रावधान करती है कि किसी वित्तीय वर्ष में कोई करदाता धारा 208 के अधीन अग्रिम आयकर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है और ऐसे कर का भुगतान करने में विफल रहने या आंकलित कर के 90 प्रतिशत से कम भुगतान करने पर करदाता अप्रैल के पहले दिन से प्रत्येक माह के लिये आंकलित कर से कम भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

इसके अलावा अधिनियम की धारा 234(स) प्रावधान करती है कि यदि एक करदाता अग्रिम कर का भुगतान करने में विफ्ल होता है या अग्रिम कर का देय तिथि 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर और 15 मार्च तक क्रमशः 15 प्रतिशत, 45 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत से कम भुगतान करता है, तो करदाता कम भुगतान की गई राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल से इसकी पाँच[25] उत्तराधिकारी कंपनियों को संपत्तियों, व्यवसायों, हितों, अधिकारों, दायित्वों, कार्मिकों तथा कार्यवाहियों के हस्तांतरण हेतु 1 जनवरी 2009 से प्रभावशील "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल हस्तांतरण स्कीम नियम 2010" (हस्तांतरण स्कीम) जारी (मार्च 2010) किया। हस्तांतरण स्कीम के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (कंपनी) द्वारा अन्य चार उत्तराधिकारी कंपनियों के मध्य सुचारू कार्य निष्पादन हेतु समन्वय का कार्य किया जाना था।

हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी ने ₹ 17.52 करोड़ की ब्याज से आय को सम्मिलित करते हुए ₹ 17.63 करोड़ की आय अर्जित की। परंतु कंपनी एक्ट की धारा 208 के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त आय पर अग्रिम कर को निर्धारित अवधि में भुगतान करने में असफल रही तथा आयकर का भुगतान 29 सितंबर 2011 को वर्ष 2010-11 हेतु आयकर विवरण दाखिल करते समय किया। चूँकि ब्याज से आय निश्चित आय है तथा कंपनी को भी इसका ज्ञान था, इसे एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम आयकर का भुगतान करना चाहिए था। अग्रिम कर का भुगतान नहीं किये जाने के कारण कंपनी को ₹ 39.91 लाख[26] शास्ति ब्याज का भुगतान (29 सितंबर 2011) करना पड़ा। पुनः, धारा 234 (स) के अंतर्गत, वर्ष 2011-12 के लिए अग्रिम कर का कम भुगतान करने के कारण ₹ 5.55 लाख शास्ति ब्याज का भुगतान भी (सितंबर 2012) करना पड़ा।

[25] छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड

[26] एक्ट की धारा 234 बी - ₹ 21.67 लाख तथा धारा 234 सी - ₹ 18.24 लाख

इस प्रकार वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 हेतु एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करने मे कंपनी की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 45.46 लाख के शास्ति ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

प्रबंधन ने कहा (जून 2013) कि कंपनी ने, सहायक कंपनियों को दिये गये ब्याज सहित ऋण को ब्याज रहित ऋण में परिवर्तित करने के माध्यम से कर दायित्व को कम करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाये हैं। ऐसा करके इसने वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में क्रमशः ₹ 2.11 करोड़ तथा ₹ 4.88 करोड़ की बचत की है। प्रबंधन ने यह भी कहा कि इसके प्रभावशाली अनुनय के कारण इन्होंने आयकर विभाग से पूर्ववर्ती सीएसईबी के समय का ब्याज संबंधी ₹ 21.54 करोड़ को शामिल करते हुए ₹ 251.41 करोड़ की आयकर वापसी प्राप्त की है। प्रबंधन ने आगे यह कहा कि ₹ 45.46 लाख का दाण्डिक ब्याज ₹ 21.54 करोड़ के आयकर विभाग से प्राप्त ब्याज की तुलना में बहुत कम है।

प्रबंधन का प्रत्युत्तर प्रासंगिक तथा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपने प्रत्युत्तर में प्रबंधन ने अपने द्वारा कर सुधार, आयकर विभाग से कर वापसी हेतु किये गये प्रयासों का ब्यौरा दिया। यह कार्य, प्रबंधन का वैधानिक दायित्व है तथा यह किसी भी तरह आयकर देयताओं पर किये गये शास्ति ब्याज जो कि महत्वपूर्ण राशि है के परिहार्य भुगतान को स्पष्ट या क्षमा नहीं करता। ना ही इन कार्यों से आयकर के समय पर भुगतान के कोई विपरीत प्रभाव पड़ सकता था।

कंपनी को चाहिये कि वह एक्ट के प्रावधानों के अनुसार समय पर अग्रिम आयकर भुगतान करने हेतु प्रणाली की योजना तैयार करे।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2013) तथा उनका उत्तर अप्राप्त है (सितंबर 2013)।

सामान्य

3.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.10.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं विभागो द्वारा धारित लेखों एवं अभिलेखों के प्रारंभिक निरीक्षण के साथ प्रारंभ होकर उनकी समीक्षा करते हुए चरम स्थिति को प्रदर्शित करते है। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि उन पर उपयुक्त एवं समयबद्व प्रतिक्रिया कार्यपालिका द्वारा हो।

वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका में क्रमशः मार्च 2010, मार्च 2011, अप्रेल 2012 तथा मार्च 2013 मे रखे जा चुके हैं। वर्ष 2008-09 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) तथा वर्ष 2011-12 के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पी.एस.यू.) में सम्मिलित सात विभागों के अंतर्गत कार्यरत 11 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से संबंधित 17 कण्डिकाओं/निष्पादन लेखा परीक्षाओं में से 11 कण्डिकाओं के संबंध में सरकार से 30 सितंबर 2013 तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। जैसा कि निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल कण्डिकाओ/निष्पादन लेखापरिक्षा	संबंधित विभागों की संख्या	कण्डिकाओं की संख्या जिसके लिए प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुए
2008-09	6	6	2
2011-12	11	5	9
योग	**17**		**11**

विभागवार विश्लेषण ***अनुलग्नक - 3.7*** में दिया गया है

सार्वजनिक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.10.2 वर्ष 2001-02 से 2010-12 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल एवं वाणिज्यिक) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पी.एस.यू.) में 66 कण्डिकाओं तथा सात निष्पादन लेखापरीक्षाओं को शामिल किया गया। इनमें से 46 कण्डिकाओं तथा पॉच निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा 30 सितंबर 2013 तक चर्चा की जा चुकी है। सार्वजनिक उपक्रम समिति ने वर्ष 2001-02 से 2009-10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की छः कण्डिकाओं के संबंध में अनुशंसाएँ दी हैं। निष्पादन लेखा परीक्षाओं पर कोई भी अनुशंसा अभी तक नहीं की गई है।

सार्वजनिक उपक्रम समिति के कार्यकारी नियमों के अनुसार विभागों को उनसे संबंधित अनुशंसाओं पर कार्यवाही विवरण (एक्शन टेकन नोट्स) तीन माह के अंदर समिति को प्रस्तुत करना आवश्यक है। 30 सितंबर 2013 तक 2001-02 से 2009-10 के वर्षों के लिए केवल एक एक्शन टेकन नोट प्राप्त हुआ।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कण्डिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

3.10.3 लेखा परीक्षा के दौरान ध्यातव्य एवं मौके पर निराकृत न हुई लेखापरीक्षा आपत्तियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों(आई. आर.) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों को सूचित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों को आई.आर. का उत्तर इनकी प्राप्ति के चार सप्ताह की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। मार्च 2013 तक 13 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित जारी निरीक्षण प्रतिवेदन परिलक्षित करते है कि 198 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 580 कण्डिकाएं सितंबर 2013 को अनिराकृत रही। निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनिराकृत कण्डिकाओं की 30 सितंबर 2013 को विभागवार स्थिति ***अनुलग्नक - 3.8*** मे दी गई है।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर प्रारूप कण्डिकाओं एवं समीक्षाओं को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव तथा प्रधान सचिव, वित्त को छः सप्ताह की अवधि के भीतर तथ्यों तथा आंकड़ो की पुष्टि तथा उन पर उनकी टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हुए अग्रेषित की जाती है। मई 2013 से जुलाई 2013 के दौरान विभिन्न विभागों को अग्रेषित नौ प्रारूप कण्डिकाओं तथा एक समीक्षा मे से शासन द्वारा तीन प्रारूप कण्डिकाओं का उत्तर अब तक दिया गया है (सितंबर 2013)। छः प्रारूप कण्डिकाओं तथा एक समीक्षा का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है जैसा कि ***अनुलग्नक - 3.9*** मे वर्णित है।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि (अ) जो कर्मचारी निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कण्डिकाओं/ समीक्षाओं एवं लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही विवरण (एक्शन टेकन नोट्स) से संबंधित उत्तरों को भेजने मे विफल रहते हैं, उन पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया विद्यमान है, (ब) हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूली समयबद्व तरीके से किये जाने की कार्यवाही की गई है तथा (स) लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर देने से संबंधित प्रणाली का नवीकरण किया जाना चाहिए।

रायपुर **(पूर्ण चन्द्र माझी)**
दिनांक **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

अनुलग्नक - 1.1

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम के संबंध में 31 मार्च 2013 को अद्यतन प्रदत्त पूंजी, लंबित ऋण और जनशक्ति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका - 1.7)

(स्तंभ 5(क) से 6(घ) के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कंपनी के क्षेत्र एवं नाम	विभाग का नाम	स्थापना का माह और वर्ष	प्रदत्त पूंजी [1]				वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर लंबित ऋण				2012-13 के लिए ऋण समता अनुपात (पूर्व वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या) (31.03.13 को)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
क. कार्यरत सरकारी कंपनियाँ													
कृषि एवं संबंधित													
1	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	कृषि	08.10.2004	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	172
2	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटड	वन	22.05.2001	25.73	0.92	-	26.65	-	-	-	-	-	610
क्षेत्रवार योग				**26.23**	**0.92**	**-**	**27.15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**782**
वित्त													
3	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	सामाजिक कल्याण	19.07.2004	5.00	-	0.00[1]	5.00	-	-	13.49	13.49	2.70:1 (2.29:1)	7
क्षेत्रवार योग				**5.00**	**-**	**0.00**	**5.00**	**-**	**-**	**13.49**	**13.49**	**2.70:1 (2.29:1)**	**7**
अधोसंरचना													
4	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	वित्त	26.02.2001	4.20	-	-	4.20	-	-	-	-	-	5
5	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	16.11.1981	1.60	-	-	1.60	22.96	-	-	22.96	14.35:1 (14.35:1)	289
क्षेत्रवार योग				**5.80**	**-**	**-**	**5.80**	**22.96**	**-**	**-**	**22.96**	**3.96:1 (3.96:1)**	**294**
खनन													
6	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	07.06.2001	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	194
7	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	11.04.2008	-	-	37.00	37.00	-	-	-	-	-	-
8	छत्तीसगढ़ सांधिया कोल कंपनी लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	30.12.2008	-	-	33.36	33.36	-	-	-	-	-	-
9	सीएसपीजीसीएल एईएल पारसा कोलियरीज लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	06.12.2010			0.10	0.10	-	-	-	-	-	1
क्षेत्रवार योग				**1.00**	**-**	**70.46**	**71.46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**195**

[1] वास्तविक राशि ₹ 8,000 है ।

क्र.सं.	कंपनी के क्षेत्र एवं नाम	विभाग का नाम	स्थापना का माह ओर वर्ष	प्रदत्त पूंजी [$]				वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर लंबित ऋण				2012-13 के लिए ऋण समता अनुपात (पूर्व वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या) (31.03.13 को)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
ऊर्जा													
10	छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	-	-	2326.37	2326.37	140.08	145.55	405.39	691.02	0.30:1 (0.20:1)	10826
11	छत्तीसगढ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	-	-	2265.73	2265.73	117.37	-	818.20	935.57	0.41:1 (5.74:1)	4834
12	छत्तीसगढ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	ऊर्जा	30.12.2008	6931.81	-	-	6931.81	-	-	-	-	-	182
13	छत्तीसगढ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	ऊर्जा	30.12.2008	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	27
14	छत्तीसगढ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	-	-	810.76	810.76	36.58	-	1110.13	1146. 17	1.41:1 (1.24:1)	1843
क्षेत्रवार योग				**6931.81**	**-**	**5402.91**	**12334.72**	**294.03**	**145.55**	**2333.72**	**2773.30**	**0.22:1 (0.91:1)**	**17712**
सेवायें													
15	छत्तीसगढ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	वाणिज्यिक कर	7.11.2001	0.15	-	-	0.15	-	-	-	-	-	45
16	छत्तीसगढ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	13.03.2001	0.90	-	0.00[2]	0.90	-	-	295.84	295.84	328.71:1 (328.71:1)	569
17	छत्तीसगढ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	स्वास्थ्य	7.10.2010	3.00	-	-	3.00	-	-	-	-	-	33
18	छत्तीसगढ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	गृह	14.12.2011	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	23
क्षेत्रवार योग				**5.05**	**-**	**0.00**	**5.05**	**-**	**-**	**295.84**	**295.84**	**58.58:1 (116.02:1)**	**670**
योग (क) (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कंपनियाँ)				**6974.89**	**0.92**	**5473.37**	**12449.18**	**316.99**	**145.55**	**2643.05**	**3105.59**	**0.25:1 (0.94:1)**	**19660**

[2] वास्तविक राशि ₹ 7000 है।

क्र.सं.	कंपनी के क्षेत्र एवं नाम	विभाग का नाम	स्थापना का माह और वर्ष	प्रदत्त पूंजी $				वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर लंबित ऋण				2012-13 के लिए ऋण समता अनुपात (पूर्व वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या) (31.03.13 को)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
ख. कार्यरत सांविधिक निगम													
सेवायें													
1.	छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	02.05.2002	2.02	-	2.02	4.04	42.84	-	7.96	50.80	12.57:1 (12.01:1)	692
योग (ख) (कार्यरत सांविधिक निगम)				**2.02**	**-**	**2.02**	**4.04**	**42.84**	**-**	**7.96**	**50.80**	**12.57:1 (12.01:1)**	**692**
महायोग (क+ख)				**6976.91**	**0.92**	**5475.39**	**12453.22**	**359.83**	**145.55**	**2651.01**	**3156.39**	**0.25:1 (0.94:1)**	**20352**

(स्त्रोतः सरकारी कंपनियों/सांविधिक निगम द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

$ प्रदत्त अंश पूंजी में अंश आवेदन राशि शामिल है ।

अनुलग्नक - 1.2

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम के अद्यतन वर्ष के लिये जिनके लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका था, का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(संदर्भित कंडिका - 1.15)

(स्तम्भ 5 (क) से 11 में आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी के क्षेत्र एवं नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)				टर्नओवर	लेखापरीक्षा टिप्पणी का प्रभाव#	प्रदत्त पूंजी^	संचयी लाभ (+)/हानि (-)	विनियोजित पूंजी@	विनियोजित पूंजी पर वापसी $	विनियोजित पूंजी पर वापसी का प्रतिशत
				ब्याज और ह्रास से पहले शुद्ध /हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7	8	9	10	11	12
क. कार्यरत सरकारी कंपनियां														
कृषि एवं संबंधित														
1.	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2013-14	7.47	-	0.40	7.07	213.52	अंतिमीकरण अधीन	0.50	14.39	15.94	7.07	44.35
2.	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	27.85	-	0.04	27.81	46.32	अंतिमीकरण अधीन	26.65	117.38	155.01	27.81	17.94
क्षेत्रवार योग				**35.32**	**-**	**0.44**	**34.88**	**259-.84**		**27.15**	**131.77**	**170.95**	**34.88**	**20.40**
वित्त														
3.	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	2007-08	2010-11	0.64	0.04	0.01	0.59	0.64	गैर-समीक्षित	5.00	0.96	10.06	0.63	6.26
क्षेत्रवार योग				**0.64**	**0.04**	**0.01**	**0.59**	**0.64**		**5.00**	**0.96**	**10.06**	**0.63**	**6.26**
अधोसंरचना														
4.	छत्तीसगढ़ अधासंरचना विकास निगम लिमिटेड	2007-08	2013-14	0.11	-	0.02	0.09	0.31	(-)0.01	4.20	(-) 0.76	3.44	0.09	2.62
5.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्यागिक विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2010-11	10.30	2.84	0.20	7.26	66.68	(-) 2.09	1.60	(-) 35.61	31.83	10.10	31.73
क्षेत्रवार योग				**10.41**	**2.84**	**0.22**	**7.35**	**66.99**	**(-)2.10**	**5.80**	**(-) 36.47**	**35.27**	**10.19**	**28.89**
खनन														
6.	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2012-13	1.68	-	0.08	1.60	9.92	9.43	1.00	(-)0.86	33.35	1.60	4.80
7.	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड	2012-13	2013-14		-	-		-	-	37.00	(-) 1.32	10.47		-
8.	छत्तीसगढ़ सांधिया काल कंपनी लिमिटेड	2011-12	2012-13	(-)0.04	-	-	(-) 0.04	-	गैर-समीक्षित	1.00	(-) 0.07	(-) 3.16	(-) 0.04	-
9.	सीएसपीजीसीएल एईएल पारसा कालियरीज लिमिटेड	2011-12	2012-13	(-) 0.02	-	-	(-) 0.02	-	गैर-समीक्षित	0.10	(-)0.03	0.28	(-)0.02	-
क्षेत्रवार योग				**1.62**	**-**	**0.08**	**1.54**	**9.92**	**9.43**	**39.10**	**(-)2.28**	**40.94**	**1.54**	**3.76**

क्र. सं.	कंपनी के क्षेत्र एवं नाम	लेखो की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)				टर्नओवर	लेखापरीक्षा टिप्पणी का प्रभाव#	प्रदत्त पूंजी^	संचयी लाभ (+)/हानि (-)	विनियोजित पूंजी@	विनियोजित पूंजी पर वापसी $	विनियोजित पूंजी पर वापसी का प्रतिशत
				ब्याज और ह्रास से पहले शुद्ध /हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7	8	9	10	11	12
ऊर्जा														
10.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2011-12	2013-14	(-)1799.26	82.86	130.15	(-)2012.27	4860.21	(-)16.43	2076.37	(-)2888.64	638.76	(-)1929.41	-
11.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	375.58	169.38	189.89	16.31	2319.91	अंतिमीकरण के अधीन	2265.73	(-)389.19	8693.73	185.69	2.14
12.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	2011-12	2013-14	13.18	0.06	0.47	12.65	18.44		6031.81	23.97	303.64	12.71	4.19
13.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	2011-12	2013-14	(-)0.30	-	-	(-)0.30	2.25	अंतिमीकरण के अधीन	0.05	2.40	2.30	(-)0.30	
14.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड	2011-12	2013-14	259.75	61.50	96.87	101.38	629.68	अंतिमीकरण के अधीन	810.76	73.61	2003.84	162.88	8.13
क्षेत्रवार योग				**(-)1151.05**	**313.80**	**417.38**	**(-)1882.23**	**7830.49**	**(-)16.43**	**11184.72**	**(-)3177.85**	**11642.27**	**(-)1568.43**	**-**
सेवायें														
15.	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	2011-12	2013-14	10.92		0.23	10.69	609.62	(-) 0.28	0.15	26.47	26.46	10.69	40.40
16.	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2010-11	2012-13	(-)0.19	78.05	0.64	(-)78.88	2932.01	128.46	0.90	(-) 190.00	317.14	(-)0.83	
17.	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसस निगम लिमिटेड	2011-12	2013-14	0.03	-	-	0.03	0.27	अंतिमीकरण के अधीन	1.00	0.03	9.78	0.03	0.31
18.	छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	$$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				**10.76**	**78.05**	**0.87**	**(-)68.16**	**3541.90**	**128.18**	**2.05**	**(-)163.50**	**353.38**	**9.89**	**2.80**
कुल (क) (सभी क्षेत्रवार सरकारी कंपनियाँ)				**(-)1092.30**	**394.73**	**419.00**	**(-)1906.03**	**11709.78**	**119.08**	**11263.82**	**(-)3247.27**	**12252.87**	**(-)1511.30**	**(-)312.83**
ख. कार्यरत सांविधिक निगम														
सेवाये														
1.	छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम	2011-12	2012-13	33.64	0.73	3.86	29.05	66.26	(-) 0.81	1.00	111.01	164.49	29.78	18.10
कुल (ख) (कार्यरत सांविधिक निगम)				**33.64**	**0.73**	**3.86**	**29.05**	**66.26**	**(-) 0.81**	**1.00**	**111.01**	**164.49**	**29.78**	**18.10**
महायोग (क + ख)				**(-)1058.66**	**395.46**	**422.86**	**(-)1876.98**	**11776.04**	**118.27**	**11264.82**	**(-)3136.26**	**12417.36**	**(-)1481.52**	**(-)11.93**

(स्त्रोतःआंकड़े, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अंकेक्षित वार्षिक लेखों से संकलित किये गये हैं)

टिप्पणीः छत्तीसगढ़ राज्य में कोई भी अकार्यशील सरकारी कंपनियां/सांविधिक निगम नही है।

लेखाओं पर टिप्पणी के प्रभाव में सांविधिक लेखापरीक्षा और नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव सम्मिलित है और लाभ में वृद्धि या हानि में कमी को धनात्मक (+) तथा लाभ में कमी या हानि में वृद्धि को ऋणात्मक (-) में दर्शाया गया है।

@ विनियोजित पूंजी, शुद्ध स्थायी परिसम्पत्तियाँ (पूंजीगत चालू कार्य रहित) कार्यशील पूंजी सहित वित्तीय कंपनियों/निगम के मामलों को छोड़कर जहाँ विनियोजित पूंजी की गणना प्राप्त पूंजी की गणना प्राप्त पूंजी, मुक्त संचय, बाण्डस, जमा और उधारियां (पुनर्वित राहित) के माध्यम के रूप में की गई है।

$ विनियोजित पूंजी पर वापसी की गणना लाभ हानि खाते पर प्रभारित लाभ और ब्याज को छोड़कर कि गयी है।

$$ कंपनी ने अभी तक अपने लेखे प्रस्तुत नही किये है।

^ प्रदत्त अंश पूंजी में अंश आवेदन राशि शामिल है जिसका आवंटन होना शेष है।

अनुलग्नक - 1.3

वर्ष के दौरान समता पूंजी/ऋण की प्राप्ति, प्राप्त/प्राप्ति योग्य अनुदान और सहायता, प्राप्त गारंटियाँ, बकाया का स्वत्व त्याग, अपलेखित ऋण एवं ऋण का समता पूंजी में परिवर्तन और मार्च 2013 के अंत तक गारंटी वचनबद्धता दिखाने वाला विवरण

(संदर्भित कंडिका - 1.10)

(स्तम्भ 3 (क) से 6 (घ) के आंकड़े ₹ करोड़ में है)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त समता पूंजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता और अनुदान *				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटीयां और वर्ष के समाप्ति पर वचनबद्धता **		वर्ष के दौरान बकाया स्वत्व का त्याग			
		समता पूंजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्धता	ऋण पुनर्भुगतान अपलेखित	समता पूंजी में परिवर्तित ऋण	ब्याज/ दाण्डिक ब्याज अपलेखित	कुल
1	2	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
क. कार्यरत सरकारी कंपनियाँ													
कृषि एवं संबंधित													
1.	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एंव कृषि विकास निगम लिमिटेड	-	-	5.86	-	-	5.86	-	-	-	-	-	-
2.	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	(1.00)	-	(1.00)	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				**5.86**	**(1.00)**	**-**	**17.52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
वित्त													
3.	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	-	-	-	0.10 (0.40)	-	0.10 (0.40)		8.31	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**-**	**-**	**-**	**0.10 (0.40)**	**-**	**0.10 (0.40)**		**8.31**	**-**	**-**	**-**	**-**
अधोसंरचना													
4.	छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	(0.30)	-	(0.30)	-	-	-	-	-	-
5.	छत्तीसगढ़ राज्य आधौगिक विकास निगम लिमिटेड	-	-	5.85	48.37	-	54.22	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**-**	**-**	**5.85**	**48.37 (0.30)**	**-**	**54.22 (0.30)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
खनन													
6.	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ऊर्जा													
7.	छत्तीसगढ़ राज्य विधुत वितरण कंपनी लिमिटेड	-	108.82	-	351.12 (179.75)	-	351.12 (179.75)	500.00	500.00	-	-	-	-
8.	छत्तीसगढ़ राज्य विधुत उत्पादन कंपनी लिमिटेड	-	-	-	-	0.86	0.86	-	429.30	-	-	-	-
9.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटड	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**900.00**	**108.82**	**-**	**351.12 (179.75)**	**0.86**	**351.98 (179.75)**	**500.00**	**929.30**	**-**	**-**	**-**	**-**

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त समता पूंजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता और अनुदान *				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटीयां और वर्ष के समाप्ति पर वचनबद्धता **		वर्ष के दौरान बकाया स्वत्व का त्याग			
		समता पूंजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्धता	ऋण पुनर्भुगतान अपलेखित	समता पूंजी में परिवर्तित ऋण	ब्याज/ दाण्डिक ब्याज अपलेखित	कुल
1	2	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
सवायं													
10	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	-	500.00	2610.30	741.05	-	3351.35	-	-	-	-	-	-
11	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटड	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**2.00**	**500.00**	**2610.30**	**741.05**	**-**	**3351.35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल (क) (सभी क्षेत्रवार सरकारी कंपनियां)		**902.00**	**608.82**	**2622.01**	**1140.64 (181.45)**	**0.86**	**3763.51 (181.45)**	**500.00**	**937.61**	**-**	**-**	**-**	**-**
ख. कार्यरत सांविधिक निगम													
सवायं													
1.	छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम	1.52	42.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख) (कार्यरत सांविधिक निगम)		**1.52**	**42.84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
महायोग (क + ख)		**903.52**	**651.66**	**2622.01**	**1140.64 (181.45)**	**0.86**	**3763.51 (181.45)**	**500.00**	**937.61**	**-**	**-**	**-**	**-**

(स्त्रोतः सरकारी कंपनियों/सांविधिक निगम द्वारा प्रदान किये गये आंकड़े.)

* स्तम्भ 4 (क) से 4 (घ) में कोष्ठक में दिखाये गये आंकड़े अनुदान दर्शाते है।

** आंकड़े वर्ष के अंत में कुल बकाया गारंटी दर्शाते है।

अनुलग्नक - 1.4

राज्य सरकार द्वारा पी.एस.यू. में किया गया निवेश दिखाने वाला विवरण जिनके लेखे बकाया है

(संदर्भित कंडिका - 1.24)

(स्तम्भ 4 एवं 6 से 9 के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जब तक लेखों का अंतिमीकरण किया जा चुका है	अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार प्रदत्त पूंजी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश जिनके लेखे अवशिष्ट है				
				वर्ष	समता पूंजी	ऋण	अनुदान	उपदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कार्यरत कंपनियाँ/निगम								
क. सरकारी कंपनियाँ								
1.	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	2007-08	5.00	2008-09	-	-	0.47	0.08
				2009-10	-	-	0.47	0.15
				2010-11	-	-	0.10	0.15
				2011-12	-	-	0.47	0.15
				2012-13	-	-	0.40	0.10
2.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2007-08	4.20	2008-09	-	-	0.25	-
				2009-10	-	-	0.30	-
				2010-11	-	-	0.30	-
				2011-12	-	-	0.30	-
				2012-13	-	-	0.30	-
3.	छत्तीसगढ़ राज्य आधौगिक विकास निगम लिमिटड	2005-06	1.60	2006-07	-	5.00	-	75.87
				2007-08	-	5.00	-	105.48
				2008-09	-	1.95	-	17.47
				2009-10	-	-	-	35.21
				2010-11	-	0.01	-	37.95
				2011-12	-	-	-	40.29
				2012-13	-	-	-	48.37
4.	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	2008-09	1.00	2009-10	-	-	58.52	-
				2010-11	-	-	24.00	-
				2011-12	-	-	55.00	-
				2012-13	-	-	-	-
5.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2011-12	2076.37	2012-13	-	108.82	179.75	351.12

(स्तम्भ 4 एवं 6 से 9 के आंकड़े ₹ करोड़ में है)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जब तक लेखों का अंतिमीकरण किया जा चुका है	अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार प्रदत्त पूंजी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश जिनके लेखे अवशिष्ट है				
				वर्ष	समता पूंजी	ऋण	अनुदान	उपदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	2011-12	6031.81	2012-13	900	-	-	-
7.	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	2011-12	1.00	2012-13	1.00	-	-	-
8.	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2010-11	0.90	2011-12	-	500.00	-	996.92
				2012-13	-	500.00	-	741.05
9.	छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	प्रथम लेखे अभी तक अंतिमीकृत नही हुए हैं		2012-13	1.00	-	-	-
10.	छत्तीसगढ राज्य भंडार गृह निगम	2011-12	1.00	2012-13	1.52	-	-	-
	योग				**903.52**	**1120.78**	**320.63**	**2450.36**

(स्त्रोतः सरकारी कंपनियों/सांविधिक निगम द्वारा प्रदान किये गये आंकड़े)

अनुलग्नक - 1.5

छ.ग. राज्य भंडार गृह निगम की वित्तीय स्थिति दिखाने वाला विवरण

(संदर्भित कंडिका - 1.15)

(₹ करोड़ में)

क. दायित्व	2009-10	2010-11	2010-11
प्रदत्त पूंजी	1.00	1.00	1.00
पूंजी के विरूद्ध अग्रिम	-	-	-
संचय और आधिक्य•	100.48	122.27	151.28
उधारियाः			
सरकारी	-	-	-
अन्य	1.94	8.64	12.21
व्यापारिक देय एवं चालू दायित्व	74.11	96.37	87.74
योग क	**177.53**	**228.28**	**252.23**
ख. संपत्तियाँ			
सकल परिसम्पत्तियाँ	56.91	73.56	96.92
घटाया ह्रास	25.79	28.10	31.96
शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ	31.12	45.46	64.96
पूंजीगत चालू कार्य	2.37	10.58	6.84
चालू संपत्तियाँ , ऋण एवं अग्रिम	144.04	172.24	180.43
योग ख	**177.53**	**228.28**	**252.23**
विनियोजित पूंजी*	**103.42**	**131.91**	**164.49**

(स्त्रोतः आंकडे निगम के अंकेक्षित वार्षिक लेखों से संकलित किये गए हैं)

* विनियोजित पूंजी, शुद्ध स्थायी सम्पत्तियॉ (पूजीगत व्यय/ पूंजीगत चालू कार्य सहित) धन कार्यशील पूंजी को दर्शाता है ।

•सामान्य संचय, पूंजीगत संचय एवं स्वयं क्षतिपूर्ति कोष सहित।

अनुलग्नक - 1.6

छ.ग. राज्य भंडार गृह निगम का कार्यकारी परिणाम दिखाने वाला विवरण

(संदर्भित कंडिका - 1.15)

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12
1	आय			
	(क) वेयर हाऊसिंग प्रभार	46.58	46.53	56.56
	(ख) अन्य आय	5.81	7.47	9.70
	योग (क+ख)	**52.39**	**54.00**	**66.26**
2	व्यय			
	(क) स्थापना प्रभार	8.97	16.04	19.31
	(ख) अन्य प्रभार	10.25	10.68	13.66
	योग (क+ख)	**19.22**	**26.72**	**32.97**
3	कर पूर्व लाभ (+)/हानि(-) (1-2)	33.17	27.28	33.29
4	अन्य विनियोजन	32.97	27.08	33.09
5	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि (3-4)	0.20	0.20	0.20
6	वर्ष के लिये लाभांश	0.20	0.20	0.20
7	विनियोजित पूंजी पर कुल प्रत्याय[r]	21.85	21.99	29.78
8	विनियोजित पूंजी पर कुल प्रत्याय का प्रतिशत	21.06	16.67	18.10

(स्त्रोतः आंकड़े निगम के अंकेक्षित वार्षिक लेखों से संकलित किये गए हैं)

[r] पूर्व अवधि के समायोजन इनमें समाहित नहीं है।

अनुलग्नक - 2.1

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का विवरण

(संदर्भित कण्डिका - 2.1)

केन्द्र सरकार की योजनायें		
स.क्र.	योजना का नाम	योजना का विवरण
1.	गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल)	यह योजना भारत सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अधीन खाद्यान्न का वितरण करने के लिये 1997 में लागू की गई और तदुपरांत इसके संचालन के लिये वर्ष 2001 एवं 2004 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश जारी किये गये। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को प्रतिमाह 35 कि. ग्रा. खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ एक साथ) ₹ 5.65 प्रति कि.ग्रा. (चावल) एवं ₹ 4.15 प्रति (गेहूँ) कि.ग्रा. की रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। हितग्राहियों द्वारा 35 कि.ग्रा. की अधिकतम सीमा के अंदर अपनी पसंद के अनुसार चावल और गेहूँ उठया जा सकता है।
2.	अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय)	यह योजना मुख्य रूप से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों में भी गरीब लोग जो कम मूल्य पर भी आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में सक्षम होते है, की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये प्रारम्भ की गई है। भारत सरकार ने बीपीएल परिवारों के बीच गरीबों में भी गरीब लोगों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्रति माह 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न ₹ 3 प्रति कि.ग्रा. (चावल) और ₹ 2 प्रति कि. ग्रा. (गेहूँ) के प्रावधान के द्वारा दिसम्बर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय) लागू की। हितग्राहियों द्वारा 35 कि. ग्रा. की अधिकतम सीमा के अंदर अपनी पसंद के अनुसार चावल और गेहूँ उठाया जा सकता हैं।
3.	अन्नपूर्ण योजना (एपीवाय)	इस योजना का उद्देश्य ऐसे वरिष्ठ असहाय नागरिकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है और जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में सम्मिलित नहीं किये गये हैं। छत्तीसगढ में इसे अक्टूबर 2001 में लागू किया गया था। हितग्राही प्रतिमाह 10 कि ग्रा चावल मुफ्त में प्राप्त करते है।
4.	गरीबी रेखा के ऊपर (एपीएल)	यह योजना भारत सरकार द्वारा 1997 में गरीबी रेखा के उपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 15 कि.ग्रा खाद्यान्न (चावल और गेहूँ) रियायती दरें पर दिया जाता है (चावल ₹ 9.30 प्रति किग्रा. की दर से और गेहूँ ₹ 7.50 प्रति किग्रा की दर से)
5.	मध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएम)	प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने, उपस्थिति बढाने और बच्चों को विद्यालय में रोकने एवं इसके साथ-साथ उनके पोषण स्तर में सुधार करने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यान्ह भोजन योजना आरम्भ की गई (अगस्त 1995)। योजना के क्रियान्वयन के लिये, राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग के आबंटन के अनुसार विद्यालयों को 100 ग्राम चावल प्रति बच्चा प्रति विद्यालयों प्रति दिन मुफ्त आबंटन दिया जाता है।
6.	पूरक पोषण आहार योजना (पीपीए)	पूरक पोषण आहार योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजाना में गर्भवती महिलाओं और छः माह से छः वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों के द्वारा मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराया जाता हैं। इस योजना में कंपनी द्वारा की गई खाद्यान्न की आपूर्ति का दावा भारत सरकार को किया जाता है तथा भारत सरकार द्वारा उसका भुगतान किया जाता है।
7.	अन्य कल्याणकारी योजना (ओडब्ल्यूएस)	अन्य कल्याणकारी योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रावासों एवं आश्रमों को 15 कि.ग्रा. प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। इन छात्रावासों एवं आश्रमों का संचालन छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
राज्य सरकार की योजना		
1.	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (एमकेएसवाय)	छत्तीसगढ सरकार ने अप्रैल 2007 में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (एमकेएसवाय) की शुरूआत की। इस योजना में ऐसे बीपीएल परिवारों को खाद्यान्न वितरित किया जाता है जिनका नाम 1991 एवं 1997 में किये गये सर्वेक्षण में उपलब्ध था किंतु छत्तीसगढ सरकार द्वारा वर्ष 2002 एवं 2007 में कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर तैयार हितग्राहियों की सूची में उपस्थित नहीं था। योजना का उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत छूटे गरीब परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाली सामग्री का वितरण करना है। इस योजना के अंतर्गत, छत्तीसगढ सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को ₹ 2 प्रति कि.ग्रा. एवं अंत्योदय परिवारों को ₹ 1 प्रति कि. ग्रा. चावल वितरित किया जात है।

अनुलग्नक - 2.2

चावल का आधिक्य उपार्जन दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका - 2.10)

जिले का नाम	वर्ष	तिमाही	प्रारंभिक शेष (मीट्रिक टन में)	उपार्जन क्रय अन्तरण सहित (मीट्रिक टन में)	वर्ष के दौरान क्रय अन्तरण (मीट्रिक टन में)	स्कन्ध की तिमाही उपलब्धता (मीट्रिक टन में)	वितरण (मीट्रिक टन में)	अन्तिम शेष (मीट्रिक टन में)	भुगतान किये गये परिवहन शुल्क (₹ में)
जाँजगीर	2008-09	I	95082.41	31210.83	2548.01	126293.24	21446.44	104846.80	443354
		II	104846.81	1587.60		106434.41	28553.16	77881.25	
		III	77881.25	17669.72		95550.97	27133.56	68417.41	
		IV	68417.41	67995.76		136413.17	24992.84	111420.33	
	2009-10	I	111420.33	2351.14	5047.34	113771.47	23698.66	90072.81	876975
		II	90072.81	9009.59		99082.40	22067.41	77014.99	
		III	77014.99	12497.90		89512.89	22358.66	67154.23	
		IV	67154.23	59902.54		127056.77	22672.94	104383.83	
	2011-12	I	112469.92	24131.64	3049.9	136601.56	19697.18	116904.38	684703
		II	116904.38	5862.01		122766.39	25518.66	97247.73	
		III	97247.73	20626.53		117874.26	23924.66	93949.60	
		IV	93949.60	35146.32		129095.92	25127.13	103968.79	
राजनांदगांव	2008-09	I	48403.83	9505.08	4131.7	57908.91	25154.99	32753.92	1698863
		II	32753.92	4131.21		36885.13	22334.69	14550.44	
		III	14550.44	38290.72		52841.16	23307.27	29533.89	
		IV	29533.89	49585.36		79119.25	22274.26	56844.99	
	2009-10	I	56844.99	1001.58	1885.18	57846.57	26202.08	31644.49	1033361
		II	31644.49	77.15		31721.64	18710.30	13011.34	
		III	13011.34	35556.97		48568.31	19278.09	29290.22	
		IV	29290.22	27331.28		56621.50	19854.11	36767.39	
	2012-13	I	39050.58	19318.75	12838.40	58369.33	18665.06	39704.27	7713947
		II	39704.27	2734.89		42439.16	22108.80	20330.36	
		III	20330.36	12297.88		32628.24	20031.45	12596.79	
		IV	12596.79	39197.21		51794.00	20590.60	31203.40	
योग									**12451203**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा प्रदान किये गये आंकड़े से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 2.3

परिवहनकर्ताओं द्वारा सुपुर्दगी नहीं किये गये खाद्यान्नों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका - 2.17)

क्र.स.	वर्ष	अवधि	जिले का नाम	परिवहनकर्ता का नाम	कमोडिटी का नाम	मात्रा (क्विंटल में)	कमोडिटी का मूल्य (दर प्रति क्विंटल)	कमोडिटी का कुल मूल्य (₹ लाख में)	वसूली के लिए उपलब्ध/ वसूल की गई राशि (₹ लाख में)	शेष वसूली (₹ लाख में)
1	2007-08 एवं 2008-09	01.04.2007 से 30.06.2008	महासमुन्द	मेसर्स चन्द्रेश ठक्कर	चावल रॉ कामन	1749.50	1494.32	26.14	2.65	
					चावल रॉ ग्रेड 'ए'	500.00	1547.60	7.74		
					योग (अ)			**33.88**	**2.65**	**31.23**
2	2007-08 एवं 2008-09	01.04.2007 से 30.06.2008	महासमुन्द	मेसर्स अतुल बग्गा	चावल रॉ कामन	7363.16	1494.32	110.03	9.98	
					चावल रॉ ग्रेड 'ए'	4381.30	1547.60	67.80		
					योग (ब)			**177.83**	**9.98**	**167.85**
3	2009-10	17.02.2010 से 09.03.2010	रायगढ़	मेसर्स साजन कुमार शर्मा	चावल	3605.89	2087.00	75.25	0	
					गेहूँ	646.25	1500.00	9.69		
					शक्कर	89.60	2500.00	2.24		
					नमक	141.76	500.00	0.71		
					एच एण्ड टी शुल्क			0.52		
					योग (स)			**88.41**	**0**	**88.41**
योग (अ+ब+स)								**300.12**	**12.63**	**287.49**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक- 2.4

पीडीएस की विभिन्न योजनाओं के तहत चावल एवं गेहूँ का वर्षवार आबंटन एवं वितरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(सन्दर्भित कंडिका - 2.21)

(मात्रा मीट्रिक टन में)

योजना का नाम	आबंटन	वितरण	अन्तर	आबंटन से वितरण का प्रतिशत
1	2	3	4=(2-3)	3/2 x 100
2008-09				
एपीएल	117901.00	30747.00	87154.00	26.08
बीपीएल	485688.00	495481.53	-9793.53	102.02
एएवाय	301944.00	301944.00	0.00	100.00
एपीवाय	3200.04	3090.00	110.04	96.56
आडब्लयूएस	24000.00	0.00	24000.00	0.00
एमडीम	79344.49	81525.83	-2181.34	102.75
पीपीए	101824.00	104341.33	-2517.33	102.47
एमकेएस वाय		690559.49	-29809.97	104.51
2009-10				
एपीएल	304320.00	223575.47	80744.53	73.47
बीपीएल	485752.00	485312.20	439.80	99.91
एएवाय	297921.44	297122.62	798.82	99.73
एपीवाय	2779.51	2737.09	42.42	98.47
ओडब्ल्यूएस	27641.51	24913.64	2727.87	90.13
एमडीएम	91602.95	82843.55	8759.40	90.44
पीपीए	103867.00	76138.70	27728.30	73.30
एमकेएसवाय	466537.66	447757.94	18779.72	95.97
ओएमएस	4939.17	2888.18	2050.99	58.48
2010-11				
एपीएल	404700.31	360145.35	44554.96	88.99
बीपीएल	574954.73	573108.55	1846.18	99.68
एएवाय	290311.87	287883.80	2428.07	99.16
एपीवाय	2453.77	2370.66	83.11	96.61
ओडब्ल्यूएस	30179.24	28337.55	1841.69	93.90
एमडीएम	93105.02	85458.96	7646.06	91.79

पीपीए	52369.00	50813.12	1555.88	97.03
एमकेएसवाय	76130.73	73158.8	2971.93	96.10
टीपीडीएस	238063.03	132559.90	105503.13	55.68
2011-12*				
एपीएल	599789.95	447890.94	151899.01	74.67
बीपीएल	761055.14	727620.01	33435.13	95.61
एएवाय	293415.59	293415.59	0.00	100.00
एपीवाय	2188.71	2190.28	-1.57	100.07
ओडब्ल्यूएस	38631.16	38221.21	409.95	98.94
एम्डीएम	105643.89	92208.36	13435.53	87.28
पीपीए	61411.02	58280.10	3130.92	94.90
एमकेएसवाय	0.00	30882.22	-30882.22	
टीपीडीएस	23320.48	23320.48	0	100
2012-13*				
एपीएल	456480.00	278372.15	178107.85	60.98
बीपीएल	893916.16	897996.45	-4080.29	100.46
एएवाय	371997.24	364633.93	7363.31	98.02
एपीवाय	3200.04	2543.65	656.39	79.49
ओडब्ल्यूएस	43368.00	32798.96	10569.04	75.63
एम्डीएम	99889.40	80570.34	19319.06	80.66
पीपीए	82408.42	83131.93	-723.51	100.88
एमकेएसवाय	8644.62	8744.74	-100.12	101.16

* कंपनी द्वारा अनंतिम आंकड़े प्रदान किये गये।

(स्त्रोतः कंपनी के दस्तावेजों से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 2.5

परिवर्तित स्कन्ध की आर्थिक लागत एवं सब्सिडी दावा को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका - 2.22)

वर्ष	योजना	आबंटित मात्रा (मीट्रिक टन)	परिवर्तित मात्रा (मीट्रिक टन)	आर्थिक लागत प्रति मीट्रिक टन (₹)	परिवर्तित मात्रा की कुल आर्थिक लागत (₹ करोड़ में)	भारत सरकार से सब्सिडी दावा (₹ करोड़ में)
अ. गेहूँ						
2009-10	एपीएल/बीपीएल/एए वाय	52180.00	48863.13	14246.10	69.61	कोई सब्सिडी नहीं
2010-11	एपीएल/बीपीएल/एए वाय	48006.00	18799.61	14943.50	28.09	कोई सब्सिडी नहीं
	एपीएल का अतिरिक्त आबंटन	30432.00	30432.00	14943.50	45.48	कोई सब्सिडी नहीं
	बीपीएल का अतिरिक्त/तदर्थ आबंटन	4636.00	4636.00	14943.50	6.93	कोई सब्सिडी नहीं
	एपीएल	18064.00	11747.90	14943.50	17.55	कोई सब्सिडी नहीं
	बीपीएल	4636.00	4636.00	14943.50	6.93	कोई सब्सिडी नहीं
2011-12	बीपीएल	9272.00	9272.00	15952.50	14.79	कोई सब्सिडी नहीं
	एपीएल का अतिरिक्त/ तदर्थ आबंटन	75000.00	27768.90	15952.50	44.30	कोई सब्सिडी नहीं
	एपीएल का अतिरिक्त /तदर्थ आबंटन	50000.00	4158.00	15952.50	6.63	कोई सब्सिडी नहीं
2012-13	एपीएल का अतिरिक्त आबंटन	48000.00	1052.67	1798.96	0.19	कोई सब्सिडी नहीं
	बीपीएल का अतिरिक्त/तदर्थ आबंटन	8508.00	8503.73	1798.96	1.53	कोई सब्सिडी नहीं
	बीपीएल का अतिरिक्त/तदर्थ आबंटन	22723.00	21299.66	1798.96	3.83	कोई सब्सिडी नहीं
योग (अ)		**371457.00**	**191169.60**		**245.86**	-
ब. चावल						
2009-10	एपीएल/बीपीएल/एए वाय	36040.00	36040.00	20097.20	72.43	18.59
2010-11	बीपीएल का अतिरिक्त /तदर्थ आबंटन	67256.00	67256.00	20038.30	134.77	75.55
	एपीएल	36983.00	11734.40	20038.30	23.51	29.35
	बीपीएल	67256.00	67256.00	20038.30	134.77	77.82
2011-12	बीपीएल	134512.00	133981.10	22189.20	297.29	0.00
	एपीएल का अतिरिक्त/ तदर्थ आबंटन	51800.00	31402.56	22189.20	69.68	0.00

2012-13	एपीएल अतिरिक्त	104160.00	12687.17	25231.00	32.01	48.74
	बीपीएल का अतिरिक्त/तदर्थ आबंटन	123444.00	122341.17	25231.00	308.68	203.17
	बीपीएल का अतिरिक्त/तदर्थ आबंटन	121061.00	120375.01	25231.00	303.72	203.01
	बीपीएल का अतिरिक्त/तदर्थ आबंटन	140000.00	139789.94	25231.00	352.70	242.89
योग (ब)		**882512.00**	**742863.35**		**1729.57**	**899.12**
योग (अ+ब)					**1975.43**	**899.12**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा प्रदान किये गये आंकड़े से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 2.6
छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति
(संदर्भित कंडिका - 2.25)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अनंतिम)
दायित्व				
प्रदत्त पूंजी	0.90	0.90	0.90	0.90
संचय एवं आधिक्य	7.55	7.55	4.55	3.16
सुरक्षित ऋण	350.77	1134.08	502.02	295.84
चालू दायित्व एवं प्रावधान	2299.63	1992.74	1650.49	2571.22
असुरक्षित ऋण	1.00	1.00	1.00	1.00
योग	**2659.85**	**3136.27**	**2158.96**	**2872.12**
सम्पत्तियाँ				
सकल परिसम्पत्तियाँ	5.42	5.49	6.51	6.92
घटाया : ह्रास	3.50	4.05	4.38	5.02
शुद्ध स्थायी सम्पत्ति	1.92	1.44	2.13	1.90
स्थगित कर सम्पत्तियाँ	1.23	1.23	1.32	1.32
चालू सम्पत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम				
स्कन्ध	1646.50	1348.17	1173.91	1697.95
विविध देनदार	3.13	3.13	3.13	3.13
नगद एवं बैंक शेष	80.89	183.73	93.02	31.33
अन्य चालू सम्पत्तियाँ	761.44	1014.20	627.72	804.51
ऋण एवं अग्रिम	83.50	473.25	67.73	94.93
योग	**2578.61**	**3025.15**	**1968.96**	**2635.07**
लाभ एवं हानि खाता	81.24	111.12	190.00	237.05
योग	2659.85	3136.27	2158.96	2872.12
विनियोजित पूंजी[3]	277.75	1031.18	317.15	(-) 58.73
शुद्ध आवर्त[4]	8.45	8.45	5.45	4.06

(स्त्रोतः कंपनी के वार्षिक लेखे से संकलित आंकड़े)
टिप्पणीः 2011-12 के आंकड़े अनंतिम हैं क्योंकि लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया एवं 2012-13 के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे ।

[3] विनियोजित पूंजी=शुद्ध स्थायी सम्पत्ति + स्थगित कर सम्पत्ति + चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम - चालू दायित्व।
[4] शुद्ध आवर्त = प्रदत्त पूंजी + संचय एवं आधिक्य।

अनुलग्नक - 2.7
छत्तीसगढ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का कार्यकारी परिणाम
(संदर्भित कंडिका - 2.25)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आय				
विक्रय	721.30	701.81	963.06	1013.77
अन्य संचालन आय (भारत सरकार/राज्य सरकार से सब्सिडी)	1941.29	2163.11	1930.38	2061.14
अन्य विविध आय[5]	37.35	35.11	38.57	42.65
स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	380.98	(298.34)	(174.26)	524.04
योग	**3080.92**	**2601.69**	**2757.74**	**3641.60**
व्यय				
क्रय	2874.95	2395.09	2598.06	3411.49
उपार्जन व्यय	60.94	59.99	61.72	56.46
विक्रय व्यय	76.28	83.71	76.98	85.28
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	13.24	13.85	19.82	23.21
योग	**3025.41**	**2552.64**	**2756.58**	**3576.44**
ब्याज वित्तीय प्रभार एवं ह्रास से पूर्व संचालन से लाभ/(हानि)	55.51	49.05	1.16	65.10
वित्तीय व्यय	90.94	73.82	78.05	112.08
ह्रास	0.65	0.54	0.65	0.69
विगत अवधि के समायोजन एवं कर के लिए प्रावधान के पूर्व लाभ/(हानि)	(36.08)	(25.31)	(77.53)	(47.61)
पूर्व अवधि के समायोजन (शुद्ध) एवं कर के लिए प्रावधान	(5.15)	(4.57)	(1.55)	0.56
वर्ष का शुद्ध लाभ/(हानि)	(41.23)	(29.88)	(79.08)	47.05

(स्त्रोतः कंपनी के वार्षिक लेखे से संकलित आंकड़े)
टिप्पणीः 2011-12 के आंकड़े अनंतिम है क्योंकि लेखे को अंतिमरूप नहीं दिया गया एवं 2012-13 के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

[5] अन्य विविध आय में निविदा कार्य के विक्रय से आय, प्राप्त ब्याज, कमी के लिए वसूली, प्रासंगिक, कमीशन, स्थायी सम्पत्ति के विक्रय से लाभ आदि शामिल है।

अनुलग्नक - 2.8

भारत सरकार से दावा की गई एवं प्राप्त सब्सिडी को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका - 2.28)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डीसीपी चावल का उपार्जन	सब्सिडी राशि (95 प्रतिशत)	प्राप्त राशि	कम प्राप्त राशि	सब्सिडी का पांच प्रतिशत का दावा	कुल बकाया दावा
2002-03	295.92	281.12	248.54	32.58	14.80	47.38
2003-04	349.92	332.42	290.38	42.04	17.50	59.54
2004-05	428.33	406.91	366.24	40.67	21.42	62.09
2005-06	513.77	488.08	481.89	6.19	25.69	31.88
2006-07	554.40	526.68	494.98	31.70	27.72	59.42
2007-08	768.48	730.06	698.96	31.10	38.42	69.52
2008-09	992.40	942.78	923.17	19.61	49.62	69.23
2009-10	1317.94	1252.04	1234.32	17.72	65.90	83.62
2010-11	1695.91	1611.11	1604.12	6.99	84.80	91.79
2011-12	1796.57	1706.74	1751.20	-44.46	89.83	45.37
2012-13	2555.36	2427.59	2414.27	13.32	127.77	141.09
योग	**11269.00**	**10705.53**	**10508.07**	**197.46**	**563.47**	**760.93**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा प्रदान किये गये आंकडें से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 2.9
उचित मूल्य दुकान से बकाया राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(सन्दर्भित कंडिका - 2.29)

स.क्र.	जिले का नाम	बकाया राशि	31 मार्च 2013 को बकाया राशि (₹ में)	विलंब माह की संख्या (31 मार्च 2013 पर)
1	रायपुर	मार्च-10	412095.00	37
		फरवरी-11	340974.00	25
		जुलाई-11	24955.00	20
		मार्च-12	25354.00	12
2	महासमुन्द	मार्च-08	5500.00	61
		अप्रैल-08	40891.00	60
		मई-08	28180.00	59
		जून-08	30985.00	58
		जुलाई-08	31900.00	57
3	राजनांदगांव	मार्च-09	29237.00	49
		अप्रैल-09	32368.00	48
4	कबीरधाम	जुलाई-08	37651.00	57
5	बिलासपुर	अप्रैल-08	136800.00	60
		मार्च-10	59479.00	37
		जनवरी-08	54832.00	63
		मार्च-08	38311.00	61
6	रायगढ़	अक्टूबर-07	117783.00	66
		फरवरी-11	8683.00	25
		जनवरी-12	4906.00	14
		जुलाई-10	39000.00	32
		दिसम्बर-11	5600.00	15
		दिसम्बर-11	13768.00	15
		जनवरी-12	12858.00	14
		जनवरी-12	4390.00	14
7	जशपुर	नवम्बर-10	590555.00	28
		दिसम्बर-11	102569.00	15
		अक्टूबर-08	534960.00	54
		दिसम्बर -11	119633.00	15
		मार्च-09	266530.00	49

8	सरगुजा	मार्च-08	3606775.87	61
		मार्च -09	4689624.31	49
		मार्च -10	146687.50	37
		मार्च -11	2313360.79	24
		मार्च -12	28749.65	12
9	कोरिया	मार्च -09	40948.00	49
10	जांजगीर	मार्च -10	27527.00	37
		अक्टूबर -07	57750.00	66
		अक्टूबर -11	52872.00	17
		अक्टूबर -11	41000.00	17
		नवम्बर -11	21385.00	16
		जनवरी-12	63684.00	14
		जनवरी -12	12009.00	14
		मार्च -12	37784.00	12
		फरवरी -12	12840.00	13
		फरवरी-12	44220.00	13
		दिसम्बर-10	15659.00	27
		जनवरी -11	15659.00	26
		जनवरी -11	4463.00	26
		दिसम्बर -08	10000.00	52
		दिसम्बर-08	47520.00	52
		दिसम्बर-08	10000.00	52
		दिसम्बर-08	580.00	52
		दिसम्बर-08	20960.00	52
11	कोरबा	जुलाई-08	320213.00	57
योग			**14793017.72**	

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा प्रदान किये गये आंकड़े से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 2.10
जनशक्ति की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(संदर्भित कण्डिका - 2.30)

पदनाम	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
	स्वी.	वास्त.	आधि./ कमी)-(	स्वी.	वास्त.	आधि./ कमी (-)	स्वी.	वास्त.	आधि./ कमी (-)	स्वी.	वास्त.	आधि./ कमी (-)	स्वी.	वास्त.	आधि./ कमी (-)
प्रबंध संचालक	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1	
महाप्रबंधक	4	3	-1	4	4		4	3	-1	4	1	-3	4	1	-3
कंपनी सचिव	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1	
वरिष्ठ लेखाधिकारी	1		-1	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1	1	1	
प्रबंधक	4	3	-1	4	3	-1	4	3	-1	4	3	-1	4	4	
प्रबंधक एम आइं एस	1		-1	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1
लेखाधिकारी	2	2		2	2		2	2		4	2	-2	4	3	-1
उप प्रबंधक/जिला प्रबंधक	22	9	-13	22	9	-13	22	9	-13	24	14	-10	24	12	-12
उप प्रबंधक (क्यू सी)										1	0	-1	1	0	-1
उप व्यवसाय प्रबंधक	1	1		1	1		1	1		1	0	-1	1	0	-1
उप लेखाधिकारी	8	7	-1	8	7	-1	8	7	-1	10	8	-2	10	7	-3
कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	5	4	1	5	4	1	5	4	4	9	5	4	5	1
सहायक व्यवसाय प्रबंधक	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1
सहायक प्रबंधक	30	25	-5	30	25	-5	30	25	-5	34	28	-6	44	50	6
सहायक प्रबंधक (तकनीकि)	3	0	-3	3	0	-3	3	0	-3	5	2	-3	5	2	-3
लागत लेखापाल													1	1	
समन्वय अधिकारी													1	1	
सहायक लेखाधिकारी	30	10	-20	30	9	-21	30	10	-20	30	7	-23	30	13	-17
सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	2	1	-1	2	1	-1	2	1	-1	8	4	-4	8	10	2
लेखापाल	18	18		18	18		18	18		22	17	-5	22	22	
संविदा सहायक लेखापाल													15	6	-9
वरिष्ठ सहायक	42	28	-14	42	28	-14	42	28	-14	47	34	-13	47	38	-9
वरिष्ठ तकनीकि सहायक										2	0	-2	2	0	-2
स्टेनोग्राफर	5	3	-2	5	3	-2	5	3	-2	7	3	-4	7	6	-1
सहायक	74	58	-16	74	58	-16	74	58	-16	86	70	-16	86	64	-22
तकनीकि सहायक										4	0	-4	4	0	-4
स्टेनो टायपिस्ट	21	11	-10	21	11	-10	21	11	-10	21	20	-1	21	14	-7

कनिष्ठ सहायक	150	124	-26	150	124	-26	150	194	44	167	144	-23	167	198	31
कनिष्ठ तकनीकि सहायक	71	67	-4	71	60	-11	71	75	4	90	85	-5	120	103	-17
डाटा एण्ट्री ऑपरेटर										20	23	3	50	41	-9
ड्राइवर (एल एम व्ही)	8	9	1	8	9	1	8	9	1	16	9	-7	16	8	-8
ड्राइवर (एच एम व्ही)	50	63	13	50	61	11	50	63	13	52	56	4	52	54	2
आवक/जावक सहायक	2	2		2	2		2	2		2	2		2	2	
शिपाई	80	90	10	80	96	16	80	90	10	80	98	18	80	103	23
तुलावटी	50	71	21	50	71	21	50	71	21	76	72	-4	76	76	
अर्दली	4	4		4	4		4	4		4	4		4	4	
स्वीपर	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1	
योग	**688**	**617**	**-71**	**688**	**614**	**-74**	**688**	**695**	**7**	**831**	**718**	**-113**	**918**	**852**	**-66**

स्वी.-स्वीकृत, वास्त.-वास्तविक, आधि.-आधिक्य

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा प्रदान किये गये आँकडों से संकलित)

अनुलग्नक - 3.1

वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान क्रय किए गए बीजों का विस्तृत विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(संदर्भित कंडिका - 3.1)

(राशि ₹ में)

जिला	2011-12	2012-13	योग
अम्बिकापुर	52575421	44297348	96872769
रायगढ़	17829645	6156598	23986243
दंतेवाड़ा	9643296	17236982	26880278
जांजगीर	4121442	7563148	11684590
कबीरधाम	7074346	2106966	9181312
राजनांदगांव	10891503	3950929	14842432
कोरिया	5820419	1417600	7238019
जशपुर	11959262	7585378	19544640
रायपुर	19211747	7560916	26772663
दुर्ग	7309283	4615632	11924915
कांकेर	6111844	7020103	13131947
धमतरी	5221105	6950964	12172069
बस्तर	9589522	9967301	19556823
महासमुंद	4366616	6755683	11122299
कोरबा	7084496	4360479	11444975
बिलासपुर	37267705	118988710	156256415
योग	**216077651**	**256534737**	**472612389**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा प्रदान किये गये आँकड़ों से संकलित)

अनुलग्नक - 3.2

वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान क्रय किए गए आलू बीज का विस्तृत विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(सदंर्भित कंडिका - 3.1)

(राशि ₹ में)

क्र.स.	जिला	2011-12	2012-13	योग
1	अम्बिकापुर	28971663	33369875	62341538
2	रायगढ़	590000	3406200	3996200
3	दंतेवाड़ा	4486625	1650000	6136625
4	जांजगीर	2025000	861000	2886000
5	कबीरधाम	2137500	483750	2621250
6	राजनांदगांव	1928500	586250	2514750
7	कोरिया	3825000	850000	4675000
8	जशपुर	6133750	5403100	11536850
9	रायपुर	3200000	2795000	5995000
10	दुर्ग	1791925	2175000	3966925
11	कांकेर	2287500	0	2287500
12	धमतरी	3232500	750000	3982500
13	बस्तर	1897500	1500000	3397500
14	महासमुंद	2192500	750000	2942500
15	कोरबा	2172500	2317650	4490150
16	बिलासपुर	3807500	9998750	13806250
योग		**70679963**	**66896575**	**137576538**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा प्रदान किये गये आँकडों से संकलित)

अनुलग्नक - 3.3

वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान क्रय किए गए धनियां बीज का विस्तृत विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(संदर्भित कंडिका - 3.1)

(राशि ₹ में)

क्र.स.	जिला	2011-12	2012-13	योग
1	कांकेर	79200	180000	259200
2	जशपुर	0	0	0
3	बस्तर	0	0	0
4	नारायणपुर	0	0	0
5	राजनांदगांव	0	0	0
6	धमतरी	240120	180000	420120
7	कोरिया	540000	0	540000
8	रायपुर	732600	180000	912600
9	दुर्ग	0	0	0
10	कबीरधाम	0	0	0
11	महासमुंद	0	0	0
12	जांजगीर-चाँपा	0	0	0
13	दंतेवाड़ा	0	0	0
14	बीजापुर	0	0	0
15	अम्बिकापुर	594000	180000	774000
16	रायगढ़	360000	180000	540000
17	कोरबा	350000	180000	530000
18	बिलासपुर	540000	270000	810000
योग		**3435920**	**1350000**	**4785920**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा प्रदान किये गये आँकडों से संकलित)

अनुलग्नक - 3.4

बचत खाता में बहुत ज्यादा शेष होने के कारण ब्याज की हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका - 3.3)

माह	माह के दौरान न्यूनतम शेष (₹)	बचत खाता में लागू ब्याज की दर (%)	आटो स्वीप में लागू औसत ब्याज की दर (%)	ब्याज दर में अन्तर (%)	ब्याज की हानि (₹)
अप्रैल-09	13378388				
मई-09	13397438				
जून-09	443077				
जुलाई-09	1003427				
अगस्त-09	94953				
सितम्बर-09	124594				
अक्टूबर -09	283277				
नवम्बर-09	11115				
दिसम्बर-09	13223382				
जनवरी-10	13784711				
फरवरी-10	13137716				
मार्च-10	16198165				
2009-10 (औसत)	**7090020.25**	**4**	**6.8**	**2.8**	**198521**
अप्रैल-10	16139209				
मई-10	16014902				
जून-10	10256583				
जुलाई-10	4463642				
अगस्त-10	4562944				
सितम्बर-10	4757547				
अक्टूबर -10	5129814				
नवम्बर-10	4893738				
दिसम्बर-10	1046674				
जनवरी-11	1294557				
फरवरी-11	2208882				
मार्च-11	102723				
2010-11 (औसत)	**5905934.583**	**4**	**7.6**	**3.6**	**212614**
अप्रैल-11	25202304				
मई-11	10833025				
जून-11	9806915				
जुलाई-11	9918989				
अगस्त-11	10284411				
सितम्बर-11	10340535				
अक्टूबर -11	10891768				
नवम्बर-11	17793051				
दिसम्बर-11	9760853				
जनवरी-12	10051107				
फरवरी-12	11844598				
मार्च-12	14695044				

2011-12 (औसत)	**12618550**	**4**	**9.25**	**5.25**	**662474**
अप्रैल-12	14732324				
मई-12	16491487				
जून-12	17557185				
जुलाई-12	32475930				
अगस्त-12	15579064				
सितम्बर-12	15871652				
अक्टूबर -12	17070272				
नवम्बर-12	10456194				
दिसम्बर-12	10423203				
जनवरी-13	11632129				
फरवरी-13	10285842				
मार्च-13	12702091				
2012-13 (औसत)	**15439781.08**	**4**	**9.25**	**5.25**	**810589**
योग					**1884197**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा प्रदान किये गये आँकडों से संकलित)

अनुलग्नक - 3.5

31 मार्च 2013 को समाप्त चार वर्षों के दौरान स्वीकृत और वितरित ऋण का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(संदर्भित कंडिका - 3.4.4)

वर्ष	प्राप्त आवेदनों कि संख्या	कमियों/प्रक्रियाधीन होने के कारण स्वीकृत न किये गये आवेदनों की संख्या	लाभान्वितों को स्वीकृत और वितरित ऋण	
			मामलों की संख्या	ऋण राशि (₹ लाख में)
2009-10	195	111	84	74.25
2010-11	132	18	114	117.69
2011-12	252	129	123	372.35
2012-13	295	159	136	301.25
योग	**874**	**417**	**457**	**865.54**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा प्रदान किये गये आँकड़ों से संकलित)

अनुलग्नक - 3.6
गोदाम हानि पर देय उत्पाद शुल्क को प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्रक
(संदर्भित कंडिका - 3.5)

वर्ष	गोदाम हानि							
	रायपुर गोदाम				बिलासपुर गोदाम			
	स्पिरिट		माल्ट		स्पिरिट		माल्ट	
	मात्रा (प्रूफ लीटर)	देय शुल्क (₹)	मात्रा (बल्क लीटर)	देय शुल्क(₹)	मात्रा (प्रूफ लीटर)	देय शुल्क (₹)	मात्रा (बल्क लीटर)	देय शुल्क(₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007-08	23721	2134890	11262.1	180193.6	26960.54	2426448	88665.63	1418650.08
2008-09	98241.2	8841708	117951.7	1887227	36198.64	3257878	57423.53	918776.48
2009-10	9185.21	826668.9	9052.349	181047	39006.18	3510556	78276.70	1565534
2010-11	1300.84	117075.6	1987.727	39754.54	19839.09	1785518	29561.62	591232.40
2011-12	निरंक	0	निरंक	0	निरंक	0	निरंक	0
2012-13	निरंक	0	निरंक	0	निरंक	0	निरंक	0
योग		**11920342.5**	**140253.9**	**2288222**	**122004.4**	**10980400**	**253927.5**	**4494193**
कुल देय शुल्क[6] (3+5+7+9) (₹)								**29683157.83**

(स्त्रोतः कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं से संकलित आंकड़े)

[6] स्पिरिट के मामले में उत्पाद शुल्क में उतार चढ़ाव आईएमएफएल के मूल्यों पर प्रति प्रकरण पर आश्रित है। वास्तविक उत्पाद शुल्क उक्त अवधि के दौरान ₹ 70 और ₹ 110 प्रति प्रूफ लीटर की सीमा के बीच रहा। लेखापरीक्षा में औसत मूल्य ₹ 90 प्रति प्रूफ लीटर लिया गया है। इसी प्रकार माल्ट के विषय में वर्ष 2007-08 व 2008-09 हेतु ₹ 16 प्रति बल्क लीटर संगणित किया गया है तथा वर्ष 2009-10 व 2010-11 हेतु ₹ 20 प्रति बल्क लीटर संगणित किया गया है ।

अनुलग्नक - 3.7

कण्डिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं को दर्शाने वाली तालिका, जिनके उत्तर प्राप्त नही हुए थे*

(संदर्भित कंडिका - 3.10.1)

क्र.स.	विभाग का नाम	2008-09		2011-12	
		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कण्डिकाओ की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जिनके लिए उत्तर प्राप्त नही हुए हैं।	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कण्डिकाओ की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जिनके लिए उत्तर प्राप्त नही हुए हैं।
1.	उर्जा	4**	2	6	5
2.	वाणिज्य एवं उद्योग	3**	2	-	-
3.	कृषि	-	-	1	-
4.	वन	1	-	-	-
5.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2**	2	2	2
6.	भौमिक एवं खनन	2**	2	1	1
7.	वाणिज्यिक कर	1**	1	1	1
योग		**13**	-	**11**	**9**

* वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के उत्तर राज्य शासन से प्राप्त हो चुके है।

** दो कण्डिकायें जैसे कण्डिका क्रमांक 4.3.4 चार विभागों (ऊर्जा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, वाणिज्य एवं उद्योग तथा भौमिकी एवं खनन) तथा कण्डिका क्रमांक 4.3.5 पाँच विभागों (ऊर्जा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, वाणिज्य एवं उद्योग, भौमिकी एवं खनन तथा वाणिज्यिक कर) 2003-04 तक जारी किये गये पुरानी कंडिकाओं का मुद्रण 2008-09 में किया गया है, जिनके जवाब प्रतिक्षित है। 2008-09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वस्तुतः छः प्रारूप कण्डिका /दक्षता लेखापरीक्षा थे।

अनुलग्नक - 3.8
विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) का विवरण पत्रक
(संदर्भित कंडिका - 3.10.3)

क्र.स.	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित कंडिकाओं की संख्या	वर्ष जब से कंडिकाएँ लंबित है
1.	ऊर्जा	4	169	485	2006-07
2.	वन	1	2	9	2011-12
3.	भौमिक और खनन	1	5	13	2008-09
4.	वाणिज्य एवं उद्योग	1	5	27	2007-08
5.	वाणिज्यिक कर	1	3	8	2010-11
6.	वित्त	1	2	3	2008-09
7.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2	9	30	2007-08
8.	सामाजिक कल्याण	1	1	1	2011-12
9.	कृषि	1	2	4	2010-11
योग		**13**	**198**	**580**	

अनुलग्नक - 3.9

विभागवार प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षा जिसका उत्तर प्रतीक्षित है का विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका - 3.10.3)

क्र.स.	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिकाओं की संख्या	समीक्षा की संख्या	जारी करने की अवधि
1.	ऊर्जा	3	-	मई 2013
2.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	-	1	जुलाई 2013
3.	वाणिज्य एवं उद्योग	1	-	जून 2013
4.	सामाजिक कल्याण	2	-	जून 2013
	योग	**6**	**1**	